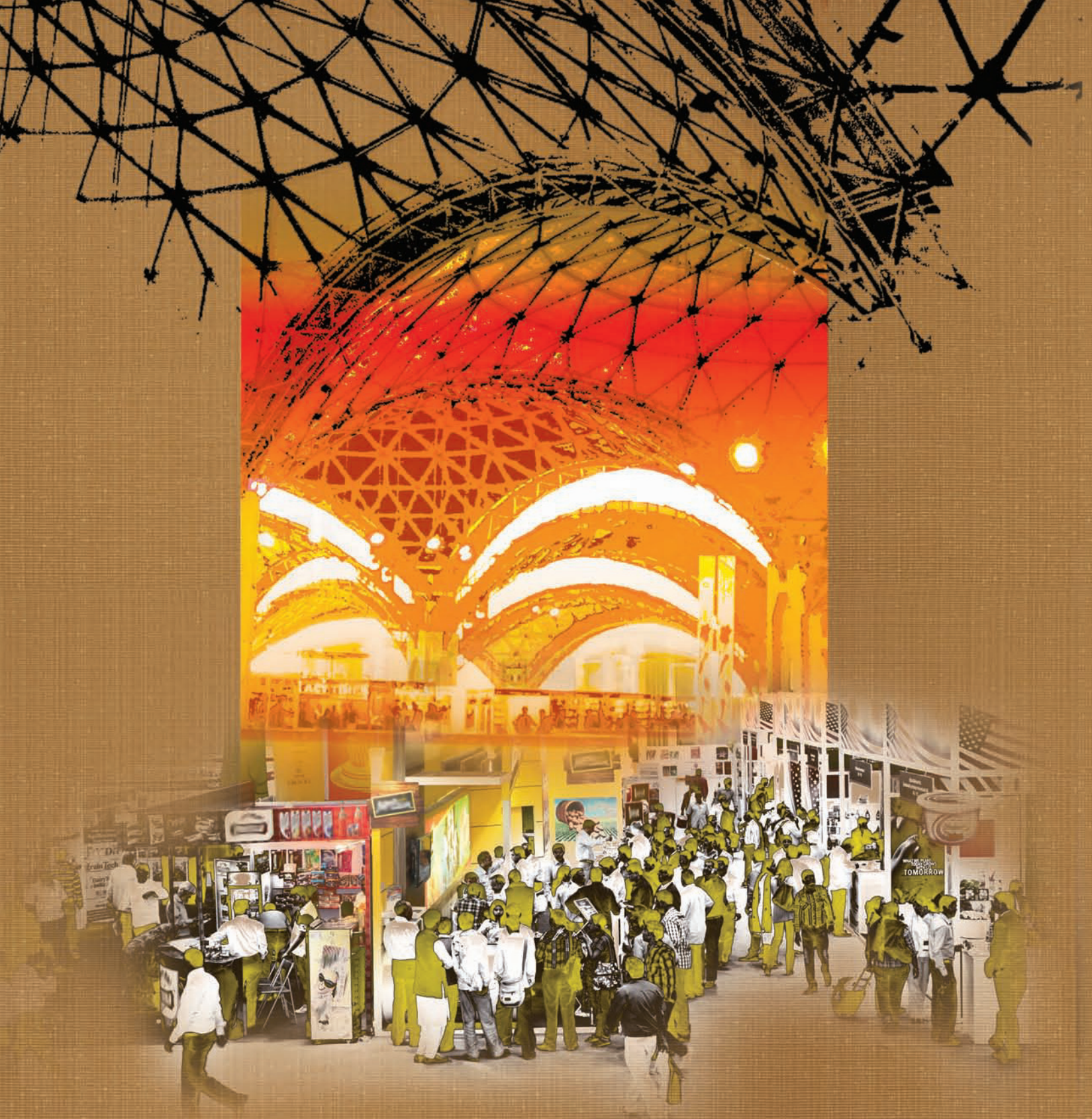

35 वीं वार्षिक रिपोर्ट

2011 – 2012

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन
आर्गनाइज़ेशन

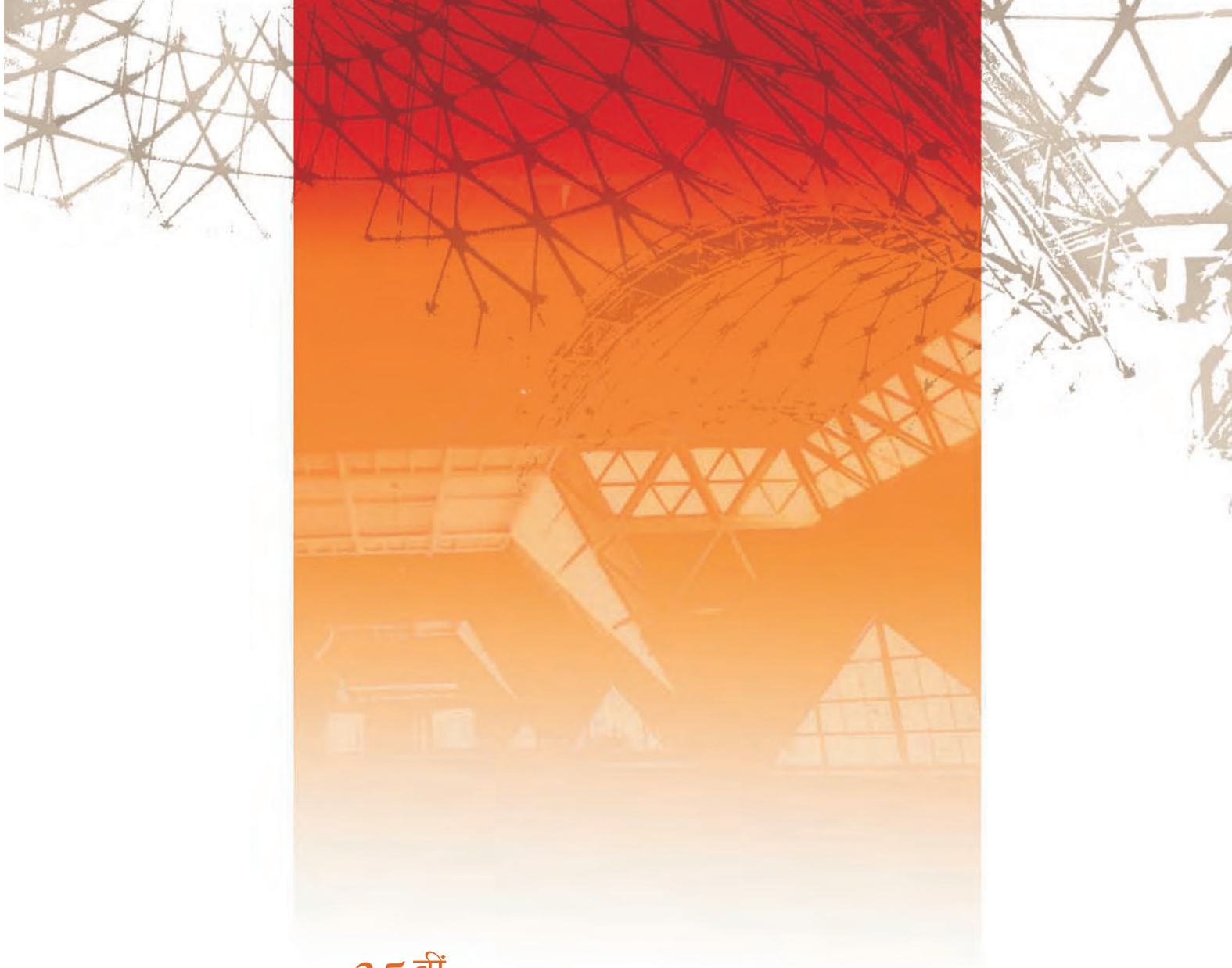

35 वीं वार्षिक रिपोर्ट
2011 – 2012

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन
आर्गनाइज़ेशन

आई आई टी एफ 2011 के अवसर पर मुख्य अतिथि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को उद्घाटन स्थल पर ले जाते हुए केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं वस्त्र मंत्री श्री आनन्द शर्मा

विषय सूची

निदेशक मण्डल 6

मुख्य कार्यकारी 7

भारत में आई टी पी ओ के कार्यालय 11

अध्यक्ष का वक्तव्य 14

वार्षिक आम बैठक की सूचना 21

निदेशकों की रिपोर्ट 26

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 49

सचिवीय अनुपालन प्रमाण पत्र 64

लेखा 75

अनुषंगी कम्पनियां

(I) तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन 104

(II) कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन 136

आई टी पी ओ का मुख्यालय – प्रगति भवन

35 वीं वार्षिक रिपोर्ट
2011 – 2012

प्रगति मैदान में प्रमुख व्यापार मेलों के आयोजन स्थल – हाल नं. 9–11 का एक दृश्य

निदेशक मण्डल

श्रीमती रीता मेनन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राजीव खेर
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(02.01.2012 तक)

डॉ. सुवास पाणि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(06.08.2011 तक)

डॉ. राजन कटोच
अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री जे.एस. दीपक
संयुक्त सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सुश्री रीनत संधु
संयुक्त सचिव (आईटीपी)
विदेश मंत्रालय
(07.07.2011 तक)

सुश्री राधिका एल. लोकेश
संयुक्त सचिव (आईटीपी)
विदेश मंत्रालय

श्री अमरेन्द्र सिन्हा
अपर सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय

श्री अभिजीत बासु
निदेशक

श्री एस. एम. लोढ़ा
निदेशक

श्री डी. एस. रावत
निदेशक

श्री नीरज कुमार गुप्ता
कार्यकारी निदेशक

मुख्य कार्यकारी

श्री ए. के. खन्ना
वरिष्ठ महाप्रबंधक
तथा वित्तीय सलाहकार एवं कंपनी सचिव

श्री नरेन्द्र भूषण
विशेष कार्याधिकारी

श्री वी. के. गाबा
विशेष कार्याधिकारी

सुश्री नसीम इस्हाक
महाप्रबंधक

श्री पी. सी. शर्मा
महाप्रबंधक

श्री हुकुम चंद टी.
महाप्रबंधक

श्री के. एस. दबास
महाप्रबंधक

डा. के. एम. सोनी
महाप्रबंधक

श्री विक्रम सहगल
महाप्रबंधक

श्री अनिल अग्रवाल
महाप्रबंधक

श्री एस. के. शर्मा
महाप्रबंधक

श्री दलेल सिंह
महाप्रबंधक

श्री तनवीर अहमद
महाप्रबंधक

श्री सोमनाथ सरकार
महाप्रबंधक

लेखा परीक्षक
मैसर्स किशोर ऐण्ड किशोर

बैंकर्स
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक

आई आई टी एफ 2011 के उद्घाटन के मंच पर गणमान्य अतिथि

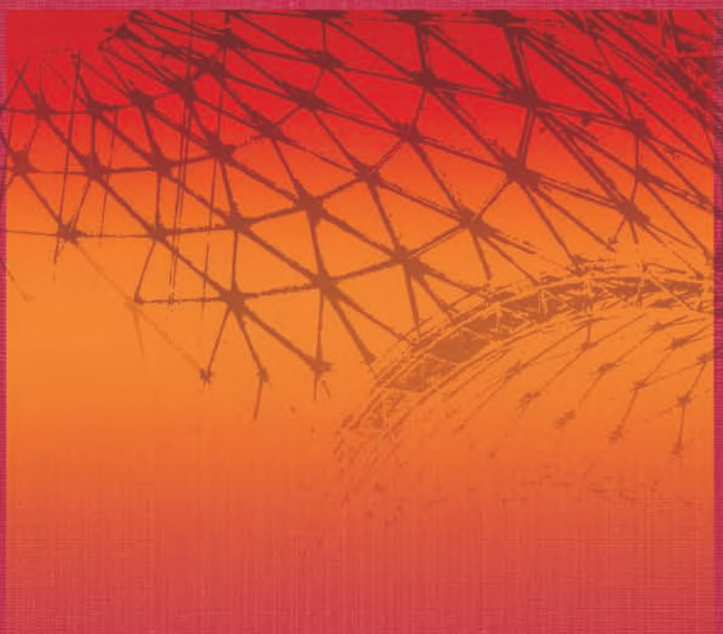

आई टी पी ओ के कार्यालय

प्रगति मैदान में संचालित मल्टी क्विजिन फूड कोर्ट

भारत में आई टी पी ओ के कार्यालय

पंजीकृत एवं मुख्यालय

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001
फोन: 91.11.23371540 (ईपीएबीएक्स), फैक्स: 91-11-23371492/1493
ई-मेल: info@itpo-online.com, itpo@vsnl.com, वेबसाइट: www.indiatradefair.com
ट्रेड पोर्टल: www.tradeportalofindia.com

क्षेत्रीय कार्यालय

बंगलौर
24-ए, इम्पीरियल कोर्ट,
33/1, कनिंघम रोड,
बंगलौर-560052
फोन: 91-80-22268867, 22268969
फैक्स: 91-80-22258662
ई-मेल: itpoblr@vsnl.net.in

चेन्नई
राजा अन्नामलाई बिल्डिंग, द्वितीय तल,
72, रुक्मणी लक्ष्मीपति रोड,
एग्मोर,
चेन्नई-600008
फोन: 91-44-28554655/28587297/28415416/28524655
टेलीफैक्स: 91-44-28554740
ई-मेल: itpochn@md4.vsnl.net.in

कोलकाता
इन्टरनेशनल ट्रेड फेसिलिटेशन सेन्टर
पांचवां तल, 1/1, वुड स्ट्रीट,
कोलकाता-700016
फोन: 91-33-22825820, 22822904, 22828586
फैक्स: 91-33-22828269
ई-मेल: itpocal@cal3.vsnl.net.in

मुम्बई
7, कूपरेज रोड, तृतीय तल,
झांसी कैसल,
मुम्बई-400001
फोन: 91-22-22026629/22021788/22044918/22021730
फैक्स: 91-22-22044922
ई-मेल: itpomumbai@gmail.com/itpoby@rediffmail.com

आई आई टी एफ में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम

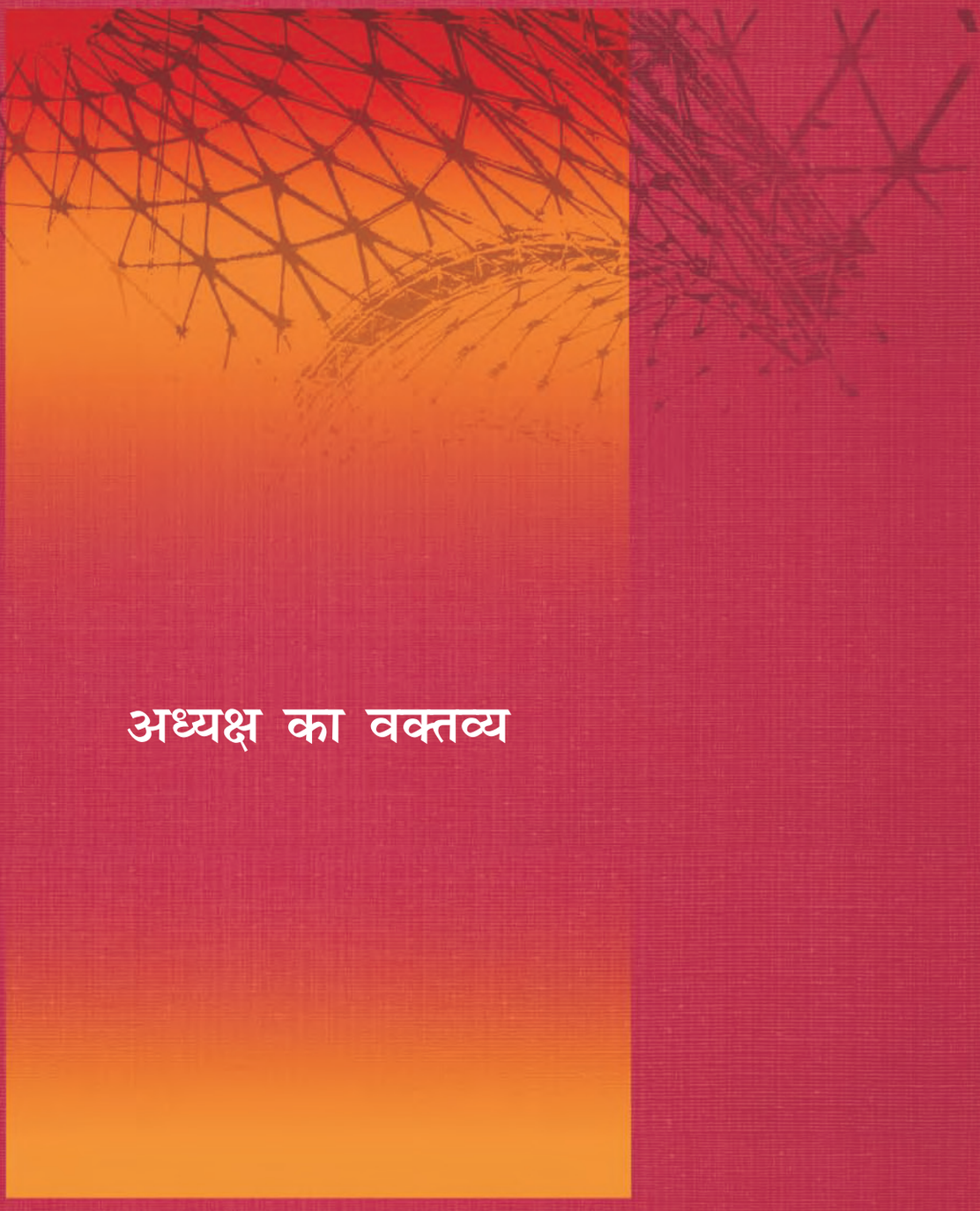

अध्यक्ष का वक्तव्य

35वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य

देवियो और सज्जनो,

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन की 35वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है । पिछले वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान आई टी पी ओ और उसकी सहायक कम्पनियों के वित्तीय परिणामों, वास्तविक उपलब्धियों और मानवीय निष्पत्तियों को प्रस्तुत करने से पहले, मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहती हूं कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर इस बैठक में शामिल हुए । इस अवसर पर मैं अपने पारस्परिक संबंधों को फिर से और सुदृढ़ बनाना और सामान्य सरोकार के मुद्दों पर ध्यान देना चाहती हूं ।

निदेशकों ने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए अपना प्रतिवेदन एवं परीक्षित लेखे तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी हैं । ये सभी आपको पहले ही परिचालित किये जा चुके हैं । आपकी अनुमति से मैं इन्हें पढ़ा हुआ मान लेती हूं ।

आई टी पी ओ की प्रगति का विहंगावलोकन

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आई टी पी ओ को 31 मार्च 2012 तक के कार्य संचालन से गत वित्त वर्ष 2010-11 के 70.87 करोड़ रुपये और उससे पूर्ववर्ती वित्त वर्ष 2009-10 के 77.57 करोड़ रुपये के मुकाबले 183.03 करोड़ रुपये का अधिशेष प्राप्त हुआ । पिछले दो वित्तीय वर्षों - 2010-11 और 2009-10 की तुलना में क्रमश: 158.26 प्रतिशत और 135.95 प्रतिशत वृद्धि हुई है । कुल आय 2010-11 के दौरान 305.12 करोड़ और 2009-10 के दौरान 245.93 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान 373.80 करोड़ रुपये हुई ।

कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है, अत: कोई भी लाभांश देय नहीं है । इसलिए 183.03 करोड़ रुपये की व्यय से अधिक आय की राशि इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु उपयोग के लिए आरक्षित एवं अधिशेष खाते में डाली गयी है ।

2011-12 के दौरान कार्य-निष्पादन

वर्ष 2011-12 के दौरान विश्व भर में भारतीय व्यापार को बढ़ाने के अपने लक्ष्य को देखते हुए आई टी पी ओ ने मैक्सिको और कजाकिस्तान में एक-एक ब्रांड शो और ओसाका, जापान में दो मिनी इण्डिया शो सहित कुल 26 विदेशी व्यापार मेलों में भागीदारी का आयोजन किया । इन 26 मेलों में से 7 मेले यूरोप में, 6 अफ्रीका एवं मध्यपूर्वी क्षेत्र में, 6 संयुक्त राज्य अमेरिका में, 5 एशिया में तथा 1-1 सार्क क्षेत्र एवं सीआईएस क्षेत्र में आयोजित किए गए । इन 26 मेलों में 10 सामान्य मेले तथा 16 विशेषीकृत मेले थे ।

कुछ प्रमुख मेलों में समर फैन्सी फूड शो (न्यूयार्क), अनूगा फूड फेयर (कोलोन) जर्मनी, इण्डिया गारमेंट शो और इण्डिया होम फर्नीशिंग शो (ओसाका, जापान), एशिया पेसिफिक लेदर मेला (हांग कांग), ए एल एफ - आर्टिग्यिानो डी फेरा - अन्तरराष्ट्रीय हस्तशिल्प व्यापार मेला, मिलान (इटली) शामिल थे ।

वर्ष 2011-12 के दौरान आई टी पी ओ ने भारत में कुल 10 मेलों का आयोजन किया । इनमें से 7 मेले दिल्ली में तथा 3 क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किये गये । वर्ष के दौरान नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित प्रदर्शनियों में विशाल प्रदर्शनी भारतीय अन्तरराष्ट्रीय

व्यापार मेला 2011 (आई आई टी एफ 2011), इण्डिया इंटरनेशनल लैदर फेयर, दिल्ली पुस्तक मेला और स्टेशनरी मेला, प्रिंटपैक - 14वीं भारतीय अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी, और आहार - अन्तरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ और आतिथ्य मेला भी आयोजित किए गए । दिल्ली से बाहर क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित 3 प्रदर्शनियों में से चेन्नई में आहार - अन्तरराष्ट्रीय फूड ऐण्ड होस्पिटेलिटी मेला तथा कोलकाता और चेन्नई में दो विशेष चमड़ा मेले आयोजित किए गए।

आई टी पी ओ के प्रमुख वार्षिक मेला 14-27 नवम्बर 2011 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेले की 31वीं कड़ी का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस मेले का उद्दिष्ट विषय था - "भारत के हस्तशिल्प - निपुण हाथों का जादू"। मेले में झारखण्ड और पश्चिमी बंगाल साझेदार राज्य तथा बिहार और उड़ीसा फोकस राज्य थे। भारत के 6000 व्यापारी दर्शकों के अलावा 26 देशों के 230 व्यापारी प्रतिनिधि मेला देखने आये (200 कम्पनियों ने अपने राष्ट्रीय मण्डपों तथा 30 ने स्वतंत्र रूप से)। भारत और विदेशों से कुल मिलाकर 27,857 व्यापारी दर्शकों और 47 देशों से 1562 व्यापारी प्रतिनिधियों ने तथा 15 लाख आम जनता ने यह मेला देखा। मेले के दौरान सामयिक महत्व के विषयों पर कई सेमिनार भी आयोजित किये गये । पार्क ऐण्ड राइड और परिक्रमा बस सेवा मेले के दौरान प्रगति मैदान में दर्शकों के लिए निर्बाध प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए आई टी पी ओ द्वारा की गयी प्रमुख पहलों में शामिल थे । प्रगति फूड प्लाजा में प्रगति फूड कोर्ट और प्रगति कैफे शामिल थे, इनमें राज्यों के विभिन्न व्यंजनों की व्यवस्था की गई । विशेष रूप से निर्मित एक क्योस्क में अन्तरराष्ट्रीय व्यंजनों की व्यवस्था भी की गई । मेले को व्यापारोन्मुख बनाने के लिए इसके पहले पांच दिन 14-18 नवम्बर केवल व्यापारी दर्शकों के लिए ही आरक्षित रखे गए थे ।

आई आई टी एफ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी)

आई आई टी एफ मानक संचालन (एस ओ पी) के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की गई । रिपोर्ट में ये जानकारियां दी गई हैं- आई आई टी एफ का परिदृश्य के बारे में जानकारी, आई आई टी एफ की मास्टर चेक लिस्ट, आई आई टी एफ से संबंधित प्रभागों की गतिविधियों का समन्वयन करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा अपनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया, मेले के मैनुअल में शामिल करने हेतु प्रदर्शकों का एस ओ पी, मेला देखने की सुविधा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु दर्शकों के लिए एस ओ पी, दर्शक संवर्धन एवं भागीदारी मोबिलाइजेशन के लिए सैम्पल पत्रों, भागीदारी करने हेतु आवेदन फार्म, व्यापारी दर्शकों के लिए पंजीयन और वीजा रिकोमेन्डेशन पत्र, आई आई टी एफ का पर्ट चार्ट जिसमें विभिन्न मेला संबंधी गतिविधियों आदि पूरी होने की निर्धारित तिथियां दी गई है ।

वर्ष के दौरान आई टी पी ओ ने व्यापार संवर्धन हेतु अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, रशिया और जापान, 31 विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों के दौरों का समन्वयन किया तथा विविध उत्पादों व सेवाओं का व्यापार करने वाले सम्भावित भारतीय निर्माताओं के साथ उनकी व्यक्तिगत अलग-अलग बैठकों का आयोजन किया ।

विशेषीकृत और सामान्य व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों को आयोजित करने के लिए व्यापार और उद्योग जगत को प्रगति मैदान स्थित प्रदर्शनी हाल और सम्मेलन सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं । वर्ष 2011-12 के दौरान उद्योग एसोसिएशनों, केन्द्रीय मंत्रालयों, निर्यात संवर्धन संगठनों और अन्य मेला आयोजकों द्वारा 77 आयोजनों की व्यवस्था की गयी, इनमें आटो प्रदर्शनी 2012, विश्व पुस्तक मेला 2012, प्लास्ट इण्डिया 2012, रक्षा प्रदर्शनी 2012, विल्स लाइफ स्टाइल फैशन सप्ताह 2011 जैसे बड़े उच्चस्तरीय आयोजन शामिल हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आई टी पी ओ ने भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन जारी रखा। भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न मामलों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किये गये। हिन्दी मासिक उद्योग व्यापार पत्रिका के नियमित प्रकाशन के साथ, व्यापारी संदर्शिका, आई टी पी ओ की वार्षिक रिपोर्ट 2010-11, आई टी पी ओ और वाणिज्य विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किये गये। कारपोरेट त्रैमासिक पत्रिका - दर्पण (लॉगआन का हिन्दी संस्करण) का प्रकाशन जारी रहा।

अनुषंगी कम्पनियां

आई टी पी ओ ने चेन्नई और बंगलौर में दो क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र स्थापित किए हैं। ये क्रमश: तमिलनाडु इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोशन लि. और कर्नाटक इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन बोर्ड के संयुक्त उद्यम हैं। वर्ष 2011-12 में चेन्नई व्यापार केन्द्र के कन्वेंशन सेंटर में 111 और प्रदर्शनी हालों में 101 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया और 18.86 करोड़ रुपये का अधिशेष अर्जित किया गया। बंगलौर केन्द्र ने 32 प्रदर्शनियों/मेलों का आयोजन किया और 2011-12 के दौरान कर-पूर्व 8.84 करोड़ रुपये का संचयी अधिशेष दर्ज किया।

अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ नेटवर्किंग

आई टी पी ओ सदस्यता अथवा समझौता ज्ञापन जैसी सहयोग व्यवस्था के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्रों में अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ नेटवर्क तैयार कर रहा है। आई टी पी ओ ने पाकिस्तान व्यापार विकास प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जिसमें दोनो पक्षों द्वारा अपने-अपने देशों में आयोजित किये जाने वाले कैलेण्डर आफ इवेन्ट्स और प्रकाशनों के आदान-प्रदान सहित एक दूसरे के कार्य कलापों के क्षेत्रों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान शामिल था। आई टी पी ओ एशिया ट्रेड प्रमोशन फोरम (ए टी पी एफ) का संस्थापक सदस्य भी है और इसकी वार्षिक बैठकों में नियमित रूप से भाग लेता है।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) के बारे में सरकारी उद्यम विभाग के दिशा - निर्देशों के अनुरूप आई टी पी ओ ने दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में आशा किरण होम के मन्दबुद्धि बालक और बालिका आवासों के लिए अलग शौचालय ब्लाकों का निर्माण कराया। यह कार्य वर्ष 2011-12 के समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत 31.50 लाख रुपये के परिव्यय से किया गया।

मानव संसाधन

वर्ष 2011-12 के दौरान 44 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया और 216 कर्मचारियों को सुनिश्चित आजीविका प्रगति (ए सी पी) योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत उन्नयन दिया गया। आई टी पी ओ ने आरक्षण सम्बन्धी दिशा - निर्देशों का अनुपालन किया है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की देखभाल के लिए आई टी पी ओ में सम्पर्क अधिकारी नामनिर्देशित किये गये हैं और प्रत्येक विभागीय पदोन्नति/चयन समिति की बैठकों में इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के हितों की देखभाल करने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उपयुक्त स्तर का एक अधिकारी शामिल किया जाता है। आई टी पी ओ ने विकलांग व्यक्तियों हेतु पदों/सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का भी अनुपालन किया।

कल्याण योजना के अन्तर्गत उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सभी पात्र कर्मचारीयों को वर्ष 2010-11 के लिए

31.3.2011 को विद्यमान एक महीने के मूलवेतन $ डी ए की राशि के बराबर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। मानव संसाधन विकास के लिए कर्मचारियों के लिए व्यवहार संबंधी, समान्य सुरक्षा, वित्त इवं इंजीरियरी संवर्ग आदि क्षेत्रों में इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए। इनमें कुल मिलाकर 650 कर्मचारियों का उक्त विषयों में प्रशिक्षण दिया गया।

कार्पोरेट प्रशासन

आई टी पी ओ कार्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानक स्तरों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और इस बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रहा है।

आई टी पी ओ के निदेशक मंडल में तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के साथ ही, निदशक मंडल की सदस्य संख्या इष्टतम हो गयी है और निदेशक मंडल की आडिट कमेटी तथा पारिश्रमिक कमेटी का भी पुनर्गठन हो गया है। केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए जारी किये गये 2010 के दिशा-निर्देशों का आई टी पी ओ द्वारा अनुपालन किये जाने के बारे में तीन त्रैमासिक रिपोर्टें 2011-12 के दौरान वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत कर दी गयी है।

आभार

मैं आई टी पी ओ के सभी सदस्यों द्वारा दिये गये सतत और पूर्ण सहयोग एवं समर्थन तथा प्रबन्धन में व्यक्त किए गये विश्वास के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूं। मुझे विश्वास है कि उनके इस सहयोग और विश्वास से आई टी पी ओ भविष्य में नयी उपलब्धियां प्राप्त करेगा।

ह./-

(रीता मेनन)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21.11.2012

प्रगति मैदान में छोटी व्यापारिक बैठकों का आयोजन स्थल – नया विकसित
अन्तरराष्ट्रीय व्यापार लाउंज

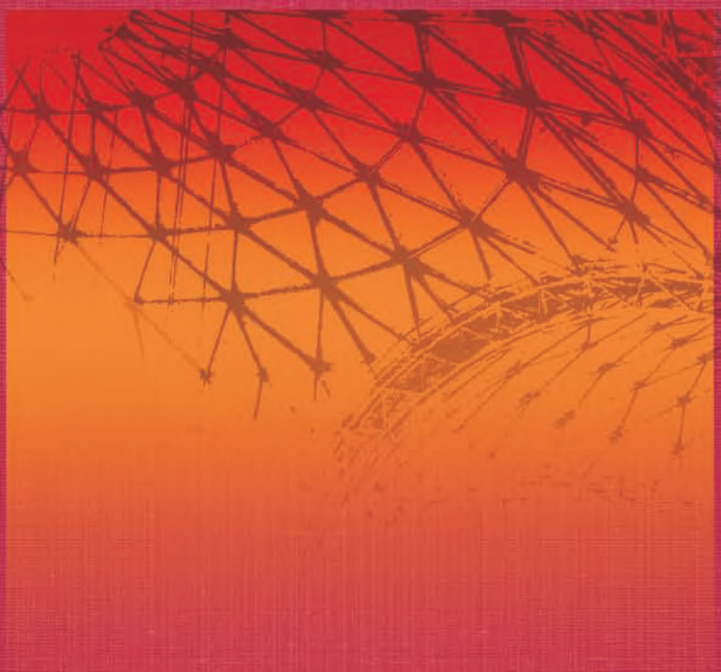

वार्षिक आम बैठक की सूचना

प्रगति मैदान के गेट नं. 1 पर हाल ही में तैयार किया गया सम्मेलन केन्द्र

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जा रही है कि इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन की 35वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यवाही पूरी करने के लिए इसके पंजीकृत कार्यालय - प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001 में बुधवार, 21 नवंबर 2012 को अपराह्न 4.00 बजे होगी:-

सामान्य कार्यवाही

1. 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और कम्पनी का लाभ-हानि विवरण तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा निदेशकों की रिपोर्ट एवं संलग्न सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करना, उस विचार करना और उनका अनुमोदन करना।

2. भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी ऐण्ड ए जी), द्वारा कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त मैमर्स किशोर ऐण्ड किशोर, एकांउटेंट का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्यवाही

3. निम्नलिखित संकल्प पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और यदि ठीक समझा जाये तो संशोधन/नों के साथ या उनके बिना उसे पारित करना,

   "यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17 और अन्य प्रयोज्य उपबन्धों, यदि कोई हो तो, के अनुसरण में कंपनी के संस्था-ज्ञापन के "मुख्य उद्देश्य खण्ड 3" के वर्तमान खण्ड उनके स्थान पर निम्नलिखित नया खण्ड 3क प्रतिस्थापित किया जाय।"

3क. भारत तथा विदेशों में मेलों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों से जुड़े सामान तथा सेवाओं के व्यापार का संवर्धन करना।

   "यह संकल्प भी किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, विलेख तथा चीजें करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है तथा एतद् द्वारा कार्पोरेट मामले मंत्रालय के पास ई-फार्म फाईल करने और ऐसे सभी दस्तावेज, विलेख और लेख जैसे उर्पयुक्त संकल्प को लागू करने के लिए अपेक्षित हो, निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाय।"

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

ह./-
(ए. के. खन्ना)
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.11.2012

टिप्पणियां

1. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 173 (2) के अनुसरण में सूचना में उल्लिखित विशेष कार्यवाही के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण संलग्न किया गया है।

2. बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार कोई भी सदस्य स्वंय के बजाय मतदान के समय बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने का भी हकदार है और उस व्यक्ति को कम्पनी का सदस्य होने की जरूरत नहीं है। तथापि दूसरे व्यक्तियों को नियुक्त करने संबंधी विलेख बैठक आरम्भ होने से 48 (अड़तालीस) घंटे से पहले कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना होगा।

3. दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रोक्सी फार्म इसके साथ संलग्न है।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 173 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 3

आपकी कम्पनी ने अपने कार्यचालन में उद्देश्य खण्ड में बिंदु संख्या 3 को कभी लागू नहीं किया है और अपनी स्थापना के समय से वस्तुओं का व्यापार नहीं किया। अत: यह पूरी तरह अप्रासंगिक है और इसलिए जैसा कि सूचना में बताया गया है, इसके स्थान पर नया खण्ड प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिससे आपकी कम्पनी प्रगति मैदान में आधुनिक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केन्द्र के निमार्ण संबंधी बड़ी नवीकरण योजना जो इस समय विचाराधीन है, में भाग ले सकें।

कम्पनी नये अथवा उन्नत साधनों से अपना मुख्य लक्ष्य प्राप्त कर सकती है तथा कम्पनी का कार्य अधिक मितव्ययतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा कर सकती है, बशर्ते कि सूचना में किये गये उल्लेख के अनुसार उद्देश्य खण्ड में संशोधन कर लिया जाय।

कम्पनी के निदेशकों में से कोई भी इस संकल्प से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित या हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मण्डल विशेष संकल्प द्वारा इस संकल्प को शेयरधारकों की स्वीकृति के लिए संस्तुति करता है।

कम्पनी का ज्ञापन और अन्तर्नियमावली और प्रस्तावित संशोधन की एक प्रति कम्पनी के किसी भी कार्य दिवस को (शनिवार और रविवार को छोड़कर) प्रात: 11.00 बजे से दोपहर पश्चात 3.00 बजे के बीच कम्पनी के सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

निदेशक मण्डल के आदेश से
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाईजेशन
ह./-
(ए. के. खन्ना)
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.11.2012

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

पंजीकृत कार्यालयः- प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, 110001

प्राक्सी फार्म

मैं / हम ---------- जिले के ---------- उपर्युक्त कम्पनी का सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा ---------- के जिले में ---------- को कम्पनी की ---------- को ---------- बजे पूर्वाह्न / अपराह्न कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में और उसके किसी भी स्थगन की स्थिति में मेरी / हमारी ओर से, हमारे स्थान पर मतदान देने के लिए नियुक्त करता हूं / करते हैं।

आज -------- दिनांक ---------- 2012 को हस्ताक्षरित

यहां पर 15 पैसे का रसीदी टिकट लगाएं

टिप्पणी : प्राक्सी फार्म को समुचित रूप से भरकर बैठक के समय से 48 घंटे से अन्यून पूर्व प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली 110001 स्थित पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए।

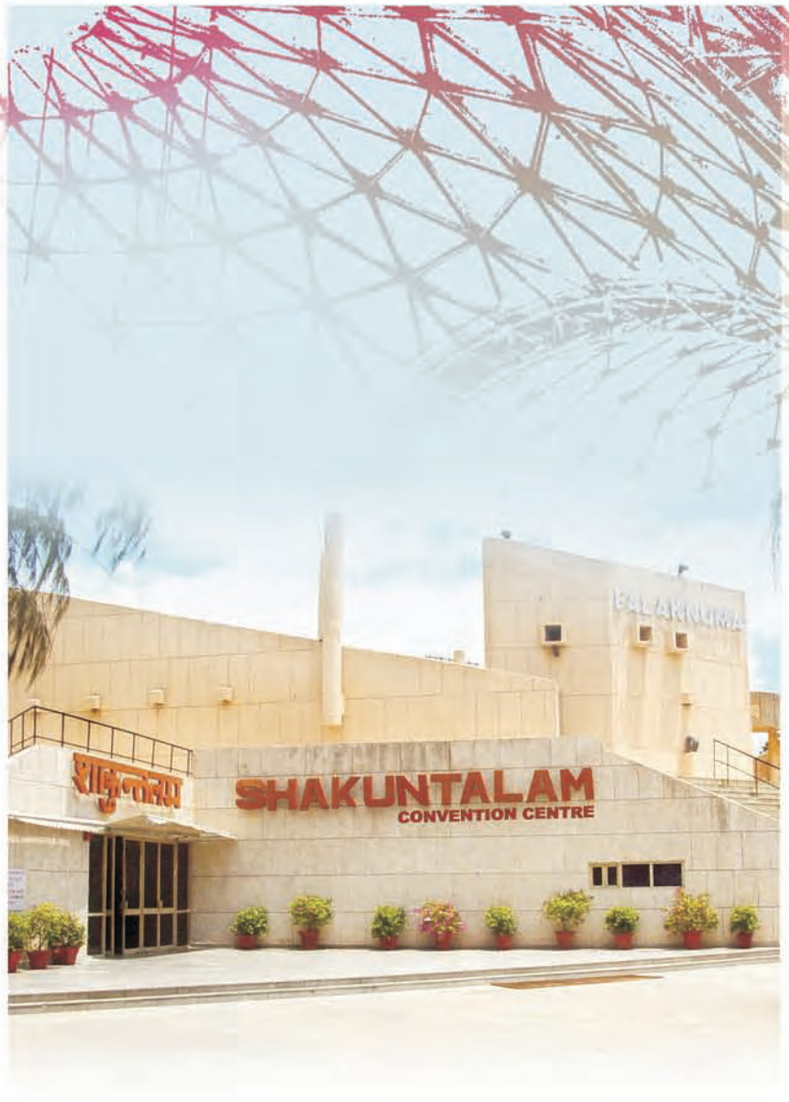

शाकुन्तलम् सम्मेलन केन्द्र

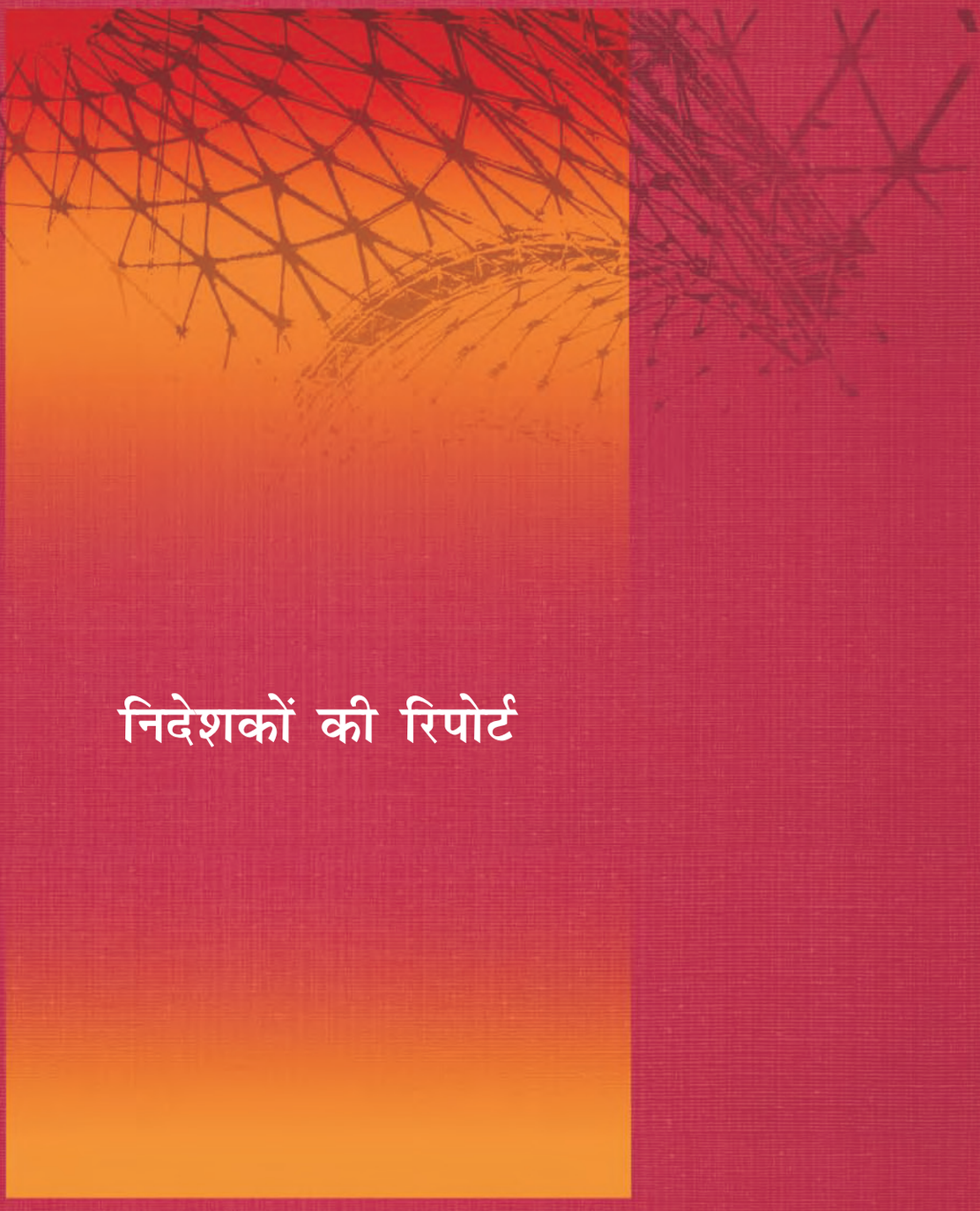

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपार्ट

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (कम्पनी) का निदेशक मण्डल इस संगठन की 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष की 35वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं परीक्षित लेखा सहर्ष प्रस्तुत कर रहा है।

1. वित्तीय विशेषताएं

2011-2012 के दौरान इस आर्गनाइजेशन को कार्य-निष्पादन के फलस्वरूप 183.03 करोड़ रुपये का अधिशेष प्राप्त हुआ जो पिछले वर्ष 70.87 करोड़ रुपये था। सकल आय पिछले वर्ष के 305.12 करोड़ रुपये की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान 373.80 करोड़ रुपये हुई। कुल व्यय वर्ष 2011-12 के 234.25 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2011-12 में 190.77 करोड़ रुपये हुआ।

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है, इसीलिए कोई लाभांश घोषित नहीं करती है। अत: 183.03 करोड़ रुपये की व्यय से अधिक आय अपने पास रख ली गयी है और आरक्षित निधि तथा अधिशेष खाते में डाल दी गयी है।

प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला 2012 की थीम मण्डप का दृश्य

2. निदेशक मण्डल

श्रीमती रीता मेनन ने 3 जनवरी, 2012 से आई टी पी ओ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। श्री राजीव खेर 10 अगस्त 2011 से 2 जनवरी 2012 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रहे थे तथा डा. सुवास पाणि 7 अगस्त 2009 से 6 अगस्त 2011 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे। नीरज कुमार गुप्ता कार्यकारी निदेशक 16 फरवरी, 2010 से आई टी पी ओ बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। बोर्ड के अन्य निदेशक इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	से	तक
1.	डा. राजन कटोच अपर सचिव एव वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली	30.11.2010	जारी
2.	श्री जे. एस. दीपक संयुक्त सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली	18.08.2010	जारी
3.	श्री अमरेन्द्र सिन्हा अपर सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली	30.11.2010	जारी
4.	सुश्री राधिका एल. लोकेश संयुक्त सचिव (आईटीपी) विदेश मंत्रालय नई दिल्ली	07.07.2011	जारी
5.	श्री एस. एम. लोढ़ा 72, पूर्णिमा 63ए, सर पोचखनवाला रोड, वर्ली, मुंबई	12.01.2012	जारी
6.	श्री अभिजित बासु रक्षा लेखाओं के भूतपूर्व अपर महानियंत्रक दिल्ली छावनी	12.1.2012	जारी
7.	श्री डी. एस. रावत महासचिव एसोचैम नई दिल्ली	12.01.2012	जारी
8.	सुश्री रीनत संधु संयुक्त सचिव (आईटीपी) विदेश मंत्रालय नई दिल्ली	01.06.2009	07.07.2011

3. समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)

वर्ष 2012-13 के लिए समझौता ज्ञापन पर, जो अपनी कड़ी में 21वां ज्ञापन है, कम्पनी और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बीच 26 मार्च 2012 को हस्ताक्षर किए गए थे।

इस समझौता ज्ञापन में अन्तर्निविष्ट प्रमुख कार्य निष्पादन मूल्यांकन मानदण्ड निम्न प्रकार हैं:- विस्तारित सूचना पोर्टल की अवधारणा का विकास, विभिन्न अंश स्वामित्वधारियों को सेवा प्रदान करने के लिये व्यापक आईटी इंटरफेस की अवधारणा का विकास, भारतीय निर्यातकों और सेवाओं की सहभागिता प्राप्त करने के लिये उनके क्षेत्रवार डाटाबेस का विकास, आई टी पी ओ के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधि के अंतर्गत मंदबुद्धि बालकों के लिए आशा किरण होम में एक डारमेट्री भवन का निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी के

प्रगति मैदान में आहार 2012 प्रदर्शनी

उपकरणों का प्रयोग कर के प्रलेखीकरण एवं सिस्टम विकास के लिए दक्षता उन्नयन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के जरिये कर्मचारी संख्या को युक्तिसंगत बनाना, सम्मेलनों एवं गोष्ठियों के लिए फुलवारी का नवीकरण और हॉल नं. 7 में कान्फ्रेंस हाल का नवीकरण।

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए सकल लाभ, कुल बिक्री और निवल अधिशेष के लिए क्रमशः 198.00 करोड़ रुपये, 84.00 करोड़ रुपये और 80.00 करोड़ रुपये के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

4. विदेशों में आयोजित मेले

वर्ष 2011-12 के दौरान आई टी पी ओ ने मैक्सिको, कजाकिस्तान में एक इण्डिया शो और ओसाका, जापान में 2 मिनी इण्डिया शो सहित कुल 26 विदेशी व्यापार मेलों में भागीदारी आयोजित की। इन 26 मेलों में से 7 यूरोप में, 6 अफ्रीका एवं मध्य पूर्व क्षेत्र मे, 6 अमेरिका में, 5 एशिया में और एक-एक सार्क क्षेत्र और सी आई एस में आयोजित किए गए। इन 26 मेलों में से 10 सामान्य मेले तथा 16 विशेषीकृत मेले थे।

कुछ प्रमुख मेलों में ग्रीष्म फैंसी फूड शो (न्यूयार्क) यू एस ए, अनूगा खाद्य पदार्थ मेला (कोलोन) जर्मनी, भारतीय परिधान मेला और भारतीय घरेलू फर्नीशिंग मेला (ओसाका) जापान, एशिया पेसीफिक चमड़ा मेला (हांगकांग), ए एफ एल, आर्टिजियानो डी फिएरा एवं अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, मिलान (इटली) शामिल थे।

प्रगति मैदान में आयोजित नक्षत्र 2012 प्रदर्शनी का विहंगम दृश्य

यह वर्ष आई टी पी ओ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय हार्डवेयर शो, लास वेगास, ए ए पी ई एक्स, लास वेगास, सऊदी एग्रो-फूड रियाध तथा ए सी एल ई, शंघाई और अनूगा खाद्य पदार्थ मेला कोलोन, नामक 5 विशेषीकृत वस्तु बी-2-बी मेलों में सफल भागीदारी का गवाह बना।

वर्ष 2011-12 के दौरान जापान में दो पूर्णतः भारतीय वस्तु मेलों- इण्डिया होम फर्निशिंग मेला तथा भारतीय परिधान मेला का आयोजन किया गया। ये दोनों मेले सुप्रसिद्ध हैं तथा इन उत्पादों के प्रमुख स्रोत जुटाने के साधन हैं। इन दोनों मेलों से कुल मिलाकर 252 लाख अमरीकी डालर का व्यापार हुआ तथा इनमें 2127 व्यापारी दर्शक पधारे।

वर्ष 2012-13 में आई टी पी ओ का ओसाका में 2 मिनी इण्डिया शो सहित 28 विदेशी व्यापार मेले आयोजित करने का प्रस्ताव है और मूबा (बासेल) स्विटजरलैंड, 2012 में अतिथि देश के रूप में तथा साइटैक्स (जोहानसबर्ग) दक्षिण अफ्रीका में साझेदार देश के रूप में भाग लेगा।

5. विपणन विकास सहायता प्रकोष्ठ

वाणिज्य विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) ने ऐसे निर्यातकों को, जो अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों आदि के भी सदस्य हैं और आई टी पी ओ द्वारा आयोजित की जाने वाली उन विभिन्न प्रदर्शनियों/मेलों में भाग ले रहे हैं, जो बाजार विपणन सहायता योजना के अंतर्गत प्रदर्शनी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत है, विपणन विकास सहायता अनुदान के भुगतान के लिए 01 दिसम्बर 2007 से कम्पनी को अनुदान प्रदाता संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

बाजार विपणन सहायता योजना के अन्तर्गत प्रदर्शनी सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 2011-12 में कुल 5 मेलों को स्वीकृति प्रदान की गई ।

6. भारत में आयोजित मेले

आई टी पी ओ ने वर्ष 2011-12 के दौरान भारत में 10 मेले आयोजित किए जिनमें से 7 दिल्ली में और 3 क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किए गए थे।

नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में वर्ष के दौरान आयोजित मेलों में भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला 28-30 जुलाई 2011, दिल्ली पुस्तक मेला 27 अगस्त से 4 सितम्बर 2011, स्टेशनरी मेला, 27 अगस्त से 4 सितम्बर 2011, 14वां भारतीय सिक्योरिटी एक्स्पो 12-15 अक्टूबर 2011, नई दिल्ली, विशालकाय भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आई आई टी एफ) 14-27 नवम्बर 2011 तथा आहार-अन्तरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला, 12-16 मार्च 2012 शामिल थे।

दिल्ली से बाहर क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित 3 मेले- आहार अन्तरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला चेन्नई, 25-27 अगस्त 2011 और विशेषकृत चमड़ा सामान मेला 18-20 सितम्बर, 2011 कोलकता में और चेन्नई में 31 जनवरी से 1 फरवरी 2011 तक आयोजित किये गये।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित मेले

28 से 30 जुलाई 2011 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली के हाल 18 में पहला भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला 2011 आयोजित किया गया। मेले का उद्घाटन माननीय केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य विभाग के वाणिज्य सचिव श्री राहुल खुल्लर ने किया। इस मेले में प्रदर्शित वस्तुओं में तैयार चमड़ा, रसायन, संघटक तथा मशीनरी और उपकरण तथा प्रौद्योगिकी और प्रकाशन आदि शामिल थे। यह मेला कुल 2500 वर्ग मीटर में क्षेत्र में लगाया गया और इसमें 17 विदेशी कम्पनियों सहित कुल 100 कम्पनियों ने भाग लिया। मेले में विदेशी भागीदारी काफी महत्वपूर्ण थी जिसमें इटली और चीन के कम्पनी ग्रुपों ने भाग लिया। 89 विदेशी व्यापारी दर्शकों सहित 23 देशों से आये 2788 व्यापारी दर्शकों ने भाग लिया। मेले के दौरान सी एल आर आई, सीएलई और आई टी पी ओ ने संयुक्त रूप से 'न्यू ओरिएटेसंस' नामक थीम मंडप की स्थापना की।

आई टी पी ओ द्वारा 17वें दिल्ली पुस्तक मेले तथा 13वें स्टेशनरी मेले का आयोजन हाल नं 8 से 12ए में साथ-साथ 27 अगस्त से 4 सितम्बर, 2011 तक किया गया। यह आयोजन 6300 वर्ग मी. क्षेत्र में फैला था। दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन भारतीय प्रकाशक संघ के निकट सहयोग से किया गया। इन दोनों मेलों का उद्घाटन माननीय मानव संसाधन विकास एवं संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा किया गया। दिल्ली पुस्तक मेले में यूनाइटेड किंगडम, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पाकिस्तान सहित भारत और विदेशों के 250 प्रदर्शकों ने भाग लिया। इस मेले का थीम था- "यात्रा एवं पर्यटन"। इस आयोजन को अधिक सार्थक बनाने के लिए "हाव टु स्टडी इंटेलिजेन्टली," "डिस्कवर द जीनियस इन योर चाइल्ड", "भ्रष्टाचार- विभिन्न आयाम" जैसे विषयों पर कई सेमिनारों का आयोजन किया गया। दिल्ली पुस्तक मेले में विजेता भागीदारों को प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिये गये। स्टेशनरी मेले में 42 कम्पनियों ने भाग लिया। स्टेशनरी मेले में पहली बार विजेता भागीदारों को प्रदर्शनी में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार भी दिये गये।

आई टी पी ओ द्वारा 12-15 अक्टूबर 2012 के दौरान प्रगति मैदान में 14वीं भारतीय अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन भारत सरकार के माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन करने में गृह मंत्रालय द्वारा सहयोग दिया गया। यह प्रदर्शनी सरकार के उस उद्देश्य के अनुरूप थी कि सुरक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण को इस प्रकार संवर्धित किया जाय जो बढ़ते हुए खतरे की अवधारणा और मंदी से अप्रभावित इस उद्योग में निहित सतत व्यापार वृद्धि की सतत संभावना के अनुरूप हो क्योंकि लोगों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा इस उद्योग के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। प्रदर्शनी में निगरानी, विस्फोट सामग्री का पता लगाने और उसका निपटारा करने, अग्निशमन, एक्सेस कन्ट्रोल, रेडियो संचार, विमान तथा आतिथ्य सुरक्षा, ट्रैफिक मानीटरिंग, आपदा प्रबन्धन, प्रशिक्षण उपकरण तथा घर और वाहनों की सुरक्षा क्षेत्र से

भविष्य की सुरक्षा: तेरहवीं भारतीय अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी में भागीदारी का खण्ड

सम्बन्धित भागीदार कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत नये उपकरण और सिस्टम श्रृंखला पर फोकस किया गया। इसके पीछे विचार यह था कि पुलिस और पैरा मिलिट्री बलों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने और उनके हथियारों का आधुनिकीकरण करने की सरकार की पहल को और आगे बढ़ाया जाय। प्रदर्शनी में भारत और विदेशों के व्यापारी दर्शकों सहित 3900 से अधिक दर्शक आये। इन दर्शकों में केन्द्रीय और पैरा-मिलिट्री बलों, राज्यों के सुरक्षा बल तथा व्यापार एवं उद्योग के संस्थागत खरीददार और सरकार के नीति निर्माता शामिल थे। विदेशी दर्शक बेल्जियम, कनाडा, दुबई, जर्मनी, नाईजीरिया, नीदरलैण ड्स, न्यूजीलैण्ड, रूस, सिंगापुर, स्विटजरलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, युनाईटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। प्रदर्शनी के दौरान सामूहिक महत्व के अनेक सेमिनारों का आयोजन किया गया।

31वां भारतीय अंतराष्ट्रीय व्यापार मेला 2011 प्रगति मैदान में 14 से 27 नवम्बर 2011 तक आयोजित किया गया। इस मेले का उद्घाटन माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा किया गया। माननीय केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा कपड़ा मंत्री श्री आनन्द शर्मा विशिष्ट अतिथि थे। "भारतीय हस्तशिल्प- निपुण हाथों का जादू" भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2011 का उद्दिष्ट विषय था। झारखंड और पश्चिम बंगाल - दो साझेदार राज्य और बिहार तथा उड़ीसा आई आई टी एफ 2011 के दो फोकस राज्य थे। किसी भी आई आई टी एफ में लगातार दूसरे वर्ष सभी प्रवेश द्वारों पर सामान की एक्सरे व्यवस्था के अलावा भागीदारों के लिए ऑन लाईन, स्पेस बुकिंग और फ्लैप बैरियरों से होकर लोगों के प्रवेश की व्यवस्था जारी रही। मेले

आई आई टी एफ 2011 के थीम मण्डप में प्रदर्शित भारतीय हस्तशिल्प परम्परा के चुनिंदा उत्पाद

को मुख्य रूप से व्यापारिक आयाम देने के लिए पहले पांच दिन- 14-18 नवम्बर 2011 पूरी तरह आई आई टी एफ में भी व्यापारी दर्शकों के लिए आरक्षित रखे गये। 26 देशों के 230 विदेशी प्रदर्शकों (200 ने अपने-अपने राष्ट्रीय मण्डपों में और 30 ने स्वतंत्र रूप से) ने अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के साथ-साथ 6 हजार प्रदर्शकों ने अपने उत्पाद और सेवाएं मेले में प्रदर्शित की। इस मेले के साथ-साथ सामाजिक विषयों के बारे में कई सेमिनार और सम्मेलन भी आयोजित किये गये। 47 देशों से आए 1562 व्यापार प्रतिनिधियों सहित भारत और विदेशों से आये 27857 व्यापारी दर्शकों के अलावा 15 लाख से भी अधिक आम दर्शकों ने आई आई टी एफ 2011 मेला देखा। दर्शकों में उद्योग से जुड़े अग्रणी व्यक्ति, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, निर्यातक, आयातक, विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल एवं खरीददार, निर्माता, सप्लायर, मार्किटिंग और सीधे बिक्री करने वाली कम्पनियां, सरकारी एजेंसियां, सेवा एजेंसियां, आम नागरिक, नौकरशाह एवं नीति निर्माता और मीडियाकर्मी शामिल थे। आई आई टी एफ 2011 के दर्शकों के लाभ के लिए पार्क एण्ड राइड सुविधा और परिक्रमा बस सेवा आई टी पी ओ द्वारा की गई बड़ी पहलों में शामिल थी जो मेले के दौरान प्रगति मैदान में दर्शकों को बिना किसी बाधा के प्रवेश कराने के लिए दिल्ली के विभिन्न भागों से प्रगति मैदान तक आने-जाने के लिए मेट्रो और सड़क दोनों में अतिरिक्त सरकारी परिवहन की व्यवस्था की गयी। इसके अतिरिक्त प्रदर्शकों और दर्शकों की खाद्य और पेय पदार्थों की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रगति फूड प्लाजा, जिसमें प्रगति फूड कोर्ट और प्रगति कैफे शामिल थे, में राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध कराये गये। विशेष रूप से बनाए गये क्योस्कों में अन्तरराष्ट्रीय व्यंजनों की व्यवस्था भी की गयी। स्वतंत्र ऐजेसी द्वारा भागीदार कम्पनियों के बीच कराये गये ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में पता चला कि लगभग 92 प्रतिशत प्रदर्शक अगले आई आई टी एफ मेले में पुन: अपनी भागीदारी दोहराना चाहेगें।

आई टी पी ओ ने 25 फरवरी से 4 मार्च 2012 तक फ्यूचर प्वाइंट, नई दिल्ली के सहयोग से प्रगति मैदान के हाल नं 18 में 1316 वर्ग मीटर क्षेत्र में 7वें नक्षत्र मेले का आयोजन किया जिसमें 125 कम्पनियों ने भाग लिया जिन्होंने इस मेले में कम्प्यूटर के माध्यम से ज्योतिषीय गणनाओं एवं भविष्यवाणियों में आधुनिक वैज्ञानिक

तकनीकों के उपयोग में संस्थानों के प्रयासों को प्रस्तुत किया तथा उपायपरक उत्पादों एवं सेवाओं सहित ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्र, अंक-ज्योतिष, टेरोट, फेंगसुई, रेकी, विगत जीवन में वापसी, रत्न विज्ञान, आभामण्डल का अध्ययन तथा आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय समाधान तथा परामर्श का प्रदर्शन किया। मेले के दौरान सामयिक विषयों पर प्रस्तुति एवं सेमिनार भी आयोजित किऐ गए।

आई टी पी ओ ने 12-16 मार्च, 2012 के दौरान प्रगति मैदान में हाल न. 7-12 और 12ए, 15 और 18 में आहार-अन्तरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले की 27वीं कड़ी के अन्तर्गत 'फूड इण्डिया' और 'हास्पिटलिटी इण्डिया' नामक दो प्रदर्शनियों का आयोजन साथ-साथ किया। विगत वर्षो की भांति यह आयोजन भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और अन्य सहयोगियों के सहयोग से किया गया। इस मेले का उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग और कपड़ा मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने किया। प्रदर्शित उत्पादों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अल्कोहल युक्त पेय, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी और उपकरण, पैकिजिंग व मिलिंग उपकरण, मुर्गी पालन, डेयरी और कंफैक्शनरी उपकरण, वातानुकूलन रेफ्रिजेशन, शीत भण्डारण सिस्टम तथा वायु व जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, लॉण्ड्री, आंतरिक और घर की देखभाल संबंधी उपकरण, होटल और रसोई उपकरण, स्वास्थ्य और फिटनेस उपकरण एवं परामर्शदायी सेवाएं शामिल थे। बेकरी और कंफैक्शनरी उत्पादों, वाइन सेवाओं और पाककला शो पर विशेष जोर दिया गया। मेले का उद्दिष्ट विषय था 'इण्डियन फूड बास्केट - सील ऑफ क्वालिटी'। भारत से 565 भागीदारों ने और विदेशों- आस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क, हांगकांग, इटली, जापान, पाकिस्तान, स्वीडन, ताइवान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यू के, यूएसए, वियतनाम और पोलैण्ड से 72 भागीदारों ने भाग लिया। यह मेला 39000 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्र में लगा।

खाद्य और आतिथ्य उद्योग के विषय जैसे 'खाद्य संरक्षण एवं गुणवत्ता' 'क्रय प्रबन्धक सम्मेलन', 'ग्रीन सप्लाईज ऐण्ड मेंकिंग प्रोक्योरमेण्ट मैटर' और 'सोर्सिंग थ्रू सोशल मीडिया' के बारे में मेलों के दौरान कई विचार गोष्ठियां आयोजित की गईं। 23 देशों से 26 व्यापारी दर्शकों सहित कुल 22264 व्यापारी दर्शकों ने मेला देखा। मेले के अंतिम दिन, भाग लेने वाली कम्पनियों को स्टालों और उत्पाद प्रदर्शन की श्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए पुरस्कार दिये गये।

दिल्ली से बाहर क्षेत्रीय स्तर पर मेलों का आयोजन

इस शृंखला में छठा क्षेत्रीय मेला- आहार- अन्तरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला 84 भारतीय एवं विदेशी भागीदारी कम्पनियां के साथ 2968 वर्ग मीटर क्षेत्र पर 25-27 अगस्त 2011 के दौरान चेन्नई में आयोजित किया गया । मेले का उद्घाटन तमिलनाडु सरकार के सहकारिता, खाद्य पदार्थ एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री टी. एन. रामनाथन, आई ए एस ने किया । मेले में प्रदर्शित उत्पादों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थो के प्रसंस्करण हेतु मशीनरी एवं उपकरण, पैकेजिंग, मिलिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी एवं कन्फेक्शनरी उपकरण, वातानुकूलन, रेफ्रिजरेशन, शीत भण्डारण पद्धति, वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण, लाण्ड्री, इण्टीरियर एवं हाउसकीपिंग उपकरण, होटल एवं रसोई उपकरण, स्वास्थ्य उपकरण तथा परामर्श सेवाएं शामिल थीं। बड़ी होटल श्रृंखला के मालिकों एवं दक्षिण भारत के छोटे शहरों के दर्शकों ने मेला देखा ।

आई टी पी ओ द्वारा 18 से 20 सितम्बर 2011 के दौरान कोलकाता में 17 वां अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा सामान मेला आयोजित किया गया था जिससे पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों में स्थित चमड़ा सामान निर्माताओं के लिए एक मंच उपलब्ध हो सके । मेला 771 वर्गमीटर के निवल क्षेत्र में फैला हुआ था और इससे 47 भागीदारों ने भाग लिया । सभी चमड़ा सामान, चमड़ा निर्माण करने वाली मशीनों और परिष्करण करने वाले रसायनों सहित सभी प्रकार के उत्पादों की श्रृंखला मेले में दर्शायी गयी थी । 1020 व्यापारी दर्शकों ने इस मेले का अवलोकन किया जिसमें आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, मारीशस, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, पोलैण्ड, रूस, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, युनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका के 48 विदेशी दर्शक शामिल थे ।

चेन्नई में 31 जनवरी-3 फरवरी 2012 तक 17 वां भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला आयोजित किया गया । मेले में चमड़ा उद्योग से सम्बन्धित सम्पूर्ण उत्पादों एवं सेवाओं का प्रदर्शन किया गया । इस मेले का आयोजन 9515 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया था । मेले में 24 देशों

के 140 विदेशी प्रदर्शकों सहित 433 कम्पनियां ने भाग लिया । विदेशी भागीदारी ब्राजील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, एवं थाइलैण्ड की सामूहिक भागीदारी तथा बंगलादेश, मैक्सिको, न्यूजीलैण्ड, पोलैण्ड, रूस, सऊदी अरब, श्रीलंका, नीदरलैंड, टर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर, ईरान, केन्या, पुर्तगाल, स्विटजरलैण्ड, और ताइवान कम्पनी स्तर की भागीदारी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी । वैश्विक आर्थिक मन्दी को ध्यान में रखते हुए आई आई एल एफ ने चमड़ा एवं चमड़े से संबंधित क्षेत्र में क्रेताओं एवं विक्रेताओं को विशाल मंच प्रदान करते हुए अपनी स्थिति को बनाए रखा। सी एल आर आई, सी एल ई एवं आई टी पी ओ ने संयुक्त रूप से "वर्सेलिटि इन कंट्रास्ट" नामक थीम मण्डप की स्थापना की ।

7. अन्य मेले

प्रगति मैदान में विशेषीकृत एवं सामान्य व्यापार मेले- प्रदर्शनियां- सम्मेलनों और अन्य मेलों एवं गतिविधियों को आयोजित करने के लिए प्रदर्शनी हाल एवं सम्मेलन स्थल सुविधाएं व्यापार एवं उद्योग-जगत के लिए उपलब्ध करायी गयी । उद्योग संघों, केन्द्रीय मंत्रालयों, निर्यात संवर्धन संगठनों और अन्य मेला आयोजकों द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान प्रगति मैदान में 77 मेले आयोजित किये गए । इन मेलों में आटो एक्स्पो 2012, विश्व पुस्तक मेला 2012, प्लास्ट इण्डिया 2012 डिफेक्स्पो 2012, विल्स लाइफ स्टाइल फैशन वीक 2011 प्रमुख थे ।

पुस्तक प्रेमियों का आनन्द: दिल्ली पुस्तक मेले के स्टाल पर दर्शक

वर्ष 2011-12 के दौरान प्रगति मैदान की उपयोग दर 56.68 प्रतिशत हो गयी । वर्ष 2012 -13 के दौरान प्रगति मैदान में 65 मेलों/ प्रदर्शनियों को आयोजित करने का कार्यक्रम है ।

व्यापार प्रतिनिधिमण्डल

आई टी पी ओ ने यू एस ए, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस एवं जापान के 31 प्रतिनिधिमण्डलों की मेजबानी की और उनकी यात्राओं के दौरान व्यापार मेलों एवं आन-साइट बैठकों में विविध किस्म के उत्पादों एवं सेवाओं से संबद्ध संभावित भारतीय कम्पनियों के साथ उनकी बैठकें आयोजित की ।

निर्यात संभावनापरक विचार गोष्ठियां

आई आई टी एफ 2011 के दौरान साझेदार राज्य/राज्य सरकारों/संगठनों के सहयोग से 34 विचार गोष्ठियां आयोजित की गई । आई आई टी एफ 2011 के थीम हस्तशिल्प को ध्यान में रखते हुए आई टी पी ओ ने हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् के सहयोग से 1. भारतीय हस्तशिल्प-विपणन में चुनौतियां 2. भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र में डिजाइन और उत्पाद विकास एक आवश्यकता और 3. भारतीय हस्तशिल्प की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मकता मानक और गुणवत्ता अनुपालन जैसे विषयों पर 3 विचार गोष्ठियां आयोजित की ।

अन्य व्यापार संवर्धन संगठनों के साथ सहयोग

आई टी पी ओ सदस्यता अथवा समझौता ज्ञापन जैसे सहयोगात्मक करारों के माध्यम से व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में कार्यरत अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ नेटवर्किंग कर रहा है । आई टी पी ओ ने पाकिस्तान के व्यापार विकास प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे जिसके अन्तर्गत दोनों देशों में अपने-अपने देशों में पार्टियों द्वारा आयोजित किये जाने वाली मेलों के कैलेण्डर तथा प्रकाशनों के आदान-प्रदान के लिये एक दूसरे के कार्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान शामिल था । आई टी पी ओ एशिया व्यापार संवर्धन फोरम (ए टी पी एफ) का संस्थापक सदस्य है और इसकी वार्षिक बैठकों में नियमित रूप से भाग लेता हे ।

8. व्यापार सूचना संबंधी कार्यकलाप

आई टी पी ओ के प्रगति मैदान, नई दिल्ली स्थित व्यापार सूचना केन्द्र (हाल नं. 19) में एक पुस्तकालय और इलेक्ट्रानिक पुस्तकालय है जिसमें व्यापार संवर्धन हेतु जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं । पुस्तकालय को नवीनतम सूचना में अद्यतन बनाये रखने के लिए आई टी पी ओ व्यापार से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापार और उद्योग की रूचि वाले प्रकाशन और पत्रिकाएं बहुत बड़ी संख्या में मंगाता है । वर्ष 2011-12 के दौरान 120 पत्रिकाओं तथा 105 पुस्तकों सहित व्यापार से संबंधित 34 प्रकाशन और लगभग 34 सी डी रोम इस केन्द्र में जोड़े गए ।

आई टी पी ओ व्यापार एवं उद्योग जगत के लाभ के लिए नियमित रूप से 'इण्डियन एक्सपोर्ट बुलेटिन' (आई.ई.बी.) नामक एक साप्ताहिक प्रकाशन भी प्रकाशित कर रहा है जिसमें विदेशों की बाजार संबंधी जानकारी, व्यापारिक अवसर, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट, व्यापार मेले और प्रदर्शनी,राष्ट्रीय तथा विदशी टेण्डर सूचनायें और आई टी पी ओ के क्रियाकलाप शामिल होते हैं । वर्ष 2011-12 के दौरान इण्डियन एक्सपोर्ट बुलेटिन (आई.ई.बी.) के 52 अंक प्रकाशित किए गये और व्यापार एवं उद्योग जगत को तत्काल उपलब्ध कराने के लिए आई टी पी ओ की वेबसाइट (www.tradeportalofindia.org) पर उपलब्ध कराये गये हैं ।

इस केन्द्र की कोम्पास डाटा बेस से 66 देशों के निर्यातकों / आयातकों/ निर्माताओं / एजेंटों / विभागीय भंडारों / वितरकों / थोक विक्रेताओं / व्यापारियों के बारे में आन-लाइन पहुंच है । कोम्पास से खोजी जा सकने वाली 3 मिलियन कम्पनियों और 57000 से अधिक उत्पादों एवं सेवाओं का वर्गीकृत डाटा बेस उपलब्ध है ।

आई टी पी ओ एक ट्रेड पोर्टल (www.tradeportalofindia.org.) का रख-रखाव एवं संचालन कर रहा है । इस पोर्टल की स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत एवं यूरोपीय संघ के मध्य व्यापार संवर्धन हेतु यूरोपीय संघ- भारतीय व्यापार निवेश एवं विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत की गयी थी । आई टी पी ओ को यह पोर्टल 01 जनवरी 2008 को सौंपा गया था । यह पोर्टल भारत - यूरोपीय संघ के देशों को सूचना उपलब्ध कराने के अलावा अन्य देशों तथा क्षेत्रों को भी सूचना प्रदान करता है । यह सम्बन्धित सरकार को वेबसाइटों को भी जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है । उससे यह विभिन्न देशों के व्यापारिक आंकड़े, बाजार सर्वेक्षण सैक्टर- आधारित संदर्शिका इत्यादि से संबंधित सूचनाएं आफ लाइन एवं आन लाइन प्राप्ति (एक्सेस) करने की भी सुविधा प्रदान करता है । इस समय इस पोर्टल में यूरोपीय संघ के 27 देशों सहित 100 से भी अधिक देशों के विषय में सूचनाएं उपलब्ध हैं ।

9. सांस्कृतिक कार्यकलाप

सांस्कृतिक एकक ने प्रसिद्ध कलाकारों/ कलाकार - समूहों द्वारा आई आई टी एफ 2011 के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में शामिल थे - गायन एवं वाद्य संगीत, कव्वाली, गीत और गजलें, नुक्कड़ नाटक और पपेट शो । प्रतिभागी राज्य सरकारों द्वारा राज्य दिवस समारोह भी मनाए गए । शाकुन्तलम् थियेटर में 31 मार्च 2012 तक प्रतिदिन तीन बार नियमित रूप से फिल्में प्रदर्शित की गयी परन्तु शाकुन्तलम थियेटर को कनवेंशन सुविधाओं में परिवर्तित करने का निर्णय किया गया । अत: 2011-12 के आखिरी दिन से नियमित स्क्रीनिंग को बंद कर दिया गया ।

कारपोरेट संचार सेवायें

आई टी पी ओ ने वर्ष के दौरान प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक, आउटडोर एवं इण्टरनेट मीडिया के माध्यम से अपने कार्यक्रमों के संवर्धन के लिए सेवायें प्रदान करना जारी रखा । भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली पुस्तक मेला, स्टेशनरी मेला, भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, आहार, नक्षत्र और अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी के लिए विशाल प्रचार अभियान चलाये गये थे । इस कार्य के अन्तर्गत प्रैस में प्रकाशन सामग्री के लिए प्रैस के साथ सम्पर्क करने, प्रैस सम्मेलनों के आयोजन तथा प्रैस ब्रीफिंग, प्रैस और मीडिया को नियमित रूप से जानकारी देने, मेला गाइड, फोल्डर तथा विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में ब्रोशर जैसे

संवर्धनात्मक साहित्य के प्रकाशन के माध्यम से आई टी पी ओ ने नियमित कारपोरेट प्रचार का कार्य किया ।

आई टी पी ओ के क्रियाकलापों संबंधी जानकारी का भारत और विदेश में व्यापार और उद्योग-जगत, केन्द्रीय मन्त्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, निर्यात संवर्धन परिषदों आदि के बीच प्रसार करने के लिए आई टी पी ओ ने एक त्रैमासिक न्यूजलैटर 'लाग आन' (हिन्दी में 'दर्पण') का भी प्रकाशन किया ।

11. कम्प्यूटरीकरण

सूचना के आदान-प्रदान एवं दैनिक आधार पर तैयार डाटा के केन्द्रीकृत भण्डारण हेतु आई टी पी ओ में सभी विभागों को एक व्यापक नेटवर्क से जोड़ा गया है ।

एक कार्पोरेट वेबसाइट (www.indiatradefair.com) आई टी पी ओ के विभिन्न विभागों की गतिविधियों के बारे में कार्पोरेट जानकारी उपलब्ध कराती है । इनमें अत्यधिक सम्पर्क के साथ थर्ड पार्टी मेलों और देश व विदेशों में आयोजित किये जाने वाले मेलों के बारे में जानकारी शामिल होती है । सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार विक्रेताओं, ग्राहकों और आम जनता के लाभ हेतु कार्पोरेट वेबसाइट पर सूचना के अधिकार सम्बन्धी अधिनियम से सम्बन्धित सूचनाएं और टेण्डर नोटिसों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है ।

जोहानसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में साइटेक्स 2012 प्रदर्शनी में भारत मण्डप

वेबसाइट : कारपोरेट वेबसाइट के अलावा, आई टी पी ओ भारत और विदेशी में आयोजित किये जाने वाले अपने मेलों और प्रदर्शनियों के बारे में मेलों संबंधी विशिष्ट इंटरएक्टिव वेबसाइट भी संचालित करता है जिनमें उस मेले के बारे में सामान्य सूचना, आवेदन पत्र, ग्राहकों से फीडबैक प्राप्त करने का फार्म और विभिन्न मेलों के लिए दर्शकों का आनलाइन पंजीकरण होता है ।

फाइल ट्रेकिंग सिस्टम : नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर (डाक्यूमेन्ट मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) द्वारा विकसित एक कम्प्यूटरीकृत फाइल ट्रेकिंग सिस्टम आई टी पी ओ में लागू किया जा चुका है जो फाइलों और प्राप्तियों का ट्रैक रखने का कार्य करने में बहुत ही सफल रहा है।

टच स्क्रीन क्योस्क : व्यापारी दर्शकों और सामान्य दर्शकों, दोनों के फायदे के लिए आई टी पी ओ अपने प्रमुख मेलों के दौरान प्रगति मैदान में विभिन्न स्थानों पर टच स्क्रीन क्योस्क स्थापित करता है, जिसमें सम्बन्धित मेले की जानकारी के अलावा प्रदर्शित उत्पादों, विभिन्न स्टालों की स्थिति और उस मेले में दर्शकों को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी होती है ।

व्यापारी दर्शकों का पंजीकरण : आई टी पी ओ अपने मेलों में विभिन्न उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापारी दर्शकों के बारे में डाटा बेस बनाने की दृष्टि से, भारत में अपने द्वारा आयोजित किये जाने वाले सभी मेलों के दौरान व्यापारी दर्शकों का मौके पर ही पंजीकरण करने की व्यवस्था करता है ।

व्यापार केन्द्र : व्यापारी दर्शकों के लाभ के लिए भी आई टी पी ओ अपने सभी प्रमुख मेलों में व्यापार केन्द्रों/साइबर कैफे की व्यवस्था करता है जिनमें इन्टरनेट कनेक्शन, ई-मेल, फोटो कोपियर, कम्प्यूटरों इत्यादि की सुविधाएं होती हैं ।

ज्ञान प्रबन्धन प्रणाली : एक नई पहल के रूप में आई टी पी ओ की कारपोरेट वेबसाइट (www.indiatradefair.com) पर ज्ञान प्रबन्धन प्रणाली का एक सैक्शन बनाया गया है । महत्वपूर्ण परिपत्रों/ नीतियों/ नियमों को इस प्रणाली पर अपलोड किया गया है । यह एक नियमित

प्रक्रिया है और विभिन्न प्रभागों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्र/आदेशों/नीतियों आदि को इस साइट पर नियमित रूप से अपलोड किया जा रहा है ।

आई आई टी एफ के लिए मानक परिचालन कार्यविधि : आई आई टी एफ के लिये मानक परिचालन कार्यविधि पर एक रिपोर्ट तैयार की गयी । इस रिपोर्ट में आई आई टी एक का समग्र परिदृश्य, आई आई टी एफ की मास्टर चैकलिस्ट, आई आई टी एफ से सम्बन्धित विभिन्न प्रभागों के कार्यकलापों को संबद्ध करने के लिये विभिन्न विभागों द्वारा अपनायी गयी मानक परिचालन कार्यविधि, मेले के मैनुअल में समाविष्ट प्रदर्शकों के लिये मानक परिचालन कार्यविधि, मेला देखने के कार्य को सुगम बनाने के लिस महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिये दर्शकों हेतु मानक परिचालन कार्यविधि, प्रतिभागिता जुटाने तथा दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिये नमूना पत्र, प्रतिभागिता के लिये आवेदन पत्र, व्यापारी दर्शकों के पंजीकरण तथा वीजा सिफारिश पत्र, आई आई टी एफ के लिये मेले से संबंधित विभिन्न कार्यकपालों को पूरा करने के लिये लक्ष्य तिथियों का दर्शन वाले विवरण चार्ट (पर्ट चार्ट) का समावेश किया गया है ।

12. प्रशासन और मानव संसाधन विकास

वर्ष 2011-12 के दौरान 44 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया तथा 216 कर्मचारियों का गहन सुनिश्चित आजीविका प्रगति योजना (आई ए सी पी एस) के अन्तर्गत व्यक्तिगत ग्रेड उन्नयन किया गया । आई टी पी ओ द्वारा आरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिये सम्पर्क अधिकारी नामित किये गये हैं । प्रत्येक विभागीय पदोन्नति समति/ चयन समिति की बैठकों में इन वर्गों के उम्मीदवारों के हितों पर ध्यान दिने के लिय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के उचित स्तर के अधिकारी को शामिल किया जाता है । विकलांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में अन्तर्विष्ट अशक्त व्यक्तियों को पदों/सेवाओं में आरक्षण देने संबंधी उपबन्धों का अनुपालन किया गया ।

कल्याण कार्य की दृष्टि से, सभी पात्र कर्मचारियों को वर्ष 2010-2011 के लिए कार्य-निष्पादन संबद्ध वेतन (पी आर पी) (31 मार्च 2011 का) अर्थात एक महीने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की राशि के बराबर विशेष ब्जाज मुक्त अग्रिम का भुगतान किया गया था ।

मानव संसाधन विकास हेतु कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक ज्ञान, सामान्य सुरक्षा, वित्त एवं इंजीनियरी संवर्ग आदि के क्षेत्र में आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे । कुल मिलाकर 650 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया था ।

13. स्थापत्य सेवाएं

आई टी पी ओ की दिल्ली एवं अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों में आयोजित सभी प्रदर्शिनियों के लिए स्थापत्य संबंधी लेआउट प्लान तैयार किये गए । अन्य एजेंसियों/ आयोजकों द्वारा आयोजित मेलों के नक्शों के लिए भी स्थापत्य यूनिट निर्माण मानकों और उनके आयोजनों को बेहतर और सुरिक्षत बनाने हेतु स्थापत्य तैयार करता है ।

प्रगति मैदान में किए जा रहे विनिर्माण कार्यों के लिए विविध प्लान, एलीवेशन एवं अन्य विस्तृत नक्शे तैयार किये गये ।

आई टी पी ओ ने विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को भी स्थापत्य संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं जो मांग के अनुसार मंडपों का अवधारणात्मक डिजाइन बनाने और नक्शे तैयार करने के संबंधित थी ।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली स्थित प्रदर्शनी केन्द्र

भारत की राजधानी, नई दिल्ली के मध्य में 123.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले प्रगति मैदान के 16 हालों में लगभग 65000 वर्ग मीटर आच्छादित प्रदर्शनी क्षेत्र सुलभ है और इसके अलावा 12000 वर्ग मीटर खुला प्रदर्शनी क्षेत्र भी है । 42000 वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्र में वातानुकूलित हाल नं. 7,8,9,11,12 12 ए 14, 15 एवं 18 हैं जिनमें हाल सं. 7 में लाउन्ज सुविधा है और हाल नं. 8 में लाउन्ज सुविधा के साथ ही 200

व्यक्तियां की बैठने की क्षमता वाली कान्फ्रेंस हाल सुविधाये हैं, गेट नं. 1 पर वातानुकूलित व्यापार विकास सुविधायें (क्रमश: 450 और 650 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाली 2) और 25000 वर्ग मीटर क्षेत्र में गैर- वातानुकूलित हाल हैं जिनमें हाल सं. 1,2,3,4,5,6 एवं 16 आते हैं ।

इंजीनियरिंग विंग प्रगति मैदान में तथा दिल्ली से बाहर प्रदर्शनियों/मेलों/ सम्मेलनों तथा अन्य मेलों के आयोजन के लिये अपेक्षित सुविधायें/ सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराता है ।

प्रगति मैदान में वर्ष 2011-2012 में निम्नलिखित ढांचागत विकास कार्य पूरे किए गए :

1. गेट नं. 1 पर व्यापार विकास सुविधाओं की व्यवस्था (450 और 650 वर्ग मीटर की क्षमता वाले 2 हाल)
2. गेट नं. 2 पर अन्तरराष्ट्रीय व्यापार विकास लाउन्ज का विकास
3. हाल नं. 7 में शौचालय का नवीकरण
4. हाल नं. 14 में शौचालय का नवीकरण
5. मियानी मंजिल पर अतिरिक्त शौचालय सहित हाल नं. 18 में भूतल पर शौचालय का नवीकरण
6. 2 एफ ऐण्ड बी आउटलेटों, के-9-10 और के-11 में अग्निशमन व्यवस्था प्रदान करना
7. गेट नं. 1 पर वेअरहाउस में बिजली एवं वातानुकूलन लोड के लिये पावर सप्लाई की व्यवस्था
8. तमिलनाडु मंडप के पास फीडर पिलर को सुदृढ़ करना तथा प्रगति मैदान के अन्य स्रोतों से स्टैण्डबाई सप्लाई की व्यवस्था

अगले वर्ष निम्नलिखित विकास कार्य किये जाने का प्रस्ताव है:

1. फुलवारी की बिल्डिंग का कन्वेंशन सेंटर के रूप में नवीकरण/ अपग्रेडेशन
2. हाल नं. 7 में कान्फ्रेंस हाल का नवीकरण
3. गेट नं. 10 पर टिकट बूथ और शौचालय ब्लाक का निर्माण
4. प्रशासन भवन एनेक्सी बिल्डिंग में कैफेटीरिया का सुधार तथा शौचालय ब्लाक का नवीकरण
5. हाल नं. 18 की विद्यमान रूफिंग को बदलना
6. विद्युत सब- स्टेशन नं. 8 के नवीकरण का कार्य तथा उसके आसपास के क्षेत्रों की मरम्मत
7. हाल नं. 18 (बेसमेंट) स्थित शौचालय ब्लाक का नवीकरण और मियानी तल पर अतिरिक्त शौचालय
8. गेट नं. 1 पर अतिरिक्त व्यापार विकास सुविधा प्रदान करना
9. स्टोर के लिये वाटिका बिल्डिंग का नवीकरण
10. गेट नं 1 के पास हैल्थ पैविलियन के पीछे के भाग का अपग्रेडशन तथा उसमें अतिरिक्त पार्किंग की सुविधायें

14. क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्र (आरटीपीसी)

I. चेन्नई व्यापार केन्द्र

चेन्नई में एक महत्वपूर्ण स्थल नन्दमबक्कम में 25.48 एकड़ क्षेत्रफल में स्थित इस केन्द्र में क्रमश: 4000 वर्ग मीटर और 1700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के तीन वातानुकूलित हाल और एक कन्वेन्शन सेन्टर है ।

II. बंगलौर व्यापार केन्द्र

व्हाइटफील्ड, बंगलौर में प्रमुख स्थान पर स्थित यह व्यापार केन्द्र 50 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें 5371 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक वातानुकूलित हाल है और 11 खुले क्षेत्र वाले स्थल हैं जिनमें प्रत्येक में 38 वर्गमीटर जगह है।

15. राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग:

पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईटीपीओ ने भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन जारी रखा। भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न मामलों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास किए गए। दैनंदिन सरकारी काम में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये हिन्दी नोटिंग डाफ्टिंग, हिन्दी अनुवाद, हिन्दी लेखन और श्रुतलेख, हिन्दी निबंध और हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगितायें अगस्त, 2011 में आयोजित की गयी जिसमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार दिये गये। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रतिभागी को प्रोत्साहन के रूप में डॉ. हरदेव बाहरी का अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश दिया गया।

हिन्दी मासिक उद्योग व्यापार पत्रिका के नियमित प्रकाशन के अलावा, व्यापारी दर्शक संदर्शिका, आई आई टी एफ 2011 की सामान्य जानकारी, प्रगति मैदान में आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों के मोबिलाइजेशन फोल्डर, वार्षिक रिपोर्ट 2010-11, आई टी पी ओ और वाणिज्य विभाग के मध्य हुए समझौता ज्ञापन को हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। तिमाही कारपोरेट पत्रिका 'दर्पण' (लाग आन का हिन्दी संस्करण) को प्रकाशित करना जारी रहा।

आई टी पी ओ के दिन-प्रतिदिन के फाइलों के कार्य में हिन्दी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजना पहले ही लागू है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हिन्दी में शत-प्रतिशत कार्य करने के लिए 7 कर्मचारियों को 5,000/- रुपये का नकद पुरस्कार, अन्य तीन कर्मचारियों को 1,000/- रुपये का तथा तीन कर्मचारियों को 600/- रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। आई टी पी ओ के कर्मचारियों ने नराकास (दिल्ली) द्वारा आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया।

संसदीय राजभाषा समिति ने 05.11.2011 को आई टी पी ओ के मुख्यालय का दौरा किया जिसने आई टी पी ओ में भारत की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की। समिति को दिए गए आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

16. सुरक्षा:

सुरक्षा संबंधी उपलब्धियां और सुधार इस प्रकार हैं-

(1) कार्गो वाहनों की तीव्र निकासी के लिए भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला सहित सभी बड़े मेलों के लिए वाहनों के कार्गो स्कैनर का प्रयोग।

(2) आईटीपीओ के कर्मचारियों के लिए बारकोडेड पहचान पत्रों का प्रयोग।

(3) बारकोडेड टिकटों का प्रयोग।

(4) 24 घंटे निगरानी के लिए 109 सीसीटीबी कैमरे।

(5) बड़े मेलों के दौरान विस्फोटक का पता लगाने वाली मशीनों का प्रयोग।

(6) विभिन्न डिटैक्टरों और डॉगस्क्वेड की सहायता से माइंस स्वीपिंग और सेन्सीटाइजेशन प्लान के लिए सुरक्षा एजेंसियों से सहायता।

(7) सभी प्रवेश द्वारों पर समुचित लाइन प्रबंधन।

(8) अग्निशमन यंत्रों की संख्या की दृष्टि से आत्मनिर्भता।

(9) बेहतर सुविधा और दिल्ली अग्निशमन सेवा के साथ सम्पर्क के लिए नियमित अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति।

17. अनुषंगी कंपनियां:

आईटीपीओ की अपनी दो सहायक कम्पनियां- तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन में 51-51 प्रतिशत इक्विटी है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 212 के अन्तर्गत इन सहायक कम्पनियों का अपेक्षित विवरण अनुबंध-I में दिया गया है तथा वह इस रिपोर्ट का भाग है।

18. सावधि जमा:

वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

19. लेखा परीक्षक:

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने मैसर्स किशोर ऐण्ड किशोर, चार्टरित लेखाकार, नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2011-12 के लिए आईटीपीओ का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

20. सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वार्षिक लेखाओं के बारे में कुछ शर्तें/टिप्पणियां दी गई हैं। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उठाये गये बिन्दुओं में से प्रत्येक बिन्दु के बारे में बोर्ड के उत्तर संलग्न अनुबन्ध-II में दिये गये हैं जो इस रिपोर्ट का अंग है।

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आपकी कम्पनी के वार्षिक लेखे के बारे में नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां अनुबन्ध-III में दी गई हैं जो इस रिपोर्ट का भाग है।

21. कर्मचारियों के विवरण:

आईटीपीओ के किसी भी कर्मचारी ने प्रतिमाह 5 लाख रुपये या इससे अधिक/वर्ष 2011-12 के दौरान 60 लाख रुपये या इससे अधिक अर्जित नहीं किए। निदेशकों की रिपोर्ट में धारा 217 (2क) के अन्तर्गत घोषणा के संबंध में सूचना को 'शून्य' समझा जाए।

22. कार्पोरेट गवर्नेंस:

आईटीपीओ निदेशक मंडल में तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के साथ ही बोर्ड की संरचना में सदस्य संख्या इष्टतम हो गयी है। बोर्ड की ऑडिट कमेटी का पुर्नगठन हो गया है और बोर्ड की पारिश्रमिक कमेटी गठित कर दी गयी है। आईटीपीओ ने यह कार्य कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किया है।

वर्ष 2011-12 के दौरान, उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का आई टी पी ओ द्वारा अनुपालन किये जाने के बारे में चार तिमाही रिपोर्टें वाणिज्य विभाग को भेजी गयी हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट अनुबंध IV में दी गयी है जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। इसके अतिरिक्त मैसर्स चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में जारी किया गया एक सर्टिफिकेट रिपोर्ट के अनुबंध V में दिया गया है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट- प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट अलग से निदेशक मण्डल के रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है क्योंकि यह कारपोरेट गवर्नेंस का हिस्सा है।

23. सचिवीय अनुपालन प्रमाणपत्र:

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 383-क के उपबंधों के अनुसार मैसर्स चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव, नई दिल्ली के जिन्हें आईटीपीओ का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, द्वारा जारी किया गया सचिवीय अनुपालन प्रमाण-पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। अनुलग्नक-1 में दी गयी रिपोर्ट स्वत: स्पष्ट है तथा इस सम्बन्ध में आगे और किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

24. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाना, विदेशी मुद्रार्जन एवं निर्गम:

अधिनियम 1956 की धारा 217(1) के अनुसार आय के निदेशक निम्नलिखित सूचना देते हैं:

ऊर्जा संरक्षण	कंपनी के कार्यकलापों के लिये ऊर्जा की निरन्तर खपत नहीं होती, तथापि लाइटों, पंखों, एयर कंडीशनरों, लिफ्टों, क्रेनों आदि के सीमित प्रयोग जैसे ऊर्जा संरक्षण के लिये आवश्यक उपायों को पहले ही लागू किया जा चुका है।	
प्रौद्योगिकी अपनाना	कंपनी ने किसी भी स्रोत से किसी भी प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाया है।	
निर्यात संबंधी कार्यकलापों को बढ़ाने के लिये की गयी कोशिश, उत्पादों तथा सेवाओं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास तथा निर्यात योजनायें	व्यापार संवर्धन संगठन होने के नाते कंपनी देश से निर्यात के कार्यकलापों को बढ़ाने के लिये हर आवश्यक उपाय कर रही है।	
देशी मुद्रार्जन तथा निर्गम	चालू वर्ष (2011-12) (रुपये में)	पिछला वर्ष (2010-11) (रुपये में)
आगम	10,19,49,828	11,93,60,139
निर्गम	17,40,27,498	21,87,93,589

25. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

निदेशक कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क-क) में यथा अनुबंधित 'निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण' का समर्थन करते हैं तथा निम्नलिखित मामलों की पुष्टि करते हैं:

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में वास्तविक प्रत्यन्तरों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित लागू गणना मानकों को अपनाया गया है।

(ii) निदेशकों ने गणना की ऐसी नीतियां चुनी हैं और उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया है तथा ऐसे आकलन किये हैं जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं और इस कम्पनी के बारे में वित्त वर्ष और उसी अवधि में कम्पनी के व्यय से अधिक आय की सही तथा उचित तस्वीर पेश करते हैं।

(iii) निदेशकों ने कम्पनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा गबन एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सही एवं पर्याप्त गणना रिकार्ड रखे हैं।

(iv) निदेशकों ने प्रचलित आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

आभार

हम निरंतर मार्गदर्शन और सहायता के लिए केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों, विशेषत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के आभारी हैं। निदेशक मण्डल राज्य सरकारों, सार्वजनिक उद्यमों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

और अन्य एजेंसियों तथा व्यक्तियों के प्रति भी आईटीपीओ के लिए दिये गये उनके तत्पर सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। निदेशक मण्डल भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोक उद्यम विभाग और कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रति आभारी है जिनका बहुमूल्य सहयोग हमें प्राप्त हुआ।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./

(रीता मेनन)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन नं. 00543058

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 12 नवम्बर, 2012

अनुबंध - I

अनुषंगी कम्पनियों के बारे में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 212 के अनुसार ब्यौरा

अनुषंगी कम्पनी का नाम	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
1. अनुषंगी कम्पनी का समाप्त वित्त वर्ष	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2012
2. (क) अनुषंगी कम्पनी की जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी (ख) अनुषंगी कम्पनी की पूंजी में आईटीपीओ का हिस्सा	1000 रुपये की दर से 100 इक्विटी शेयर 1000 रुपये की दर से 51 इक्विटी शेयर (51 प्रतिशत)	1000 रुपये की दर से 5000 इक्विटी शेयर 1000 रुपये की दर से 2550 इक्विटी शेयर (51 प्रतिशत)
3. अनुषंगी कम्पनी के लाभ/घाटे की निवल कुल राशि जहां तक यह आईटीपीओ के सदस्यों से संबंधित है तथा आईटीपीओ के खाते में नहीं दिखाई गयी है– (क) 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष में (ख) अनुषंगी कम्पनी के 31.3.2011 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में संचयी राशि, जब से यह आईटीपीओ की अनुषंगी बनी	 961.70 लाख रु. 250.82 लाख रु. धारा 25 में पंजीकृत कम्पनी होने के कारण इसके लिए कोई भी लाभांश घोषित करना मना है।	 144.90 लाख रु. 300.32 लाख रु. धारा 25 में पंजीकृत कम्पनी होने के कारण इसके लिए कोई भी लाभांश घोषित करना मना है।
4. अनुषंगी कम्पनी के लाभ/घाटे की निवल कुल राशि जहां तक इस घाटे के लिए आईटीपीओ के खातों में प्रावधान किये गये हों (क) 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में (ख) अनुषंगी कम्पनी के 31.3.2011 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में संचयी राशि, जब से यह आईटीपीओ की अनुषंगी बनी	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य

ह./-	ह./-	ह./-
(ए.के. खन्ना)	**(नीरज कुमार गुप्ता)**	**(रीता मेनन)**
वरिष्ठ महाप्रबंधक एवं वित्तीय सलाहकार तथा कम्पनी सचिव	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.08.2012

अनुबंध - II

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	निदेशक मण्डल के उत्तर

हमने 31 मार्च 2012 को विद्यमान स्थिति के अनुसार इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आईटीपीओ), नई दिल्ली के संलग्न तुलन-पत्र और उसी दिन समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय लेखे तथा कैश-फ्लो विवरण की जांच कर ली है जिनमें 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखे शामिल किये गये हैं। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कम्पनी प्रबन्धन की है। हमारी जिम्मेदारी, हमारे द्वारा की गयी लेखा-परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय जाहिर करने की है।

हमने यह लेखा परीक्षा सामान्य तौर से भारत में स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखा परीक्षा की योजना एवं उस पर कार्यान्वयन इस प्रकार करें कि वित्तीय ब्यौरे मेटीरियल गलतबयानी से मुक्त हों और इस बारे में समुचित आश्वासन मिल सके। लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया में परीक्षा आधार पर राशियों की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों तथा वित्तीय विवरणों में किए गए डिस्क्लोजर का परीक्षण किया जाता है। लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में प्रबन्धन द्वारा तैयार किये गये महत्त्वपूर्ण लेखा प्राक्कलन तथा उसमें प्रयुक्त लेखा गणना नीतियों का आकलन भी शामिल होता है। साथ ही, इसमें वित्तीय विवरण ों के प्रस्तुतीकरण का समग्र मूल्यांकन किया जाता है। हमारी राय में हमारे द्वारा की गयी लेखा-परीक्षा हमारे उपर्युक्त विचारों के लिए समुचित आधार प्रदान करती है और तदनुसार हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है:

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	निदेशक मण्डल के उत्तर
1. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4क) के अनुसार कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 के द्वारा अपेक्षित जिन मामलों पर हमारी टिप्पणियां मांगी गई हैं, वे नहीं दी गई हैं क्योंकि कम्पनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 में यह निश्चित प्रावधान है कि जिन कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त है, उन पर यह लागू नहीं होगा।	
2. इस रिपोर्ट में दिये गये कम्पनी के तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखे और कैश फ्लो विवरण लेखा बहियों और रिटर्नों से मेल खाते हैं।	
3. हमारी राय में कम्पनी का आय-व्यय लेखा, तुलन-पत्र एवं कैश-फ्लो विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) में उल्लिखित अनिवार्य लेखा मानकों (एएस) का अनुपालन करते हैं।	
4. चूंकि यह सरकारी कम्पनी है, अत: विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 22.03.2002 के परिपत्र संख्या 2/5/2001 सीएलवी - सामान्य परिपत्र संख्या 8/2002 के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (छ) के अंतर्गत निदेशकों की अनर्हता संबंधी प्रावधान इस कम्पनी पर लागू नहीं होते।	यथार्थ विवरण, कोई टिप्पणी नहीं
5. हमने वह सारी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।	

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	निदेशक मण्डल के उत्तर
6. हमारे मत में, कम्पनी द्वारा कानून के अन्तर्गत अपेक्षित उपयुक्त लेखा बहियों को रखा गया है क्योंकि जिन क्षेत्रीय कार्यालयों का हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है, उनसे प्राप्त लेखा बहियों एवं रिटर्नों की जांच से यही स्पष्ट होता है और इन्हें हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त माना गया है।	
7. हम ऊपर पैराग्राफ 1 से 6 में उल्लिखित अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त यह रिपोर्ट करते हैं कि:	
(क) आय और व्यय की कुछ मदों को अभी तक गणना के एक्रुअल आधार पर हिसाब में नहीं लिया गया है- राशि अनिर्धारित है। [महत्त्वपूर्ण गणना नीति की टिप्पणी सं. 2.1 (ख) देखें]	वास्तविक विवरण वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणी सं. 2.1 (ख) देखें।
(ख) कर्मचारियों के लिये कार्य निष्पादन सम्बद्ध वेतन स्कीम (पी.आर.पी.) के अन्तर्गत स्कीम के अनुमोदन के बिना कम्पनी द्वारा वर्ष के लिए 950 करोड़ रुपये 31.3.2012 तक संचयी आधार पर 10.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है तथा इसमें से 31.03.2012 तक 7.75 करोड़ रुपये जारी किये गये। [देखें टिप्पणी संख्या 9(क)]	वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 9 की पाद टिप्पणी देखें।
(ग) 31.3.2012 की वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट के मुताबिक स्थायी परिसम्पत्तियों की विसंगतियों का समाधान करने का कार्य लम्बित है- उसका प्रभाव यदि कोई है, अभी तक अनिर्धारित है। [स्थायी परिसम्पत्तियों संबंधी टिप्पणी सख्या 10 (ग)]	देखें, वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 10 (ग)

क्रमांक	लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	बोर्ड के उत्तर
घ	विदेशी बैंकों में 4,82,715 रुपये के अधिशेष की अभी पुष्टि नहीं हुई है। [देखें टिप्पणी संख्या 16 (ii), नकदी एवं बैंक अधिशेष]	यथार्थ विवरण वित्तीय श्रेणी पर टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 16 (ii)
ङ	कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए 86.06 करोड़ रु. की आयकर मांग और इसी प्रकार 2010-11 से 2012-13 के परिवर्तीय निर्धारण वर्षों के लिए देय राशियों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है जबकि आयकर (छूट) के महानिदेशक ने वर्ष 2009-10 के लिए अपने दिनांक 23 फरवरी 2012 के आदेश द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23) (iv) के अर्न्तगत कम्पनी को उपलब्ध छूट वापण्स ले ली थी और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में उसके विरूद्ध याचिका दायर कर दी थी। (देखें आयकर मामले की टिप्पणी संख्या 29)	यथार्थ विवरण, देखें वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 29 ।
च	सेवा परीक्षा कर विभाग द्वारा की गयी लेखा परीक्षा से पिछली अवधि 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि के सम्बन्ध मे प्रदत्त ब्याज सहित सेवा कर की राशि 1,14,92,208 रूपये है और यह पूर्ववर्तीय अवधि के व्यय के बजाय इस वर्ष के खर्चे के रूप में प्रभारित की गयी है और इसके अतिरिक्त 23,67,843 रूपये के ब्याज सहित 10.87 करोड़ रूपये की सेवा कर सम्बन्धी मांग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया और जुर्माने की राशि निर्धारित नहीं की गयी है। देखें टिप्पणी संख्या 30, सेवा कर संबंधी मामले	पुनरीक्षा अवधि संबंधी वर्ष के दौरान की गयी सेवा कर लेखा परीक्षा के पश्चात के ट्रेजरी में 1,92,208 रू0 की राशि जमा किए जाने सम्बन्धी तथ्य का उल्लेख वित्तीय विवरणों संबन्धी टिप्पणियां, की टिप्पणी संख्या 30 में समुचित रूप से कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किए गये लेख गणना मानक संख्या 5 के पैरा 16 के अनुसार पूर्व अवधि आवश्यक अन्य समायोजन समित नहीं है जिन्हें यद्यपि वर्तमान अवधि की मदों में परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक अन्य समायोजन सम्मिलित नहीं है जिन्हें यद्यपि वर्तमान अवधि में पूर्व अवधि से संबंधित माना गया है। चूंकि 1,14,92,208 रू0 की राशि का निर्धारण पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान किया गया था। अत: यह राशि राजस्व व्यय के रूप में सही रूप से प्रभारित की गयी थी। जहां तक 10.87 करोड़ रू0 की मांग का संबंध है इससे संबंधी टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 30 में समुचित रूप से बतायी गयी है।

छ. विभिन्न पार्टियों से ली जाने वाली- उन्हें दी जाने वाली राशि की पुष्टि- मिलान नहीं हुआ है और उनके परिणामी समायोजन प्रभाव यदि कोई है का अभी तक पता नहीं लगाया गया है।

(देखें टिप्पणी संख्या 31 अधिशेषों की पुष्टि)

यथार्थ विवरण देखें वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या-31

ज. 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की सेवा कर संबंधी विवरणी जिसमें अप्रैल से सितम्बर 2011 और अक्तूबर 2011 से मार्च 2012 तक की अवधि की दो छमाही विवरिणियाँ शामिल हैं, दाखिल करने की सांविधिक अपेक्षा का पालन नहीं करने के कारण चूक की गयी- राशि अभी तक निधारित नहीं की गयी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मासिक सेवा कर की भुगतान राशि निर्धारित तारीख तक ट्रेजरी के खाते में जमा कर दी गयी थी इसलिए सरकारी देय की जमा के मामले में कम्पनी पर जुर्माने की कोई राशि नहीं बनती परन्तु सेवा कर विवरणी जमा करने में विलम्ब हो गया है, क्योंकि सेवा कर अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए अभी बहुत सारे आंकड़ों का अपने हाथ से मिलान किये जाने की आवश्यकता है।

इस बीच सितम्बर 2011 को समाप्त छमाही से संबंधित आंकड़ों के मिलान का कार्य पूरा कर लिया गया है और विवरणी दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है। 31 मार्च 2012 को समाप्त छमाही से संबंधित सेवाकर विवरणी तैयार करने का कार्य चल रहा है।

एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में संशोधन करने के साथ -2 सभी कमियों को दूर करने के उपाय किये जा रहे हैं।

8 हमारे मतानुसार एवं हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण उनसे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित और कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित 86.06 करोड़ रू० की निर्धारित आय कर देन-दारी और निर्धारण वर्ष 2010-2011-2012-2013 तक के लिए उसी प्रकार से अनिर्धारित देनदारियों के लिए प्रावधान न किये जाने के बारे में पैरा 7 (ङ) में वर्ष 2006-7 से 2009-10 के लिए 10.87 करोड़ रू० के सेवा कर संबंधी निर्धारित राशि और अभी तक निर्धारित नहीं की गयी राशि और ब्याज और जुर्माना की राशि के बारे में पैरा 7 (च) में, 2011-12 की दो छमाहियों के लिए जिनकी राशि निर्धारित नहीं की गयी है, के लिए सेवा कर विवरणी दाखिल किये जाने की अपेक्षा का अनुपालन न करने के लिए अनिवार्य शास्ति लगाये जाने के बारे में पैरा 7 (ज) में और कार्य निष्पादन से संबद्ध योजना के लिए, बोर्ड योजना पर स्वीकृति के बिना ही 9.50 करोड़ रू० का प्रावधान किये जाने के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष से संबंधित निवल आय की राशि में, निर्धारित राशि से 87.43 करोड़ रू० अधिक दिखाये गये तथा 31-3-2012 को चालू देनदारियों के अन्तर्गत इतनी ही राशि कम दिखायी जाने और पैरा 7 (क) अक्रुअल एकबल आधार पर व्यय की लेखा गणना न किऐ जाने से पड़ने वाली अनिर्धारित परिणामी प्रभाव के बारे में स्थायी परिसम्पत्तियों के वास्तविक सत्यापन संबंधी विसंगतियों का समाधान और समायोजन यदि कोई हो, न किए जाने के बारे में पैरा 7 (ग) पार्टियों से ली जाने वसूली तथा उन्हें दी जाने वाली राशियों की पुष्टि के अभाव में होने वाले समायोजन; यदि कोई हो; के कारण पैरा 7 (छ) में और विदेशी बैंक के पास दिखायी गयी 4,82,715 रू० की राशि की पुष्टि न किये जाने और 1.15 करोड़ रू० के सेवा कर की अदायगी को चालू वर्ष के व्यय के रूप में दिखाये जाने के बारे में पैरा 7 (घ) और पैरा 7 (च) में की गयी हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन बतायी गयी स्थिति से सही और न्यायपूर्ण तस्वीर सामने आती है जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत गणनासिद्धान्तों के अनुरूप है:-

i) 31 मार्च 2012 को कम्पनी के कार्यकलापों की स्थिति, तुलन-पत्र के विषय में।

ii) आय-व्यय लेखे के विषय में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष में कम्पनी की निवल आय के बारे में तथा

iii) 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष में कैश फ्लो विवरण के बारे में।

कृत किशोर ऐण्ड किशोर
चार्टरित लेखाकार

ह./-
(अंशु गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता संख्या 077891
एफ.आर.एन. 000291एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 अगस्त 2012

अनुबंध-III

भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कम्पनी के प्रबन्धन की है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी भारत के चार्टरित लेखापालों के संस्थान के व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन-मानकों के अनुरूप स्वतन्त्र लेखा परीक्षा पर आधारित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है। ऐसा 27 अगस्त 2012 को उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा कर लिया बताया गया है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ख) के अन्तर्गत 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के परिकलन दस्तावेजों के बिना स्वतन्त्र रूप से की गई है और यह सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों से प्रारम्भिक पूछताछ और कुछ लेखा रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिसकी वजह से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4)के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने अथवा उस पर अनुपूरक रिपोर्ट देने की आवश्यकता पड़ी हो।

कृते एवं भारत के नियन्त्रक
तथा महालेखापरीक्षक की ओर से

ह./-
(इला सिंह)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
एवं लेखापरीक्षक बोर्ड -I के भूतपूर्व पदेन सदस्य
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 5 अक्टूबर, 2012

अनुबंध -IV

कार्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

निदेशकगण कम्पनी की कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. कम्पनी की गवर्नेंस फिलासफी

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी- इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) देश द्वारा विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं गवर्नेंस में अर्जित उत्कृष्टता की झांकी प्रस्तुत करता है।

कार्पोरेट प्रशासन कम्पनी में इसके विभिन्न स्टेकहोल्डरों के हित के बारे में कार्पोरेट औचित्य, पारदर्शिता और जिम्मेवारी को बढ़ावा देने के बारे में है। यह ऐसा सिस्टम है जिससे व्यापारिक निगमों को निर्देश दिये जाते हैं तथा उन पर नियंत्रण रखा जाता है।

आई टी पी ओ को विश्वास है कि अच्छे गवर्नेंस को सरकार की नीतियों के प्रति प्रोएक्टिव रहते हुए प्रबन्धन की न्यायधारिता, सशक्तीकरण और जबाबदेही प्रतिष्ठित करनी चाहिए। आई टी पी ओ की गवर्नेंस प्रक्रिया इसके उद्देश्य - उद्योग एवं व्यापार जगत को व्यापक स्तर पर सुविधाएं प्रदान करना तथा भारत का व्यापार बढ़ाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने पर केन्द्रित है। आई टी पी ओ भारत में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों के आयोजन को अनुमोदित करता है और भारत में विभिन्न प्रदर्शनियों के आयोजन को नियंत्रित करता है जिससे मुख्य रूप से एक ही प्रकार की प्रदर्शनियों के दुहराव से बचा जा सके और उचित समय का चयन सुनिश्चित किया जा सके। यह संगठन भारत में विश्व स्तर के एकमात्र प्रदर्शनी परिसर का प्रबन्ध कर रहा है जिसे उत्कृष्ट स्तर पर तैयार रखने के लिए उसका निरन्तर उन्नयन किया जा रहा है।

आई टी पी ओ के मुख्य कार्यकलाप और सेवाएं:-

- दिल्ली के बीचों-बीच में स्थित प्रगति मैदान में विशाल व्यापार मेला-परिसर का प्रबन्ध करना।
- प्रगति मैदान प्रदर्शनी परिसर में तथा भारत के अन्य विभिन्न केन्द्रों में विभिन्न व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन करना।
- भारत एवं विदेशों के अन्य मेला-आयोजकों को व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों के लिए प्रगति मैदान में स्थान उपलब्ध कराना।
- विक्रेताओं की पहचान करने, भ्रमण सूची तैयार करने, लोगों से मिलने का कार्यक्रम निर्धारित करने और जरूरत पड़ने पर उनके साथ जाने में विदेशी विक्रेताओं को समय पर कुशल सेवाएं उपलब्ध कराना।
- भारतीय आपूर्तिकर्त्ताओं और विदेशी खरीददारों के बीच में स्थायी दीर्घकालीन संबंध स्थापित करवाना।
- खरीददारों की अपेक्षाओं के अनुरूप उत्पादों के विकास व अनुकूलन में भारतीय कम्पनियों की सहायता करना।
- क्रेताओं और विक्रेताओं को एक-दूसरे के पास लाने की दृष्टि से क्रेता-विक्रेता बैठकों तथा एकल भारतीय प्रदर्शनियों का आयोजन करना।
- विदेशों में विभागीय भंडारों तथा मेल आर्डर हाउसों के माध्यम से भारतीय उत्पादों का संवर्धन करना।
- विदेशी मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी करना।
- आगन्तुक विदेशी क्रेताओं हेतु उत्पाद प्रदर्शन का प्रबन्ध करना।
- व्यापार से संबंधित विषयों पर सेमिनारों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि का आयोजन करना।
- निर्यात संवर्धन प्रयासों में लघु एवं मझोली इकाइयों को प्रोत्साहन देना।
- व्यापार व निर्यात संवर्धन से संबंधित इन-हाउस एवं आवश्यकता आधारित अनुसंधान का प्रबन्ध करना।

- भारत का विदेश व्यापार बढ़ाने में राज्य सरकारों की भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित करना।
- व्यापार सूचना केन्द्र पर इलेक्ट्रानिक सुगमता के माध्यम से व्यापार सूचना सेवाएं उपलब्ध कराना।

कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का कम्पनी द्वारा अनुपालन तथा उस बारे में अपेक्षाओं का खुलासा इस प्रकार है:-

2. निदेशक मण्डल

2.1 निदेशक मण्डल का आकार

आई टी पी ओ कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अनुसार चैरिटेबल संगठन है तथा इस समय इसकी कुल चुकता शेयर पूंजी का 99.98 प्रतिशत भाग भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अन्तर्नियमों के अनुसार इसके निदेशक नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार निदेशकों की संख्या चार से कम तथा बारह से अधिक नहीं होगी।

2.2 निदेशक मण्डल की संरचना

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार निदेशक मण्डल में कुल 9 निदेशक हैं जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित 2 निदेशक प्रकार्यात्मक तथा 4 निदेशक भारत सरकार के नामित निदेशक तथा 3 स्वतंत्र निदेशक हैं। एक वाणिज्य विभाग, लोक उद्यम विभाग द्वारा दो प्रकार्यात्मक निदेशकों तथा एक स्वतन्त्र निदेशक की नियुक्ति की घोषणा होते ही निदेशक मण्डल का पुनर्गठन किया जायेगा।

श्रीमती रीता मेनन ने 3 जनवरी, 2012 को आई टी पी ओ के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्य भार ग्रहण लिया है। डा. सुवास पाणि 7 अगस्त 2009 से 6 अगस्त 2011 तक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक रहे थे। श्री राजीव खेर 10 अगस्त 2011 से 2 जनवरी, 2012 तक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक रहे।

2.3 निदेशक मण्डल की बैठक और उसमें उपस्थिति

निदेशक मण्डल की बैठकें प्राय: कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों का समय सामान्यत: पर्याप्त समय पहले तय हो जाता है तथा इसकी सूचना, विस्तृत बोर्ड एजेंडा, मैनेजमेंट रिपोर्ट तथा अन्य स्पष्टीकरण बोर्ड नोट से निदेशकों में परिचालित किये जाते हैं। निदेशक मण्डल के सदस्यों को कम्पनी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। निदेशक मण्डल द्वारा बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा की जाती है उनके बारे में अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी देने हेतु इन बैठकों में प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमन्त्रित किया जाता है।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्त वर्ष में बोर्ड की छ: बैठकें हुई। क्रमश: 17 जून 2011, 3 अगस्त 2011, 29 अगस्त 2011, 8 नवम्बर, 2011, 3 फरवरी 2012 और 26 मार्च 2012 को हुई।

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति वाली निदेशक मण्डल बैठकों की संख्या, पिछली आम वार्षिक बैठक में (ए जी एम) उपस्थिति, आई टी पी ओ से अन्य निदेशकों (पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों / समिति के सदस्यों अर्थात् लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति के सदस्यों) की संख्या का विवरण नीचे सारिणी में दिया गया है।

क्रमांक	निदेशक का नाम	बोर्ड की बैठकें	9 नवम्बर, 2011 को हुई पिछली आम वार्षिक बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की संख्या	अन्य समितियों के सदस्यों की संख्या	31 मार्च 2012 को	सदस्य के रूप में
1.	सुवास पाणि (06/08/2011 तक)	2	2	लागू नहीं	0	–	–
2.	राजीव खेर	2	2	उपस्थित	0	–	–
3.	रीता मेनन (03/01/2012 से)	2	2	लागू नहीं	0	–	–
4.	नीरज कुमार गुप्ता	6	6	उपस्थिति नहीं	0	–	–
5.	राजन कटोच	6	3	उपस्थिति नहीं	2	–	–
6.	अमरेन्द्र सिन्हा	6	1	उपस्थिति नहीं	0	–	–
7.	जे. एस. दीपक	6	5	उपस्थिति नहीं	0	–	–
8.	रीनत संधू	1	0	उपस्थिति नहीं	0	–	–
9.	राधिका एल लोकेश	5	3	उपस्थिति नहीं	0	–	–
10.	अभिजीत बासु (12.01.2012 से)	2	1	लागू नहीं	.	–	–
11.	एस.एस. लोढ़ा (12.01.2012 से)	2	2	लागू नहीं	5	–	–
12.	डी एस रावत (12.01.2012 से)	2	1	लागू नहीं	1	–	–

2.4 वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2012 के दौरान नियुक्त/पुर्नियुक्त निदेशकों का ब्यौरा

क्रमांक	निदेशक का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति की तिथि	अन्य कम्पनियों में धारित निदेशक पद	कम्पनी में धारित शेयरों की संख्या
1.	राजीव खेर*	28.06.1955	10.08.2011	–	–
2.	रीता मेनन	25.12.1951	03.01.2012	–	1 इक्विटी
3.	राधिका एल लोकेश	28.08.1956	07.07.2011	–	–
4.	अभिजीत बासु	10.01.1950	12.01.2012	–	–
5.	एस. एम. लोढ़ा	18.07.1951	12.01.2012	1. मै. इर्स्टन कोलफील्ड्स लि. 2. मै. एस जे वी एन लि. 3. मै. एस्सार सिक्योरिटीज लि. 4. मै. क्रिस्टल पैलेस प्रोपर्टीज प्रा. लि. 5. मै. एण्डसर गीयर्स लि. 6. मै. एस्सार इन्फोर्मेशन टेक्नोलाजी लि.	–
6.	डी एस रावत	12.06.1948	12.01.2012	1. द एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स ऐण्ड इण्डस्ट्रीज आफ इण्डिया (एसोचैम)	–

* श्री राजीव खेर (सी एम डी) ने आई टी पी ओ के निदेशक मण्डल से 02.01.2012 को त्यागपत्र दे दिया है तथा उनके द्वारा धारित शेयर श्रीमती रीता मेनन के नाम अन्तरित कर दिया गया है।

2.5 निदेशक मण्डल को अन्य विषयों के साथ-साथ इन मामलें की जानकारी भी दी जाती है।

निदेशक मण्डल को कम्पनी के बारे में सभी जानकारियां दी जाती हैं। उन्हें ये जानकारियां नियमित रूप से दी जाती हैं:-

1. वार्षिक परिचालन योजनाएं और बजट तथा कोई भी अद्यतन जानकारी।
2. वार्षिक लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।
3. आडिट कमेटी तथा निदेशक मण्डल की अन्य कमेटियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
4. प्रमुख निवेश, अनुषंगी कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों और स्टेटेजिक अलायंसों आदि की जानकारी।
5. बड़े ठेके देना।
6. निदेशकों का किन्हीं अन्य कम्पनियों में निदेशक बनने तथा कमेटियों में उनकी हैसियत-इनमें उनके हित का खुलासा।
7. विभिन्न चालू परियोजनाओं/स्कीमों तथा उनमें बजट के उपयोग की स्टेटस रिपोर्ट।
8. वेतन समझौते पर हस्ताक्षर करना आदि जैसे मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध विषयक कोई भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम।
9. लाभांश का भुगतान नहीं होना, शेयर हस्तान्तरण मे विलम्ब आदि जैसी किसी भी नियामक, विधायी एवं शेयरधारकों सम्बन्धी सेवा का अनुपालन नहीं होना।
10. अधिशेष फण्डों का अल्पकालिक निवेश।
11. भौतिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य जानकारी।

3. निदेशक मण्डल की कमेटियां

निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित कमेटियां गठित की हैं:-

(i) आडिट कमेटी

(ii) पारिश्रमिक कमेटी

3.1 आडिट कमेटी की संरचना

निदेशक मण्डल ने तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद आई टी पी ओ ने मई 2010 में लोक उद्यम विभाग द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कार्यवाही की पहल की है। लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आडिट कमेटी का पुनर्गठन कर लिया गया है।

क्रमांक	समिति के सदस्य के नाम	पदनाम	समिति में स्थिति
1.	श्री राजन एस कटोच, चेयरमैन	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)	सदस्य
2.	श्री जे. एस. दीपक	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)	सदस्य
3.	श्री अमरेन्द्र सिन्हा 20.12.2011 तक	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)	सदस्य
4.	श्री नीरज कुमार गुप्ता	कार्यकारी निदेशक	सदस्य
5.	श्री अभिजित बासु	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
6.	श्री डी एस रावत	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्री राजन एस कटोच 03.02.2012 तक आडिट कमेटी के अध्यक्ष थे।

3.2 वर्ष 2011-12 के दौरान आडिट कमेटी की बैठक और उपस्थिति

आडिट कमेटी की चार बैठकें क्रमश: 3 अगस्त 2011, 24 अगस्त 2011, 20 दिसम्बर 2011 और 14 मार्च 2012 को हुई।

निदेशक का नाम	समिति में स्थिति	बैठकें	
		कार्यकाल के दौरान हुई	उपस्थिति
श्री राजन एस कटोच*	सदस्य	4	3
श्री जे एस. दीपक	सदस्य	4	3
श्री अमरेन्द्र सिन्हा 20.12.2011 तक	सदस्य	4	1
श्री नीरज कुमार गुप्ता	सदस्य	4	4
श्री अभिजीत बासु	अध्यक्ष	1	1
श्री डी एस रावत	सदस्य	1	1

*श्री राजन एस कटोच 03.02.2012 तक आडिट कमेटी के अध्यक्ष थे।

3.3 आडिट कमेटी की शक्तियां

आडिट कमेटी की निम्नलिखित शक्तियां हैं:

1. किसी भी गतिविधि के अन्तर्गत आने वाले उसके विचारणीय विषयों की जांच करना।
2. किसी भी कर्मचारी से सूचना मांगना।
3. निदेशक मंडल की स्वीकृति से बाहर विधिक या अन्य व्यावसायिक सलाह लेना।
4. यदि आवश्यक समझा जाये तो प्रसंगानुरूप बाहर किसी अनुभवी व्यक्ति से सहायता लेना।
5. निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट अन्य मामलों पर विचार करना।

3.4 आडिट कमेटी की भूमिका

आडिट कमेटी निम्नलिखित कार्य करती है:

1. वित्तीय ब्यौरे सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हों, इसके लिए कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस की निगरानी करना तथा इसकी वित्तीय जानकारी का खुलासा करना।
2. लेखा परीक्षा शुल्क का निर्धारण करने के लिए निदेशक मण्डल को अनुशंसा करना।
3. सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कोई अन्य सेवाएं भी प्रदान की हों तो उनके भुगतान का अनुमोदन करना।
4. विशेषत: निम्नलिखित के सन्दर्भ में निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रबन्धन के साथ मिलकर समीक्षा करना:-

   क. जिन मामलों को निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किया जाना होता है, वे मामले कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के खण्ड (2कक) के अनुसार निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में शामिल करना।

   ख. लेखा गणना नीतियों और प्रैक्टिसों में होने वाले बदलाव, यदि कोई हों तो उनके कारण।

   ग. प्रमुख लेखा प्रविष्टियां जिनमें प्रबन्धन द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के कार्यान्वयन पर आधारित प्राक्कलन शामिल किये गये हों।

   घ. लेखा परीक्षा के निष्कर्षों से उठने वाले वित्तीय विवरणों में किये गये महत्वपूर्ण समायोजन।

   ङ वित्तीय विवरणों से सम्बन्धित विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।

   च. किसी भी पार्टी लेन-देन से सम्बन्धित खुलासा तथा

   छ. प्रारूप लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।

5. निदेशक मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबन्धन के साथ मिलकर तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।

6. प्रबन्धन के साथ मिलकर सांविधिक और आन्तरिक लेखा परीक्षकों के कार्य-निष्पादन तथा आन्तरिक कन्ट्रोल सिस्टमों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

7. आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग के ढांचा, उस विभाग के मुखिया की वरिष्ठता एवं स्टाफिंग रिपोर्टिंग ढांचा, आन्तरिक लेखा परीक्षा का कवरेज एवं फ्रिक्वेंसी सहित आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता (यदि कोई हो तो) की समीक्षा करना।

8. किन्हीं भी महत्वपूर्ण निष्कर्षों और उन पर अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में आन्तरिक लेखा परीक्षकों और/या लेखा परीक्षाओं के साथ चर्चा।

9. आन्तरिक लेखा परीक्षकों / लेखा परीक्षकों / एजेन्सियों द्वारा ऐसे मामले की आन्तरिक जांचों के निष्कर्षों की समीक्षा करना जिनमें धोखेबाजी या अनियमितता तथा भौतिक स्वरूप की आन्तरिक कन्ट्रोल सिस्टमों की असफलता का सन्देह हो तथा उस मामले के बारे में निदेशक मण्डल को रिपोर्टिंग करना।

10. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले लेखा परीक्षा की प्रकृति और स्कोप बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा तथा इससे सम्बन्धित सरोकार के किसी भी विषय का पता लगाने हेतु लेखापरिक्षा के बाद चर्चा में।

11. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान नहीं होने की स्थिति में) तथा कर्जदारों को भुगतान करने में हुई सारभूत गलतियों के कारणों का पता लगाना।

12. सी ऐण्ड ए जी आडिट की लेखा परीक्षा सम्बन्धी टिप्पणियों पर हुई अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा करना।

13. संसद की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा करना।

14. स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों, आन्तरिक लेखा परीक्षकों एवं निदेशक मण्डल के मध्य निर्बाध संचार साधन की व्यवस्था करना।

15. कम्पनी में पार्टी संबंधी सभी लेन-देनों की समीक्षा करना। इस प्रयोजन के लिए लेखा परीक्षा समिति एक सदस्य को नामित करेगी जो पार्टी संबंधी लेन-देनों की समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

16. स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ लेखा परीक्षा के प्रयासों की पूर्णता सुनिश्चित करने, बेकार प्रयासों को कटौती करने और सभी लेखा परीक्षा संसाधनों के प्रभावी प्रयोग के लिए लेखा परीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ समीक्षा करना।

17. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों एवं प्रबन्धन के साथ निम्नलिखित मामलों पर विचार और समीक्षा करना:-

- कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण एवं सुरक्षा सहित आन्तरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा
- प्रबन्धन की प्रतिक्रियाओं के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षक एवं आन्तरिक लेखा परीक्षक के निष्कर्ष और सिफारिशें

18. प्रबंधन, आन्तरिक लेखा परीक्षक तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित मामलों पर विचार एवं समीक्षा करना:

- वर्ष तथा पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा संबंधी सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष।
- कार्यकलापों के क्षेत्र अथवा अपेक्षित जानकारी प्राप्ति के बारे में किन्हीं प्रतिबन्धों सहित लेखा परीक्षा कार्य के दौरान आने वाले कोई कठिनाईयां।

19. आडिट कमेटी के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को करना।

3.5 आडिट कमेटी द्वारा जानकारी की समीक्षा।

आडिट कमेटी सामान्यत: निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करती है।

1. वित्तीय स्थिति तथा आपरेशनों के परिणामों पर प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण।
2. प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत किये गये महत्वपूर्ण पार्टी लेन-देन का विवरण।
3. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किये गये आन्तरिक कन्ट्रोल संबंधी कमियों के पत्र/प्रबन्धन पत्र।
4. आन्तरिक कन्ट्रोल की कमियों से संबंधित आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टें और
5. मुख्य आन्तरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, पद से हटाना तथा पारिश्रमिक की शर्तें।

3.6 पारिश्रमिक समिति की संरचना

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ने मई 2010 में कारपोरेट गवर्नेंस के संबंध मे लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी-दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। निदेशक मण्डल ने डी पी ई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारिश्रमिक समिति का गठन कर दिया है।

क्रम संख्या	समिति के सदस्य का नाम	पद नाम	समिति में स्थिति
1.	श्री अभिजित बासु	स्वतत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डा. राजन कटोच	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य
3.	श्री जे एस दीपक	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य
4.	श्री नीरज कुमार गुप्ता	कार्यकारी निदेशक	सदस्य

3.7 पारिश्रमिक समिति की बैठक

कंपनी ने निदेशक मण्डल की 3 फरवरी 2012 को हुई बैठक में पारिश्रमिक समिति का गठन कर दिया है। वित्त वर्ष 2011-12 में पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

सरकारी कम्पनी होने के कारण, हमारी कम्पनी के निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारश्रिमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा फंक्शनल निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों के अनुसार था। स्वतंत्र निदेशकों को कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार तयशुदा सीमा में निदेशक मण्डल द्वारा तय दर से तथा निदेशक मण्डल की बैठक और कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल बैठक फीस का भुगतान किया गया। पूर्णकालिक निदेशकों को निम्नलिखित पारिश्रमिक पैकेज दिया गया:-

	मद	अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक **श्रीमती रीता मेनन**	अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक **डा. सुवास पाणि**	कार्यकारी निदेशक **श्री नीरज कुमार गुप्ता**
1.	वेतन और भत्ते	3,61,651	5,03,923	17,52,382
2.	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	-	-	1,12,370
3.	विदेश सेवा अंशदान	-	-	3,17,343
4.	निष्पादन सम्बद्ध वेतन	21,024	25,333	1,29,278
5.	आयकर नियमों के अनुसार परिलब्धियों का वित्तीय मूल्य	5,400	1,93,070	2,43,300

उपर्युक्त के आलावा कम्पनी अपने स्वतंत्र निदेशकों को बैठक फीस का भुगतान करती है। दी गयी बैठक फीस के भुगतान का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्रम संख्या	गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक का नाम	दी गई बैठक फीस
1.	श्री अभिजीत बासु	10,000
2.	श्री एस एम लोढ़ा	10,000
3.	श्री डी एस रावत	10,000

कम्पनी सरकारी नामितियों को कोई फीस नहीं देती है।

5. आम सभा की बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के आयेजन की तिथि, समय और स्थान का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	तिथि	समय	स्थान	विशेष संकल्प
2008-2009	31.12.2009	सायं 5.50 बजे	प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001	शून्य
2009-2010	30.11.2010	दोपहर पूर्व 11.30 बजे	प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001	कुछ नहीं
2010-2011	09.11.2011	दोपहर पूर्व 11.30 बजे	प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001	शून्य

5.1 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक

मैसर्स इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन की 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सदस्यों की पैत्तीसवीं वार्षिक आम बैंठक कम्पनी के प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली 110001 स्थित पंजीकृत कार्यालय में 21 नवम्बर 2012 को सायं 4.00 बजे होगी।

6. वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष का वक्तव्य एवं वार्षिक रिपोर्ट

अध्यक्ष का वक्तव्य कापोरेट गवर्नेस के दिशा-दिनेशों के अनुपालन में उसका भाग है तथा वार्षिक रिपोर्ट का अंगभूत हिस्सा है।

7. प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर)

1) सम्बन्धित पार्टियों के साथ किये गये लेन-देन में ये शामिल हैं:- (i) संयुक्त उद्यम समझौते के अन्तर्गत तथा कार्यों / सेवाओं की संविदाओं के कारण कम्पनियों को किया गया भुगतान (ii) महत्वपूर्ण प्रबन्धन कार्मिकों को दिया गया पारिश्रमिक और (iii) अनुषंगी कम्पनियों को इक्विटी अंशदान जो बड़े स्तर पर कम्पनी हित के संभावित विवाद के रूप में नहीं है। संबंधित पार्टी लेन-देन संबंधी विस्तृत ब्यौरे, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी तथा केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय लेखा गणना मानक सलाहकार समिति के परामर्श से अधिसूचित लेखा गणना मानक-18 के अनुसार लेखा संबंधी टिप्पणियों में शामिल किए गए हैं। संबंधित पार्टी लेनदेन संबंधी विस्तृत ब्यौरे इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैंस आफ इण्डिया द्वारा जारी तथा केन्द्रसरकार द्वारा राष्ट्रीय लेखा गणना मानक सलाहकार समिति के परामर्स से अधिसूचित लेखागणना मानक 18 के अनुसार लेखा संबंधी टिप्पणियों में शामिल किये गये हैं।

2) आई टी पी ओ लागू होने योग्य एकाउंटिंग स्टैण्डर्डो का अनुपालन कर रहा है। केवल सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय ब्यौरों की समीक्षा के बाद ही निदेशक मण्डल वित्तीय ब्यौरों को पारित करता है। वित्त वर्ष 2011-12 का तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा केश फ्लो स्टेटमेन्ट कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में उल्लिखित एकाउंटिंग स्टैण्डर्डो के अनुसार तैयार किये गये हैं।

3). पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों से संबंधित किसी मामले के बारे में किसी सांविधिक

प्राधिकरण द्वारा कोई शास्ति नहीं लगा अथवा निन्दात्मक टिप्पणी नहीं की गयी।

4. व्हीसिल ब्लोअर नीति के संबंध में कंपनी के केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशकों का अनुसरण कर रही है।

5. आई टी पी ओ के वरिष्ठ प्रबन्धन ने घोषणा की है कि उनका अपनाऐ कोई व्यक्तिगत हित नहीं है जिसका डी पी ई के कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देशों के खंड 7.5.2 दृष्टि से कंपनी के हितों के साथ कोई सम्भावित टकराव हो।

6. एकाउंटिंग स्टैण्डर्डो-21, 23 और 27 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना आई टी पी ओ पर लागू नहीं होता हैं, क्योकि आई टी पी ओ सूचीबद्ध कम्पनी नहीं है।

7. एकाउंटिंग स्टैण्डर्डो 17 के प्रावधानानुसार सेगमेन्ट रिपोर्टिंग के मामले में आई टी पी ओ लोक उद्यम विभाग के दिशा-निदेर्शों का अनुपालन कर रहा है।

8. लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार एक व्यापक रिस्क मैनेजमेंट पालिसी का निदेशक मंडल ने 26.03.2012 को अनुमोदन कर दिया है।

9. लेखा पुस्तकों में व्यय की ऐसी कोई मद दर्ज नहीं की गयी जो संगठन के प्रयोजन के लिए नहीं थी।

10. निदेशक मण्डल के सदस्यों के लिए निजी किस्म का कोई व्यय कम्पनी की निधि से नहीं किया गया।

11. कर्मचारियों के लाभ संबंधी व्यय और कुल व्यय स्थिति इस प्रकार है:

क्रमांक	विवरण	2011-12	2010-11
क	कर्मचारी लाभ व्यय	100.54 करोड़ रुपये	95.26 करोड़ रुपये
ख	कुल व्यय	190.76 करोड़ रुपये	234.24 करोड़ रुपये

उपर्युक्त से सपष्ट है कि यद्यपि कर्मचारी लाभप्रद हुआ व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में मामूली रूप से बढ़ा परन्तु कुल व्यय से उसका प्रतिशत बताता है कि यह 40.61 प्रतिशत से बढ़कर 52.70 प्रतिशत हो गया। इसका मुख्य कारण यह है कि 234.54 करोड़ रुपये के कुल व्यय में शंघाई प्रदर्शनी 2010 पर हुआ व्यय की शामिल है। आई टी पी ओ के कार्यकलाप आयोजनों पर आधारित है और मुख्यत: आयोजनों के आकार पर निर्भर करते हैं।

8. संचार साधन

यह कम्पनी एक गैर सरकारी कम्पनी है इसलिए यह तिमाही / छ: माही या वार्षिक आधार पर कम्पनी के परिणामों के संबंध में कोई सूचना प्रेषित नहीं कर रही है।

9. लेखा परीक्षा योग्यता:

लेखा परीक्षा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए लेखा परीक्षा निष्कर्ष/टिप्पणियां तथा प्रबन्धन के उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबन्ध-।। मे दिये गये हैं।

10. निदेशक मण्डल का प्रशिक्षण:

कम्पनी अपने निदेशक मण्डल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए इण्डियन इंस्ट्यूट आफ कारपोरेट अफेयर्स से सम्पर्क करेगी। यह अभी तक लागू नहीं किया गया है।

11. व्हीसिल ब्लोअर नीति:

इस मामले में कंपनी केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन कर रही है।

12. वर्ष 2011-12 के दौरान आई टी पी ओ द्वारा किए गए सी एस आर कार्यकलाप:

आई टी पी ओ ने रोहिणी, दिल्ली स्थित आशा किरण होम के मानसिक रूप से विकलांग बालक तथा बालिका अधिवासियों के लिये पृथक शौचालय ब्लाकों का निर्माण किया। यह कार्य वर्ष 2011-12 के समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित 31.50 लाख रुपये के परिव्यय से किया गया।

12.1 2012-13 के दौरान सी एस आर कार्यकलाप

समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान 32 लाख रुपये के लक्षित बजट से आशा किरण होम में डार्मिटरी बिल्डिंग बनाने का निर्णय किया गया है।

ह./-

(रीता मेनन)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन नं. 00543058

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 12 नवम्बर 2012

अनुबंध V

कार्पोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

(केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्पोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के खण्ड 8.2.1 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण,
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन,
नई दिल्ली

हमने लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी कार्पोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त 2010 में यथाविहित के अनुसार 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन कार्पोरेट गवर्नेंस की सभी शर्तों और उनके अधीन उल्लिखित अनुबन्ध की जांच कर ली है।

कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यथानिर्धारित कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही उनके बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या को छोड़कर लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यथाविदित कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है क्योंकि इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन एक सरकारी कम्पनी है और संस्था की अन्तरनियमावली के नियम 59 के अन्तर्गत भारत सरकार नियुक्ति करने वाली प्राधिकारी है।

हमारा यह भी कहना है कि इस तरह का अनुपालन न तो कम्पनी की भावी कार्यक्षमता का आश्वासन है और न ही कम्पनी की कार्यकुशलता और प्रभावकारिता है, जिनके साथ प्रबन्ध ने कम्पनी के कार्य सम्पादित किये हैं।

कृते चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

ह./-
(डा. एस. चन्द्रशेखरन)
वरिष्ठ पार्टनर
सदस्य सं. एफ सी एस 1644, सीपी 715

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 14 नवम्बर, 2012

अनुबंध-VI

प्रबंधन एवं चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट

आई टी पी ओ की वृद्धि- एक परिदृश्य

31 मार्च 2012 को समाप्त अवधि के लिए कम्पनी के परिचालकों से 183.03 करोड़ रुपये का अधिशेष प्राप्त हुआ जबकि वित्तीय वर्ष 2010-11 में यह राशि 70.87 करोड़ रु. और वित्तीय वर्ष 2009-10 में यह राशि 77.57 करोड़ रुपये थी। यह वृद्धि पिछले दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 2010-11 और 2009-10 से क्रमशः 158.26 प्रतिशत और 135.95 प्रतिशत की दर से हुई है। वर्ष 2011-12 के दौरान सृजित कुल आय की राशि 373.80 करोड़ रुपये है जबकि आय की यह राशि वर्ष 2010-11 के दौरान 305.12 करोड़ रु. और 2009-10 के दौरान 245.93 करोड़ रु. थी। कम्पनी जोकि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, के ज्ञापन और संस्था की अन्तर्नियमावली के अनुसार कोई लाभांश देय नहीं है। इसलिए व्यय से अधिक आय 183.3 करोड़ रु. है जिसे कम्पनी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने हेतु प्रयोग करने के लिए आरक्षित और अधिशेष लेखा में अग्रेषित किया गया है।

2011-12 के दौरान कार्य निष्पादन

विदेशी मेले

वर्ष 2011-12 के दौरान सम्पूर्ण विश्व में भारतीय व्यापार के संवर्धन लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए आई टी पी ओ ने 26 विदेशी व्यापार मेलों में प्रतिभागिता आयोजित की जिसमें मेक्सिको और कजाकिस्तान में एक-एक इण्डिया शो और ओसाका जापान में दो मिनी इण्डिया शो आयोजित किये गये। 26 मेलों में से 7 यूरोप में, 6 अफ्रीका और मध्य-पूर्व क्षेत्र में, 6 अमेरिका में, 5 एशिया में और सार्क तथा सी आई एस क्षेत्र में एक-एक मेले का आयोजन किया गया। इन कुल 26 मेलों में से 10 सामान्य और 16 विशेषीकृत मेले थे।

कुछ बड़े मेलों में जैसे समर फैन्सी फ्रूड शो (न्यूयार्क), संयुक्त राज्य अमेरिका, अनूगा फूड फेयर, (कोलोन) जर्मनी, भारतीय परिधान शो और भारतीय गृहसज्जा शो (ओसाका) जापान, एशिया पैसिफिक लेदर मेला, हांगकांग और ए एफ एल आर्टिगियानाओ डि फेयरा-अन्तरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, (मिलान) इटली शामिल हैं।

भारत में आयोजित मेले

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान आई टी पी ओ ने भारत में 10 मेलों का आयोजन किया जिनमें से 7 मेलों का आयोजन दिल्ली में और 3 का आयोजन क्षेत्रीय स्तर पर किया गया। वर्ष के दौरान नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित मेलों में विशाल मेला, भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आई आई टी एफ 2011), भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, दिल्ली पुस्तक मेला, स्टेशनरी मेला, चौदहवीं भारतीय अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी और आहार-अन्तरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला शामिल हैं। दिल्ली के बाहर क्षेत्रीय स्तर पर तीन मेलों का आयोजन किया गया- दो विशेषीकृत चमड़ा मेलों का आयोजन कोलकाता और चेन्नई में तथा आहार-अन्तरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला चेन्नई में आयोजित किया गया।

अनुषंगी कम्पनियां

आई टी पी ओ ने चेन्नई और बैंगलूरू में दो क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र स्थापित किये हैं जो तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और कर्नाटक औद्योगिक विकास निगम बोर्ड के साथ गठित दो संयुक्त उद्यम हैं। वर्ष 2011-12 में प्रदर्शनी हॉलों में आयोजित 101 प्रदर्शनियों और कनवेंशन

हॉलों में आयोजित 111 प्रदर्शनियाँ चेन्नई व्यापार केन्द्र में आयोजित की गई और इनसे 18.86 करोड़ रु. के अधिशेष का सृजन हुआ। बैंगलूरू केन्द्र ने 32 मेलों/प्रदर्शनियों की मेजबानी की और वर्ष 2011-12 के दौरान 8.84 करोड़ रुपये का संचयी अधिशेष अर्जित किया।

अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ नेटवर्क स्थापना :

आई टी पी ओ, समझौता ज्ञापन जैसी सहयोगात्मक व्यवस्था अथवा सदस्यता के जरिये व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्रों में अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ नेटवर्क तैयार कर रहा है। आई टी पी ओ ने पाकिस्तान के व्यापार विकास अधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें अपने-अपने देशों में आयोजित होने वाले मेलों के बारे में प्रकाशनों और कैलेन्डर का आदान-प्रदान सहित एक-दूसरे के कार्यकलाप के क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान शामिल है। आई टी पी ओ एशिया व्यापार संवर्धन मंच (एटीपीएफ) का संस्थापक सदस्य है और उसकी वार्षिक बैठक में नियमित रूप से भाग लेता है।

मानव संसाधन

वर्ष 2011-12 के दौरान आई टी पी ओ में 44 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया और 216 कर्मचारियों को गहन सुनिश्चित आजीविका प्रगति योजना (आइ ए सी पी एस) के अन्तर्गत निजी पदोन्नयन दिया गया और आरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के हितों की देखभाल के लिये सम्पर्क अधिकारी नामित किये गये हैं। विभागीय पदोन्नति/चयन समिति की प्रत्येक बैठक में इन वर्गों के प्रत्याशियों के हितों की देख-भाल के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों और अल्पसंख्यक वर्ग के एक समुचित अधिकारी को सहयोजित किया गया। विकलांग व्यक्तियों हेतु पदों/सेवाओं में आरक्षण के संबंध में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में अन्तर्विष्ट उपबंधों का भी अनुपालन किया गया।

व्यापार प्रतिनिधि मंडल

आई टी पी ओ ने व्यापार संवर्धन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रिका, रूस और जापान से आये 31 प्रतिनिधि मण्डलों की मेजबानी की और उनकी यात्रा के दौरान व्यापार मेलों में उत्पादों और सेवाओं की व्यापक रेंज वाली सम्भावित भारतीय कम्पनियों के साथ उनकी बैठकें आयोजित कराई और आनसाइट बैठकें आयोजित की गयी।

सांस्कृतिक कार्यकलाप :

सांस्कृतिक एकक ने भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2011 के दौरान कई प्रख्यात कलाकारों/कलाकार-समूहों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में गायन और वाद्य संगीत, शास्त्रीय नृत्य, कव्वाली, गीत और गजल, नुक्कड़ नाटक और कठपुतली शो शामिल थे। भागीदार राज्यों ने अपने-अपने राज्य दिवस समारोह का आयोजन भी किया।

शाकुन्तलम थियेटर में 31 मार्च 2012 तक नियमित रूप से प्रतिदिन फिल्में दिखायी गयी। तथापि शाकुन्तलम थियेटर को कनवेंशन सुविधा में तब्दील करने का निर्णय किया गया इसीलिए 2011-12 के आखिरी दिन से नियमित फिल्म दिखाना बंद कर दिया गया।

राजभाषा (हिंदी) का प्रगामी प्रयोग :

आई टी पी ओ ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन जारी रखा। विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किये गए।

दैनंदिन सरकारी कार्य में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2011 में हिंदी नोटिंग ड्राफ्टिंग, हिंदी अनुवाद, हिंदी सुलेख एवं श्रुत लेख, हिंदी निबंध और हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें प्रत्येक प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले

प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार दिये गये। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रतिभागी को प्रोत्साहन के रूप में डा. हरदेव बाहरी का हिंदी अंग्रेजी शब्द कोष दिया गया।

विपणन विकास सहायता

आई टी पी ओ को वाणिज्य विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) द्वारा उन निर्यातकों को जो अन्य किसी निर्यात संवर्धन परिषदों आदि के भी सदस्य हैं और विपणन विकास सहायता के अंतर्गत प्रदर्शनी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत आई टी पी ओ के विभिन्न विदेशी योजनाओं में भी मामले रहे हैं। इस सहायता योजना के अंतर्गत अनुदान वितरण के लिए 01.12.2007 से अनुदाता संगठन के रूप में पदनामित किया गया है।

कम्प्यूटरीकरण

सूचना के आदान-प्रदान एवं दैनिक आधार पर तैयार डाटा के केन्द्रीकृत भण्डारण हेतु आई टी पी ओ में सभी विभागों को एक व्यापक नेटवर्क से जोड़ा गया है।

एक कार्पोरेट वेबसाइट www.indiatradefair.com आई टी पी ओ के विभिन्न विभागों की गतिविधियों के बारे में कार्पोरेट जानकारी उपलब्ध कराती है। इसमें अत्यधिक संपर्क के साथ थर्ड पार्टी मेलों और देश व विदेशों में आयोजित किये जाने वाले मेलों के बारे में जानकारी शामिल होती है। सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार विक्रेताओं, ग्राहकों और आम जनता के लाभ हेतु कार्पोरेट वेबसाइट पर सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम से सम्बन्धित सूचनाएं और टेण्डर नोटिसों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है।

व्यापार सूचना कार्यकलाप

आई टी पी ओ प्रगति मैदान, नई दिल्ली में व्यापार सूचना केन्द्र (हाल नं. 19) में एक वास्तविक एवं इलेक्ट्रानिक लाइब्रेरी चला रहा है जहां व्यापारी दर्शक व्यापार संवर्धन के लिए सूचना एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। इस लाइब्रेरी में अद्यतन सूचना प्रदान करने के लिए यह व्यापार से संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में व्यापार और उद्योग की रूचि वाले प्रकाशन और पत्रिकाएं बड़ी संख्या में मंगा रहा है। वर्ष 2011-12 के दौरान लगभग 105 विषयों पर 120 विभिन्न पत्रिकाएं, 34 व्यापार संबंधी प्रकाशन और लगभग 34 सी डी रोम केन्द्र में मंगाए गए।

आई टी पी ओ इण्डियन एक्सपोर्ट बुलेटिन (आई ई बी) नाम से एक साप्ताहिक प्रकाशन भी निकाल रहा है जिसमें नियमित रूप से विदेश व्यापार सूचना, व्यापार के अवसर, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट, व्यापार मेले और प्रदर्शनियों, निविदा सूचनाओं (राष्ट्रीय एवं विदेशी) और आई टी पी ओ के कार्यकलापों के बारे में व्यापार एवं उद्योग के लाभ के लिए जानकारी प्रकाशित की जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान इण्डियन एक्सपोर्ट बुलेटिन (आई ई बी) के 52 अंक प्रकाशित किये गये और वेबसाइट www.tradeportalofindia.org पर डाले गये ताकि व्यापार एवं उद्योग से संबंधित व्यक्तियों तक ये जानकारी तेजी के साथ पहुंच सके और उनके द्वारा प्राप्त की जा सके।

वर्ष 2011-12 के दौरान आई टी पी ओ द्वारा किये गये सी एस आर कार्यकलाप

आई टी पी ओ ने रोहिणी, दिल्ली में मंद बुद्धि बालकों के लिए आशा किरण होम के बालक एवं बालिका आवास के लिए पृथक शौचालय खण्ड का निर्माण कराया। यह कार्य 2011-12 के समझौता ज्ञापन के अंतर्गत 31.50 लाख रुपये के निर्धारित परिव्यय से किया गया। यह निर्णय किया गया है कि वर्ष 2012-13 के समझौता ज्ञापन के अंतर्गत 32 लाख रुपये के निर्धारित बजट से आशा किरण होम में एक डॉरमिट्री बिल्डिंग का निर्माण कराया जाय।

अनुबंध-VII

सचिवीय अनुपालन प्रमाण-पत्र

कम्पनी की अभिज्ञान संख्या : यू 74899 डी एल 1976 एन पी एल 008453
अंकित पूंजी: 50,00,000 रु.

सेवा में,
सदस्यगण
मैसर्स इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
प्रगति भवन, प्रगति मैदान
नई दिल्ली-110001

हमने कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन मैसर्स इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (धारा 25 के अधीन गठित कंपनी) जिसका पंजीकृत कार्यालय प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001 में है, के 31 मार्च 2012 (वित्त वर्ष) को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उन रजिस्टरों, अभिलेखों, बहियों तथा कागजातों की जांच कर ली है जो कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) और तदन्तर्गत निर्मित नियमों और कम्पनी के ज्ञापन तथा अन्तर्नियमावली में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार रखने अपेक्षित हैं। हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार एवं कम्पनी, इसके अधिकारियों और एजेन्टों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम उपर्युक्त वित्त वर्ष के बारे में यह प्रमाणित करते हैं कि :-

1. कम्पनी ने इस अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनरूप सभी रजिस्टर बनाये हैं जो इस प्रमाण पत्र के 'अनुबंध-क' में वर्णित हैं और उनमें सभी प्रविष्टियां यथोचित रूप से अंकित हैं।

2. कम्पनी ने अधिनियम एवं इसके लिए बने नियमों के अन्तर्गत यदि विलम्बित है तो अतिरिक्त शुल्क सहित निर्धारित समय के अन्दर कम्पनी रजिस्ट्रार के पास इस प्रमाण पत्र के अनुबंध 'ख' में विहित फार्म एवं विवरणियां जमा कर दी हैं।

3. धारा 25 के अंतगर्त पंजीकृत होने के कारण कम्पनी के पास निर्धारित न्यूनतम प्रदत्त शेयर पूंजी जरूरी नहीं है और उक्त वित्त वर्ष के दौरान इसके सदस्यों की संख्या तीन थी जिसमें इसके वर्तमान और पूर्व कर्मचारी शामिल नहीं हैं और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने -

   (i) अपने शेयर और डिबेन्चर खरीदने के लिए आम जनता को आमंत्रित नहीं किया है।

   (ii) अपने सदस्यों, निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से कोई जमा राशि न तो आमंत्रित की है और न ही स्वीकार की है।

4. वर्ष के दौरान निदेशक बैठक की 6 (छः) बैठकें क्रमशः 7 जून, 2011, 3 अगस्त 2010, 29 अगस्त 2011, 8 नवंबर 2011, 3.2.2012 और 26 मार्च, 2012 की हुई थी जिनके संबंध में बैठकों के समुचित नोटिस दिये गये थे और जिनकी कार्यवाही इस प्रयोजन से बनायी गयी कार्यवृत्त पुस्तिका में उचित रूप से अभिलिखित है और हस्ताक्षरित की गई थी।

5. समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के लिए सदस्यों अथवा डिबेन्चर धारकों का रजिस्टर बंद करना अपेक्षित नहीं था।

6. कंपनी के सदस्यों को नोटिस देकर, 31.3.2011 को समाप्त वित्त वर्ष की 34वीं वार्षिक आम बैठक 9 नवम्बर 2011 को आयोजित हुई थी और उसमें पारित प्रस्तावों का इस प्रयोजन के लिए रखी गयी कार्यवृत्त पुस्तिका में यथोचित रूप से रिकार्ड किया गया था। वार्षिक आम बैठक की तिथि बढ़ाने के लिये आवश्यक स्वीकृति अधिनियम के संगत उपबंन्धों के अन्तर्गत कारपोरेट मामलों के मंत्रालय से उसके पत्र दिनांक 27.09.2011 द्वारा प्राप्त कर ली गयी थी।

7. समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गयी।

8. प्राईवेट कंपनी होने के कारण इस पर अधिनियम की धारा 295 लागू नहीं होती।

9. वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई ऐसा अनुबंध नहीं किया है जो इस अधिनियम की धारा 297 के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो।

10. कम्पनी ने अधिनियम की धारा 301 के अधीन रखे गये रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी हैं।

11. चूंकि ऐसे कोई मामले नहीं थे जो कंपनी अधिनियम की धारा 314 के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हों, अतः कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपने निदेशक मण्डल से उसके सदस्यों अथवा केन्द्र सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है।

12. इस वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयर प्रमाण पत्रों की कोई दूसरी प्रतिलिपि जारी नहीं की है।

13. कम्पनी ने :

(i) समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार शेयरों के अन्तरण / हस्तान्तरण / स्थानान्तरण संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की सुपुर्दगी की है।

(ii) वित्त वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं किया है।

(iii) चूंकि यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत निगमित है, अतः इसे अपने सदस्यों को कोई लाभांश देना मना है और इस प्रकार इसको अलग बैंक खाते में कोई राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) चूंकि यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत निगमित है और इस प्रकार इसे अपने सदस्यों को किसी लाभांश का भुगतान करना मना है, अतः कम्पनी को अपने किसी भी सदस्य को वारन्ट पोस्ट करना आवश्यक नहीं है।

(v) अदत्त लाभांश खाते, वापसी देय एप्लिकेशन मनी, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर तथा उस पर उद्भूत ब्याज जिसका सात वर्ष से दावा न किया गया हो अथवा भुगतान न किया गया हो, की राशि का अन्तरण निवेशक शिक्षा एवं बचाव फण्ड में कर दिया है।

लागू नहीं होता

(vi) कम्पनी अधिनियम की धारा 217 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

14. कम्पनी के निदेशक मण्डल का विधिवत् गठन किया गया है।

15. प्राइवेट कम्पनी होने के कारण, इस कम्पनी पर प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक की नियुक्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 269 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

16. कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान कोई भी थोक विक्रेता एजेंट नियुक्त नहीं किये हैं। सरकारी कम्पनी होने के करण कम्पनी पर अधिनियम 1956 की धारा 294 एवं 294 क क के उपबंध लागू नहीं होते।

17. कम्पनी ने अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अन्तर्गत विहित रूप में दिनांक 27.9.2011 द्वारा 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए समय बढ़ाने हेतु कम्पनी रजिस्ट्रार की स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

ऊपर उल्लिखित मामलों के अलावा, कम्पनी को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार, कम्पनी विधि परिषद्, क्षेत्रीय निदेशक, रजिस्ट्रार और/या ऐसी अन्य अथारिटी से स्वीकृति लेना अपेक्षित नहीं था।

18. अधिनियम के उपबंधों और उनके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार निदेशकों ने निदेशक मण्डल को अन्य फर्मों / कम्पनियों में अपना हित स्पष्ट कर दिया है।

19. कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान कोई शेयर/डिबेंचर/ अन्य प्रतिभूतियां जारी नहीं की हैं।

20. कम्पनी ने इस वित्त वर्ष के दौरान कोई शेयर वापस नहीं खरीदा है।

21. चूंकि कम्पनी ने कोई अधीनस्थ शेयर या डिबेन्चर जारी नहीं किया है। अतः इस वित्त वर्ष के दौरान किसी अधिमान्य शेयर/ डिबेंचर का मोचन नहीं किया गया है।

22. ऐसे कोई लेन-देन नहीं हुए जिससे कंपनी को शेयरों के अन्तरण का रजिस्ट्रेशन होने तक, लाभांश के अधिकारों, राइट शेयरों, बोनस शेयरों को प्रास्थगित करने की आवश्यकता पड़ी हो।

23. कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 58 क और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधिकार क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले अनारक्षित ऋण सहित किसी भी जमा को आमन्त्रित/स्वीकार नहीं किया है।

24. प्राइवेट कम्पनी होने के कारण, कम्पनी पर वित्त वर्ष के दौरान लिए गए ऋण पर अधिनियम की धारा 293(1)(घ) के उपबंध लागू नहीं होते।

25. प्राइवेट कम्पनी होने के कारण इस पर अधिनियम की धारा 372 क के उपबंध लागू नहीं होते।

26. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में अवस्थित करने के लिए ज्ञापन के उपबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

27. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने उद्देश्यों के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

28. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के नाम के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

29. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की शेयर पूंजी के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

30. कम्पनी ने इस वित्त वर्ष के दौरान अपने आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

31. कम्पनी अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कम्पनी के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया गया था, उसे कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और उस पर कोई जुर्माना या शास्ति नहीं लगाई गई या दंड नहीं दिया गया।

32. इस वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने कर्मचारियों से राशि के रूप में प्रतिभूति प्राप्त नहीं की है।

33. कम्पनी ने अधिनियम की धारा 418 के अन्तर्गत यथापेक्षित अपने कर्मचारियों के लिए कोई पृथक भविष्य निधि न्यास का गठन नहीं किया है।

कृते चन्द्रशेखरन एसोसियेट्स
ह./-
(रूपेश अग्रवाल)
पार्टनर
सी. पी. संख्या 5673,
ए सी एस संख्याः 16302

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 नवम्बर, 2012

अनुबंध-'क'

कम्पनी द्वारा बनाये गए रजिस्टर

सांविधिक रजिस्टर

1. अधिनियम की धारा 150 के अंतर्गत सदस्यों का रजिस्टर
2. अधिनियम की धारा 193 के अंतर्गत शेयरधारकों की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका
3. अधिनियम की धारा 193 के अंतर्गत निदेशक मण्डल की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका।
4. अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत उन संविदाओं का रजिस्टर जिनमें निदेशक हितवद्ध हैं।
5. अधिनियम की धारा 303 के अंतर्गत निदेशकों, प्रबंध निदेशकों/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक और सचिव का रजिस्टर।
6. अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर

अन्य रजिस्टर

1. शेयर हस्तान्तरण रजिस्टर
2. स्थायी परिसंपत्तियों का रजिस्टर
3. निवेशकों का रजिस्टर
4. निदेशकों का उपस्थिति रजिस्टर
5. शेयरधारकों का उपस्थिति रजिस्टर

अनुबंध 'ख'

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार अथवा अन्य अधिकारियों के पास दाखिल किये गये फार्म एवं विवरणियां

क्रम संख्या	फार्म संख्या	जिस धारा के अन्तर्गत दाखिल किया गया	एस आर एन	दाखिल करने की तारीख	दाखिल करने का प्रयोजन	क्या निर्धारित समय के अन्दर दाखिल किया गया	यदि दाखिल केस में विलम्ब हुआ तो क्या अपेक्षित अतिरिक्त फीस दी गयी।
01	फार्म 66	383क	P92947878	29.10.2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये अनुपालन प्रमाणपत्र	नहीं	हाँ
02	फार्म 23	192	B670209004	22.10.2012	निदेशक मण्डल की 3.2.2012 को हुई बैठकों में श्रीमती रीता मेनन की 3.2.1012 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए निदेशक मण्डल द्वारा पारित संकल्प का पंजीकरण	नहीं	हाँ

क्रम संख्या	फार्म संख्या	जिस धारा के अन्तर्गत दाखिल किया गया	एस आर एन	दाखिल करने की तारीख	दाखिल करने का प्रयोजन	क्या निर्धारित समय के अन्दर दाखिल किया गया	यदि दाखिल केस में विलम्ब हुआ तो क्या अपेक्षित अतिरिक्त फीस दी गयी।
03	फार्म 23	192	B60208675	22.10.2012	निदेशक मण्डल की 29.8.2011 को हुई बैठक में, श्री राजीव खेर की 10.8.2011 से कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए निदेशक मण्डल द्वारा पारित संकल्प का पंजीकरण	नहीं	हाँ
04	फार्म 32	303	B31723356	10-02-2012	12.01.2012 से श्री देवेन्द्र सिंह रावत, श्री सुरेश लोढ़ा मल और श्री अभिजित बासु की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति।	हाँ	लागू नही होता
05	फार्म 32	303	B31034549	02-02-2012	9.11.2011 से श्री राजीव खेर का त्याग पत्र।	हाँ	नहीं

क्रम संख्या	फार्म संख्या	जिस धारा के अन्तर्गत दाखिल किया गया	एस आर एन	दाखिल करने की तारीख	दाखिल करने का प्रयोजन	क्या निर्धारित समय के अन्दर दाखिल किया गया	यदि दाखिल केस में विलम्ब हुआ तो क्या अपेक्षित अतिरिक्त फीस दी गयी।
06	फार्म 32	303	B31034010	02-02-2012	श्रीमती रीता मेनन के कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 3.1.2012 से पदनाम में परिवर्तन	हाँ	लागू नही होता
07	फार्म 32	303	B31033491	02-02-2012	श्रीमती रीता मेनन की 3.1.2012 से कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति	हाँ	लागू नही होता
08	फार्म 20B	159	P84499078	08-01-2012	9.11.2011 को हुई वार्षिक आम बैठक की वार्षिक विवरणी	हाँ	लागू नही होता
09	फार्म 23 AC &ACA-XBRL	220	P84294099	31-12-2011	31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा	हाँ	लागू नही होता
10	फार्म 32	303	B25494063	23-11-2011	श्री राजीव खेर के कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 10.8.2011 से पदनाम में परिवर्तन	हाँ	नहीं

क्रम संख्या	फार्म संख्या	जिस धारा के अन्तर्गत दाखिल किया गया	एस आर एन	दाखिल करने की तारीख	दाखिल करने का प्रयोजन	क्या निर्धारित समय के अन्दर दाखिल किया गया	यदि दाखिल केस में विलम्ब हुआ तो क्या अपेक्षित अतिरिक्त फीस दी गयी।
11	फार्म 32	303	B22966998	17-10-2011	श्री राजीव खेर के कम्पनी के निदेशक के रूप में 10.8.2011 से नियुक्ति	नहीं	हाँ
12	फार्म 32	303	B22964704	17-10-2011	श्री सुवास चन्द्र पाणि का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 6.8.2011 से त्यागपत्र	नहीं	हाँ
13	फार्म 32	303	B17174830	29-07-2011	श्रीमती रीनत संधु का कम्पनी के निदेशक पद से 7.7.2011 से त्याग-पत्र और श्रीमती राधिका लाल लोकेश की कम्पनी के निदेशक के रूप में 7.7.2011 से नियुक्ति	हाँ	लागू नही होता

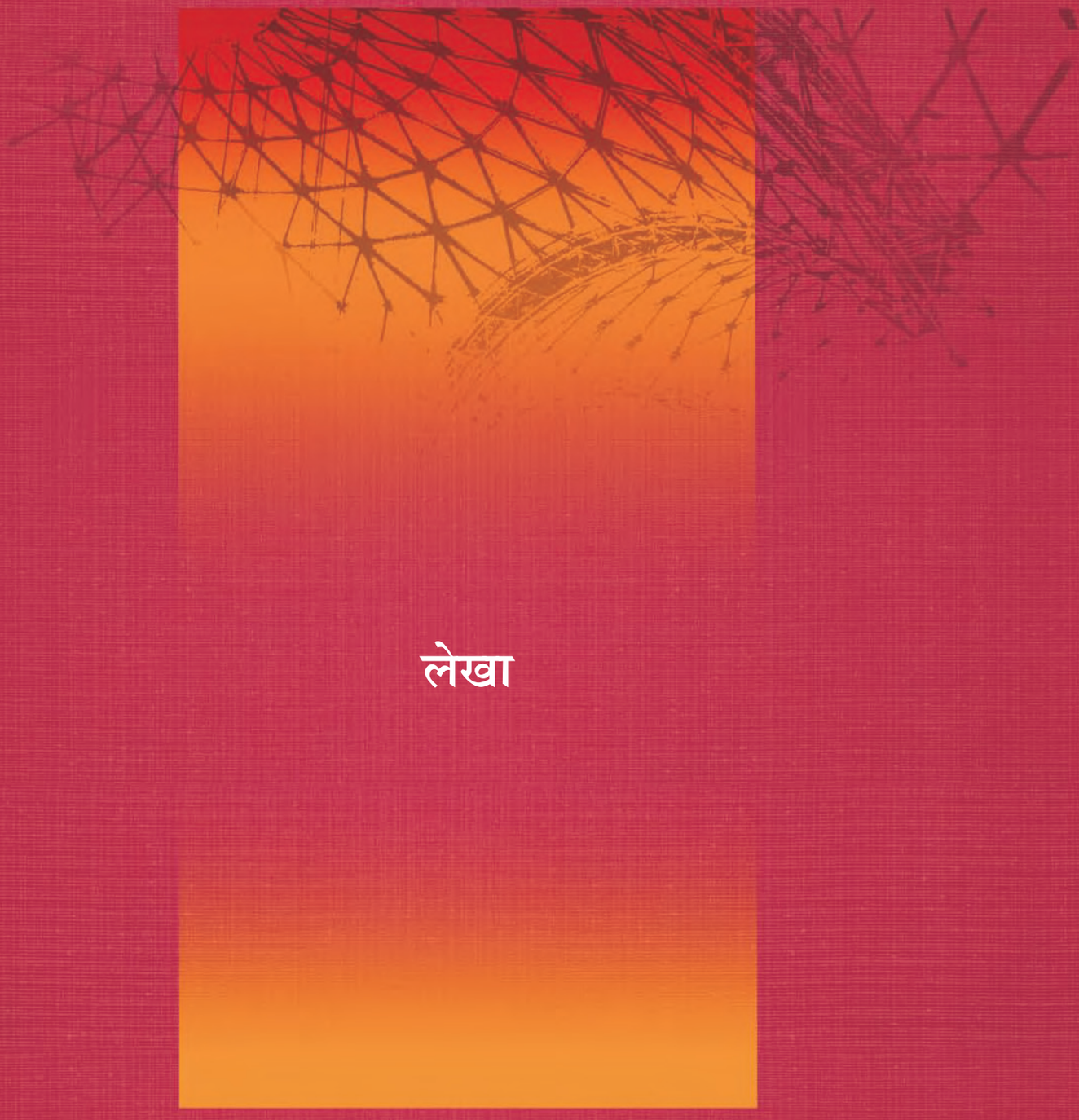

लेखा

31 मार्च 2012 को तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	नोट	31.3.2012 को यथास्थिति	31.3.2011 को यथास्थिति
I इक्विटी और देयताएँ			
(1) शेयर धारकों के फंड			
(क) शेयर पूंजी	3	25,00,000	25,00,000
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	4	9,60,37,11,301	7,77,34,00,515
		9,60,62,11,301	7,77,59,00,515
(2) गैर-चालू देयताएं			
(क) अन्य दीर्घावधि देयताएं	5	5,01,08,519	1,55,39,719
(ख) दीर्घवधि प्रावधान	6	48,21,14,554	42,05,62,028
		53,22,23,073	43,61,01,747
(3) चालू देयताएं			
(क) ट्रेड पेएबल	7	15,54,77,483	54,89,33,507
(ख) अन्य चालू देयताएं	8	58,43,04,349	57,87,11,236
(ग) अल्पावधि प्रावधान	9	27,14,37,077	21,51,65,790
		1,01,12,18,909	1,34,28,10,533
कुल		**11,14,96,53,283**	**9,55,48,12,795**
II. परिसम्पत्तियां			
(1) गैर चालू परिसम्पत्तियां			
(क) स्थाई परिसम्पत्तियां	10		
(i) मूर्त परिसम्पत्तियां		58,00,23,073	61,63,30,499
(ii) पूंजीकृत कार्य प्रगति पर		83,68,781	1,55,67,000
		58,83,91,854	63,18,97,499
(ख) गैर चालू निवेश	11	12,20,51,250	12,20,51,250
(ग) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	12	16,97,00,826	13,83,55,285
(घ) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	13	4,05,68,383	3,92,49,708
		33,23,20,459	29,96,56,243
(2) चालू परिसम्पत्तियां			
(क) चालू निवेश	14	22,24,267	20,55,841
(ख) ट्रेड रिसिएबल	15	11,05,80,059	10,20,27,256
(ग) नकद एवं बैंक शेष	16	8,29,99,96,053	7,34,00,51,967
(घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	17	1,36,09,61,712	71,71,29,380
(ङ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	18	45,51,78,879	46,19,94,609
		10,22,89,40,970	8,62,32,59,053
कुल		**11,14,96,53,283**	**9,55,48,12,795**

महत्वपूर्ण गणना नीतियां 2

अनुषंगी टिप्पणियां वित्तीय ब्योरों के अभिन्न अंग है।

ह./-

(ए. के. खन्ना)
वरि. महाप्रबन्धक एवं वित्तीय सलाहकार
तथा कम्पनी सचिव

ह./-

(नीरज कुमार गुप्ता)
कार्यकारी निदेशक
हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते किशोर ऐण्ड किशोर
चार्टरित लेखाकार

ह./-

(अंशु गुप्ता)
सदस्यता सं. 077891
एफ आर एन 000291 एन

ह./-

(रीता मेनन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.08.2012

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय ब्यौरा

(राशि रुपयों में)

	विवरण	नोट	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए
I	**आय**			
	संचालन से राजस्व	**19**	2,73,18,65,507	1,87,96,72,239
	अन्य आय	**20**	1,00,60,87,123	1,17,15,15,827
	कुल आय		**3,73,79,52,630**	**3,05,11,88,066**
II	**व्यय**			
	कर्मचारी हित व्यय	**21**	1,00,54,08,535	95,25,81,965
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**22**	4,38,00,668	3,48,41,119
	अन्य व्यय	**23**	85,55,02,822	1,34,72,80,055
	कुल व्यय		**1,90,47,12,025**	**2,33,47,03,139**
III	**अपवादात्मक, पिछली अवधि, विशेष मदों और कर से पहले आय से अधिक व्यय**		**1,83,32,40,605**	**71,64,84,927**
IV	पिछली अवधि का समायोजन (निवल)		29,29,819	77,38,619
V	**कर से पूर्व आय से अधिक व्यय**		**1,83,03,10,786**	**70,87,46,308**
VI	**कर संबंधी व्यय**	**29**	-	-
	अवधि के लिए आय से अधिक व्यय		**1,83,03,10,786**	**70,87,46,308**
VII	1 रु. प्रति इक्विटी शेयर से आय	**24**		
	(1) मूल		73,212	28,350
	(2) कमी		73,212	28,350

महत्वपूर्ण गणना नीतियां 2

अनुषंगी टिप्पणियां वित्तीय ब्योरों के अभिन्न अंग है।

ह./-
(ए. के. खन्ना)
वरि. महाप्रबन्धक एवं वित्तीय सलाहकार
तथा कम्पनी सचिव

ह./-
(नीरज कुमार गुप्ता)
कार्यकारी निदेशक

ह./-
(रीता मेनन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते किशोर ऐण्ड किशोर
चार्टरित लेखाकार

ह./-
(अंशु गुप्ता)
सदस्यता सं. 077891
एफ आर एन 000291 एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.08.2012

31.03.2012 को समाप्त वर्ष का कैश-फ्लो विवरण

(रुपये लाख में)

	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का	
क. परिचालन गतिविधियों से कैश फ्लो				
कर एवं असाधारण मदों से पूर्व		1,83,03,10,786		70,87,46,308
व्यय से अधिक आय				
समायोजन: निम्नलिखित मदों के लिए-				
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	4,38,00,668		3,48,41,119	
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई हानि/लाभ	-4,68,489		-4,19,752	
प्रावधान	13,70,05,682		68,88,628	
ऐसे प्रावधान/देयताएं जो अब अपेक्षित नहीं हैं	-4,10,30,622		-2,01,85,068	
ब्याज एवं लाभांश से हुई आय	-75,52,94,891		-50,56,70,050	
बट्टेखाते में डाली गयी परिसम्पत्तियां	10,138	-61,59,77,514	4,16,528	-48,41,28,595
कार्यशील पूंजी विनिमय से पूर्व परिचालन अधिशेष		**1,21,43,33,272**		**22,46,17,713**
समायोजन: निम्नलिखित मदों के लिए-				
विविध देनदारी एवं अन्य प्राप्य में (बढ़ोत्तरी)/कमी	-13,37,38,823		-16,08,39,356	
अग्रिम में बढ़ोत्तरी/कमी	-3,15,00,480		2,23,15,316	
चालू परिसम्पत्तियों एवं प्रावधानों में (बढ़ोत्तरी)/कमी	-19,44,39,676	-35,96,78,979	4,71,66,189	-9,13,57,851
संचालनशील गतिविधियों से निवल कैश (क)		**85,46,54,293**		**13,32,59,862**
ख. निवेशी गतिविधियों से कैश फ्लो				
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद		-3,72,386		-26,60,68,860
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री		5,35,714		65,77,635
निवेश एवं इंटरकारपोरेट जमा		-65,01,68,426		4,97,62,429
ब्याज एवं लाभांश से आय		75,52,94,891		50,56,70,050
निवेशी गतिविधियों से निवल नकदी (ख)		**10,52,89,793**		**29,59,41,254**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी (ग)		**शून्य**		**शून्य**
नकदी एवं नकदी तुल्य राशि में निवल बढ़ोत्तरी (क)+(ख)+(ग)		**95,99,44,086**		**42,92,01,116**
वर्ष के आरम्भ में नकदी एवं नकदी तुल्य राशि		**7,34,00,51,967**		**6,91,08,50,851**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी तुल्य राशि		**8,29,99,96,053**		**7,34,00,51,967**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी तुल्य के संघटक				
अपने पास विद्यमान नकदी एवं नकदी तुल्य राशि		18,82,000		83,63,902
बैंकों में बकाया - चालू एवं बचत खातों में		40,81,14,053		51,41,88,065
बैंकों में बकाया - जमा खातों में		7,89,00,00,000		6,81,75,00,000
		8,29,99,96,053		**7,34,00,51,967**

टिप्पणी: पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक था उन्हें वर्गीकृत किया गया है।

ह./-
(ए. के. खन्ना)
वरिष्ठ महाप्रबंधक एवं
वित्तीय सहाहकार तथा कम्पनी सचिव

ह./-
(नीरज कुमार गुप्ता)
कार्यकारी निदेशक

ह./-
(रीता मेनन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

हमने इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए उपर्युक्त कैश फ्लो विवरण की जांच कर ली है। यह विवरण इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इण्डिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक-3 की शर्तों के अनुसार तैयार किया गया है तथा कम्पनी के सदस्यों को 27 अगस्त, 2012 को दी गयी हमारी रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी के तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखे पर आधारित है।

किशोर ऐण्ड किशोर
चार्टरित लेखाकार

ह./-
(अंशु गुप्ता)
सदस्यता सं. 077891
एफ आर एन 000291 एन

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. सामान्य जानकारी :

यह कंपनी कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अर्न्तगत 30.12.1976 को मुख्य रूप से भारत तथा विदेश में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजित के माध्यम से भारत के व्यापार संवर्धन के उद्देश्य से ट्रेड फेयर अथारिटी ऑफ इण्डिया (टीएफआईटी) के रूप में स्थापित की गयी थी। बाद में 1.1.1992 को टीएफएआई का भूतपूर्व ट्रेड डेवलेपमेंट अथारिटी के साथ विलय हो जाने पर विलयित संगठन को पुनर्नामित करके इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाईजेशन कर दिया गया। यह कंपनी भारत सरकार का शीर्ष व्यापार संवर्धन निकाय है तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है।

2. महत्वपूर्ण लेखा-गणना नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

(क) वित्तीय ब्यौरे तथा सामान्यत: स्वीकृत लेखा गणना सिद्धांतों और ऐतिहासिक लागत परम्परा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3ग) के अधीन अधिसूचित लेखा गणना मानकों के अनुसार तैयार किये गये हैं।

(ख) कम्पनी निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर, अक्रुअल आधार पर लेखा गणना की मर्केन्टाइल पद्धति अपनाती है तथा आय-व्यय की महत्त्वपूर्ण मदों को मानती है:-

(i) छुट्टी यात्रा रियायत सम्बन्धी व्यय की गणना उस वर्ष में दिखायी गयी है जिस वर्ष वह लिया गया हो।

(ii) विलम्ब शुल्क की माफी, जिसमें अन्य पार्टियों की ओर से भी निपटारा हो जाने पर किये गये मामले शामिल हैं।

(iii) कार्य देर से पूरा करने के लिए ठेकेदारों से परिशोधन क्षतिपूर्ति के दावे, जब धनराशि अन्तिम तौर पर तय कर ली गयी हो एवं उस पर सहमति हो चुकी हो।

(iv) नियमित सदस्यों से प्राप्त सेवा प्रभार तथा एसोसिएट सदस्यता शुल्क। किन्तु जो सदस्यता शुल्क अग्रिम रूप में प्राप्त हुआ है, उसे उसी वर्ष में दिखाया गया है जिस वर्ष की सदस्यता के लिए हो।

(ग) सरकार से प्राप्त अनुदान को व्यय की प्रकृति के अनुसार पूंजी अथवा राजस्व खाते में दिखाया गया है। विशेष पूंजी अनुदान को विशेष परिसम्पत्तियों को लागत में घटाया गया है।

(घ) भारत एवं विदेशों में आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों की आय/व्यय उसी वर्ष में दिखाये गये हैं, जिस वर्ष वे आयोजित किये गये हों। लेकिन दीर्घावधि वाली ऐसी प्रदर्शनियों के मामले में जिसकी अवधि तीन माह या इससे अधिक जो दो लेखा गणना अवधि में शामिल हों और जिसकी अधिकांश अवधि बाद की अवधि में हो, ऐसे मेलों का अधिशेष/घाटा उस वर्ष में दिखाया गया है, जिस वर्ष में मेले का समापन हुआ हो।

(ङ) कम्पनी की प्रदर्शन-वस्तुओं एवं मेलों में प्रदर्शित आन्तरिक सजावट की वस्तुओं की लागत को राजस्व व्यय माना गया है। किन्तु भविष्य में आयोजित होने वाले मेलों में उपयोग किये जाने हेतु नयी प्रदर्शन-वस्तुओं के स्टाक को इति शेष स्टाक माना गया है।

(च) जिन मामलों में बिल प्राप्त होने हैं तथा वर्तमान वर्ष से संबंधित व्यय अभी किया जाना है उनके लिए प्रावधान अनुमानित आधार पर किया गया है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

(छ) सिविल, बिजली और बागवानी कार्य के बारे में सी पी डब्ल्यू डी के माध्यम से किया गया व्यय उनके द्वारा दिये गये लेखों के आधार पर लगाया गया है।

(ज) पिछले वर्षों से संबंधित आय एवं व्यय, जो प्रत्येक मामले में 10,000 रु. से अधिक नहीं है, को वर्तमान वर्ष माना गया है।

(झ) लाभांश से हुई आय को उस समय का मान कर गणना की जाती है, जब उसकी घोषणा की गई हो।

(ञ) जिन मामलों में लाइसेंस धारकों के साथ करारों की अवधि समाप्त हो गयी है, उनके बारे में देय राशि का अनन्तिम आकलन, समाप्त हो गये ठेके के आधार पर, उस मामले में अन्तिम निर्णय लिये जाने/संशोधित ठेका दिया जाने की तिथि तक किया गया है।

2.2 स्थायी परिसम्पत्तियां :

स्थायी परिसम्पत्तियां लागत, 'प्राप्त अनुदानों' अथवा 'संचित मूल्यह्रास और मूल्य में हुई कमी पर बतायी गयी है।

2.3 मूल्यह्रास

(i) 5000 रु. अथवा उससे कम लागत वाली अलग-अलग परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर से लगाया गया है।

(ii) मूल्यह्रास का आकलन, प्रबन्धन द्वारा निर्धारित दरों पर परिवर्धन/विलोपन के माह से/तक प्रोरेटा आधार पर स्ट्रेट लाइन पद्धति से किया गया है। ये दरें कम्पनी अधिनियम 1956 में निर्धारित दरों से कम नहीं है।

(iii) स्थायी पट्टा आधार पर प्राप्त पट्टे वाली जमीन का परिशोधन नहीं किया जा रहा है।

2.4 अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां

आन्तरिक रूप से उपार्जित या विकसित साफ्टवेयर की लागत को आस्थगित रूप से राजस्व व्यय माना गया है तथा जिस वर्ष में साफ्टवेयर प्रयोग के लिए उपलब्ध हुआ है उस वर्ष से तीन वर्षों की अवधि में समान रूप से बट्टे-खाते में डाला गया है।

2.5 निवेश

वर्तमान निवेश, कम लागत तथा बाजार मूल्य पर किये गये हैं। दीर्घावधि निवेश, लागत में दिखाये गये हैं। दीर्घावधि निवेशों के मूल्यों में कमी का प्रावधान तभी तय किया गया है जब मूल्य में कमी प्रबन्धन के विचार से अस्थायी से इतर हो।

2.6 कर्मचारियों के हितलाभ

ग्रेच्युटी तथा छुट्टियों के नगदीकरण हेतु देयताओं का प्रावधान इस विषय में संगठन के नियमों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के अन्त में एक्चुरिअल मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

2.7 चालू परिसम्पत्तियां

(i) विविध-देनदारी तथा अग्रिम के लिए तीन वर्ष से अधिक अवधि से बाकी देयताओं के बारे में सन्दिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान निवल, अथवा जिन मामलों में कम्पनी को वसूली की आशा है, उनको छोड़कर अन्यथा बताये गये हैं

(ii) परिसम्पत्ति-सूची का मूल्य, न्यूनतम लागत एवं निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

2.8 विदेशी मुद्राएं

(i) चालू परिसम्पत्तियां एवं चालू देयताएं तुलन-पत्र की तिथि को लागू विनिमय-दर बतायी गयी हैं तथा उसके पारिणामिक अन्तर को मुद्रा विनिमय में लाभ अथवा हानि के रूप में दिखाया गया है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

(ii) विदेशी मुद्रा में होने वाले लेन-देन से सम्बन्धित आय एवं व्यय की मदें, विदेश भेजी गयी धनराशि की औसत दर पर बतायी गयी है।

(iii) स्थायी परिसम्पत्तियां जिस वर्ष में प्राप्त की गई थी उस वर्ष की रेमिटेंस की औसत दर पर बतायी गयी है। यदि पहले के फण्डों का उपयोग हो गया हो तो मुद्रा विनिमय का प्रयोजन हेतु पिछली प्रेषित धनराशि की औसत दर ली गयी है।

3 शेयर पूंजी

	31.3.2012 को रुपये	31.3.2011 को रुपये
प्राधिकृत पूंजी 100 रुपये प्रति शेयर की दर से 50000 इक्विटी शेयर	50,00,000	50,00,000
जारी की गयी, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त 100 रुपये प्रति शेयर की दर से पूर्णतः प्रदत्त 25000 इक्विटी शेयर	25,00,000	25,00,000
	25,00,000	**25,00,000**

(क) रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ में और उसकी समाप्ति पर बकाया शेयरों का निपटारा

	31.3.2012 को	
	शेयरों की संख्या	(रुपये)
इक्विटी शेयर		
अवधि के आरम्भ में	25,000	25,00,000
वर्ष के दौरान जारी किये गये	-	-
अवधि के अन्त में बकाया	25,000	25,00,000

(ख) इक्विटी शेयरों के साथ जुड़ी शर्तें / अधिकार

कंपनी में 100 रुपये प्रति शेयर मूल्य वाले केवल एक ही प्रकार के हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारी प्रतिशेयर एक वोट का हकदार है। चूंकि यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत निगमित कंपनी है। इसमें लाभांश, बोनस शेयरों या अन्यथा रुपये अपने सदस्यों को कंपनी के अधिशेष, यदि कोई हो, या अन्य आय का विवरण करने की मनाही है।

कंपनी के बंद किये जाने या विघटित किये जाने की स्थिति में यदि सभी ऋणों और देयताओं के भुगतान और सरकार को मूल पूंजी वापस किये जाने के बाद कोई भी सम्पत्ति बचती है तो उसे कंपनी के सदस्यों में वितरित नहीं किया जाएगा बल्कि कंपनी के लक्ष्यों के समान लक्ष्यों वाली कंपनी को, कंपनी के विघटन के समय या उसके पूर्व कंपनी के सदस्यों द्वारा निर्धारित रुपये अथवा ऐसा न होने पर, मामले की अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायलय द्वारा निर्धारित रुपये दे दिया जाएगा या अन्तरित कर दिया जाएगा ।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

(ग) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों वाले शेयरधारकों का ब्यौरा

	31.3.2012 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशतता
पूर्णतः प्रदत्त 100 रुपये वाले इक्विटी शेयर		
भारत सरकार	25,000	100

4. आरक्षित एवं अधिशेष

	31.3.2012 को रुपये	31.3.2011 को रुपये
आरक्षित पूंजी		
(क) भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अनुदान (पूरी तरह उपयोग कर लिया)		
-पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	62,90,83,618	62,90,83,618
-वर्ष के दौरान जुड़ी राशि	-	-
-समायोजन/कटौतियां	-	-
इतिशेष	62,90,83,618	62,90,83,618
(ख) अन्य आरक्षित राशि*		
-पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	71,21,985	71,21,985
-वर्ष के दौरान जुड़ी राशि	-	-
-समायोजन/कटौतियां	-	-
इतिशेष	71,21,985	71,21,985
आय एवं व्यय लेखा के अनुसार अधिशेष/घाटा		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	7,13,71,94,912	6,42,84,48,604
जोड़े: वर्ष का अधिशेष	1,83,03,10,786	70,87,46,308
इतिशेष	8,96,75,05,698	7,13,71,94,912
	9,60,37,11,301	**7,77,34,00,515**

*कंपनी में विलय किये गये संगठनों की देयताओं से अधिक परिसम्पत्तियां और उनकी अर्जन लागत आदि के मुकाबले परिसम्पत्तियों की बिक्री से वसूल हुई अधिक राशियां दर्शाती हैं।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

5. अन्य दीर्घावधि देयताएं

	31.3.2012 को रुपये	31.3.2011 को रुपये
अन्य		
अग्रिम प्राप्त आय	5,01,08,519	1,55,39,719
	5,01,08,519	**1,55,39,719**

6. दीर्घावधि प्रावधान

	31.3.2012 को रुपये	31.3.2011 को रुपये
कर्मचारियों के हित लाभों के लिए प्रावधान (देखें टिप्पणी 32)		
-ग्रेच्यूटी	33,11,80,791	29,98,56,668
-छुट्टी नकदीकरण	15,09,33,763	12,07,05,360
	48,21,14,554	**42,05,62,028**

7. ट्रेड पेयेबल

	31.3.2012 को रुपये	31.3.2011 को रुपये
ट्रेड पेयेबल#	15,54,77,483	54,89,33,507
	15,54,77,483	**54,89,33,507**

 # सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्यमों को देय

ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु तथा मझोला उद्यम नहीं है जिसकी ओर 31 मार्च, 2012 को कोई राशि देय हो। सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उद्घटित किये जाने के लिए अपेक्षित यह सूचना कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्धारित की गई है।

8. अन्य चालू देयताएं

	31.3.2012 को रुपये	31.3.2011 को रुपये
अग्रिम रूप से प्राप्त आय	19,03,44,000	18,60,21,852
सिक्योरिटी जमा	3,07,78,645	4,83,31,499
अग्रिम अदायगी और जमा	19,22,84,721	22,83,59,908
कर्मचारियों को देय हितलाभ	6,69,80,875	7,05,38,285
सांविधिक देय	4,95,75,267	3,88,70,792
अन्य देय	5,43,40,841	65,88,900
	58,43,04,349	**57,87,11,236**

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

9. अल्पावधि प्रावधान

	31.3.2012 को रुपये	31.3.2011 को रुपये
(क) कर्मचारियों के हितलाभ के लिये प्रावधान		
-ग्रेच्युटी (देखें टिप्पणी 32)	3,38,78,595	4,71,05,900
-छुट्टी नकदीकरण (देखें टिप्पणी 32)	1,47,07,956	3,48,94,392
-कार्य निष्पादन से संबद्ध वेतन #	19,89,93,046	10,40,00,000
-वेतनमानों का संशोधन	-	13,59,019
(ख) अन्य		
-आकस्मिक प्रभारों का रिफंड	2,38,57,480	2,78,06,479
	27,14,37,077	**21,51,65,790**

यह प्रावधान इस विषय में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। पीआरपी योजना तैयार होने और स्वीकृत होने तक 7,75,45,924 रुपये का तदर्थ भुगतान (पिछले वर्ष के 5,18,49,799 रुपये) इस आश्वासन पर कि प्रदत्त राशि इस विषय में हुये निर्णय के अनुसार वसूली या समायोजित कर ली जायेगी तथा "ब्याज रहित अग्रिम" योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को 31.03.2012 तक जारी किया गया।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

10. स्थाई परिसम्पत्तियां

परिसम्पत्तियों का विवरण	मूल्यह्रास (%)	सकल ब्लाक लागत पर				
		31.03.2011 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	कटौती/समायोजन		31.03.2012 को
				सरकार से प्राप्त फण्डों से	अन्य	
(क) मूर्त परिसम्पत्तियां						
भूमि (स्थायी पट्टे पर)		74,66,715				74,66,715
प्रगति मैदान परिसर (लीज होल्ड)		1				1
भवन (लीज पर ली गई भूमि पर)						
'क' श्रेणी	2.50%	32,59,96,484				32,59,96,484
'ख' श्रेणी	5.00%	1,95,69,786				1,95,69,786
'ग' श्रेणी	10.00%	1,32,09,151				1,32,09,151
अनारकली फूड प्लाजा		1				1
आवासीय/कार्यालय फ्लैट	2.50%					
(i) फ्रीहोल्ड		2,19,96,018				2,19,96,018
(ii) स्थायी पट्टे पर		36,46,551				36,46,551
जल आपूर्ति एवं ड्रेनेज	10.00%	21,41,705				21,41,705
विद्युत संस्थापना फिटिंग	10.00%	13,40,31,370				13,40,31,370
एयर कंडीशनिंग प्लांट	12.50%	30,35,073	35,22,577			65,57,650
एयर कंडीशनिंग प्लांट	6.67%	30,42,95,719	31,26,587		-2,44,48,367	28,29,73,939
एयर कंडीशनिंग/एयर वैंटीलेशन प्लांट	10.00%	75,91,693			-13,44,496	62,47,197
फर्नीचर और फिक्सचर	10.00%	2,40,03,727	9,39,384		-1,63,352	2,47,79,759
वाहन	20.00%	2,19,66,867	20,59,388			2,40,26,255
दृश्य श्रव्य उपकरण	20.00%	80,01,249				80,01,249
दृश्य श्रव्य उपकरण	22.50%	5,91,264				5,91,264
आग से बचाव के उपकरण	10.00%	1,03,48,869	2,03,98,050			3,07,46,919
ऑफिस उपकरण						
विविध परिसम्पत्तियां	12.50%	6,76,30,705	19,72,986		-6,470	6,95,97,221
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर	17.10%	8,72,63,074			-86,498	8,71,76,576
कुल		**1,06,27,86,022**	**3,20,18,972**		**-2,60,49,183**	**1,06,87,55,811**
(ख) अमूर्त						
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		7,38,437				7,38,437
(ग) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		1,55,67,000	1,31,99,831		-2,03,98,050	83,68,781
महायोग		**1,07,90,91,459**	**4,52,18,803**		**-4,64,47,233**	**1,07,78,63,029**
पिछले साल के आंकड़े		92,96,24,341	87,38,24,035	-30,02,80,051	-42,40,76,866	1,07,90,91,459

नोट:

क. निम्नलिखित भूमि एवं आवासीय भवनों के संबंध में लीज/टाइटल डीड का निष्पादन किया जाना अभी बाकी है।

	सम्पत्ति का स्वरूप	**लागत**
(i)	एशियाई खेल गांव, नई दिल्ली में चार आवासीय फ्लैट	36,46,551 रु.
(ii)	दिल्ली में स्टाफ क्वार्टरों के लिए भूमि	74,66,715 रु.

ख. 5,000 रुपये अथवा उससे कम मूल्य की परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास 4,11,950 रु. (गत वर्ष 9,29,986) है जो अलग-अलग 100 प्रतिशत की दर से लगाया गया है।

ग. स्थाई परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन 31.03.2011 को एक व्यावसायिक फर्म ने किया था। भौतिक सत्यापन की फाइनल रिपोर्ट फरवरी 2012 में प्राप्त हुई थी। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट और बुक बैलेंस में विसंगतियों के बारे में पुनर्मिलान किया जा रहा है। इस तरह परिणामी वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो तो, इस स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता।

घ. व्यावसायिक फर्म द्वारा की गयी स्टडी के आधार पर लेखा मानक-28 के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2012 को विद्यमान परिसम्पत्तियों में हानि होने का कोई भी मामला नहीं बनता।

(राशि रुपये में)

मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
31.03.2011 तक	कटौती/ समायोजन	वर्ष के लिए	31.03.2012 तक	31.03.2012 को यथास्थिति	31.03.2011 को यथास्थिति
				74,66,715	74,66,715
				1	1
13,56,15,035		78,56,700	14,34,71,735	**18,25,24,749**	19,03,81,449
88,62,064		8,39,752	97,01,816	**98,67,970**	1,07,07,722
32,70,894		9,66,133	42,37,027	**89,72,124**	99,38,257
				1	1
49,25,994		5,22,404	54,48,398	**1,65,47,620**	1,70,70,024
23,38,339		86,605	24,24,944	**12,21,607**	13,08,212
20,32,848		1,776	20,34,624	**1,07,081**	1,08,857
10,76,93,434		21,49,622	10,98,43,056	**2,41,88,314**	2,63,37,936
28,83,320		69,718	29,53,038	**36,04,612**	1,51,753
1,89,94,895		1,69,11,393	3,59,06,288	**24,70,67,651**	28,53,00,824
68,73,725	-12,77,271	2,68,912	58,65,366	**3,81,831**	7,17,968
1,97,33,547	-1,61,129	9,13,868	2,04,86,286	**42,93,473**	42,70,180
1,86,19,976		13,44,229	1,99,64,205	**40,62,050**	33,46,891
69,88,339		1,86,485	71,74,824	**8,26,425**	10,12,910
5,61,838			5,61,838	**29,426**	29,426
67,18,143		13,06,112	80,24,255	**2,27,22,664**	36,30,726
3,36,77,937	-2,880	55,14,771	3,91,89,828	**3,04,07,393**	3,39,52,768
6,66,65,195	-82,173	48,62,188	7,14,45,210	**1,57,31,366**	2,05,97,879
44,64,55,523	**-15,23,453**	**4,38,00,668**	**48,87,32,738**	**58,00,23,073**	61,63,30,499
7,38,437			7,38,437		
				83,68,781	1,55,67,000
44,71,93,960	**-15,23,453**	**4,38,00,668**	**48,94,71,175**	**58,83,91,854**	63,18,97,499
52,23,80,172	-11,00,27,331	3,48,41,119	44,71,93,960	63,18,97,499	

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

11 गैर-चालू निवेश (लागत पर)

	31.03.2012 को (रुपयों में)	31.03.2011 को (रुपयों में)
(क) व्यापार निवेश		
अनकोटेड		
राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (संयुक्त उद्यम कम्पनी) में पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक 100 रूपये मूल्य के 2,00,000 इक्विटी शेयर	2,00,00,000	2,00,00,000
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (अनुषंगी कंपनी) में पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक 1,000 रुपये मूल्य के 51 इक्विटी शेयर	51,000	51,000
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (अनुषंगी कंपनी) में पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक 1,000 रुपये मूल्य के 2,550 इक्विटी शेयर	25,50,000	25,50,000
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (अनुषंगी कंपनी) में प्रत्येक 1,000 रुपये मूल्य के 99,450 इक्विटी शेयर, आवंटन पूर्व आवेदन राशि	9,94,50,000	9,94,50,000
	12,20,51,000	12,20,51,000
(ख) अन्य		
अनकोटेड		
सी-ग्लिम्प्स कार्पोरेशन हाउसिंग सोसाइटी, मुबंई में प्रत्येक 50 रुपया के 5 शेयर।	250	250
	12,20,51,250	**12,20,51,250**
(i) अनकोटेड निवेश की समग्र राशि,	12,20,51,250	12,20,51,250
(ii) निवेश के मूल्य में कमी के लिए समग्र प्रावधान	शून्य	शून्य

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

12 दीर्घावधि ऋण और अग्रिम / अप्रत्याभूत और जब तक अन्यथा घोषित न हो, ठीक समझे गये

	31.03.2012 को (रुपयों में)	31.03.2011 को (रुपयों में)
पूंजी अग्रिम	**6,12,39,242**	**2,59,99,898**
ऋण एवं अग्रिम		
के टी पी ओ- अनुषंगी कंपनी को दिया गया अग्रिम (देखें टिप्पणी 27क)	**7,73,76,950**	**7,73,76,950**
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम #	**2,72,09,082**	**3,13,29,054**
छुटपुट जमा	52,33,872	50,94,617
घटाएं: संदिग्ध छुटपुट जमा के लिए प्रावधान	(13,58,320)	(14,45,234)
	38,75,552	**36,49,383**
	16,97,00,826	**13,83,55,285**
# इसमें सम्मिलित हैं:-		
(क) निदेशकों से देय	शून्य	शून्य
(ख) ऋण के रूप में अधिकारियों से देय	14,29,420	13,57,910
(ग) पूरी तरह सिक्योर्ड- निजी गारण्टी पर सिक्योर्ड	2,72,09,082	3,13,29,054

13 अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां (सिक्योर्ड और जब तक अन्यथा कथित न हो, ठीक समझी गई)

	31.03.2012 को (रुपयों में)	31.03.2011 को (रुपयों में)
अन्य		
कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	4,05,68,383	3,92,49,708
	4,05,68,383	**3,92,49,708**

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

14 चालू निवेश

	31.03.2012 को (रुपयों में)	31.03.2011 को (रुपयों में)
कोटेड (लागत पर)		
पुनर्निवेश योजना के अन्तर्गत यूटीआई बैलेन्स फंड स्कीम में प्रत्येक 10 रुपये मूल्य की 1,76,945 यूनिटें (पिछले वर्ष 1,68,426 यूनिटें)	22,24,267	20,55,841
	22,24,267	**20,55,841**
(i) कोटेड निवेश का बाजार मूल्य	37,03,459	38,53,589
(ii) निवेश के मूल्य में कमी के लिये समग्र प्रावधान	शून्य	शून्य

15 ट्रेड रिसीवेबल (अनसिक्योर्ड तथा अन्यथा कथित न होने पर ठीक समझे गये)

	31.03.2012 को (रुपयों में)	31.03.2011 को (रुपयों में)
भुगतान के लिये देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक अवधि से बकाया		
-ठीक समझे गये	5,02,41,001	5,67,72,616
-संदिग्ध माने गये	16,05,25,643	19,58,96,980
	21,07,66,644	25,26,69,596
घटायें: संदिग्ध प्राप्यों के लिये प्रावधान	(16,05,25,643)	(19,58,96,980)
	5,02,41,001	5,67,72,616
भुगतान के लिये देय होने की तारीख से छः महीने से कम की अवधि के लिये बकाया		
-ठीक समझे गये	6,03,39,058	4,52,54,640
-संदिग्ध माने गये	4,83,176	77,91,559
	6,08,22,234	5,30,46,199
घटायें: संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	(4,83,176)	(77,91,559)
	6,03,39,058	4,52,54,640
	11,05,80,059	**10,20,27,256**

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

16 नकदी और बैंक बैलेंस

	31.03.2012 को (रुपयों में)	31.03.2011 को (रुपयों में)
नकदी तथा नकदी समतुल्य		
-बैंकों में चालू / बचत खातों में बकाया #	40,81,14,053	51,41,88,065
-मूलत: 3 महीने की परिपक्वता तक की बैंक जमा	25,00,00,000	20,75,00,000
-अपने पास ड्राफ्ट / चैक	9,26,467	77,82,869
-अपने पास नकदी	7,70,844	2,85,865
-पोस्टेज अग्रदाय	64,701	2,95,168
-मार्गस्थ प्रेषित	1,19,988	-
	65,99,96,053	**73,00,51,967**
अन्य बैंक बैलेन्स		
3 महीने से अधिक लेकिन मूलत: 12 महीने तक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	**7,64,00,00,000**	**6,61,00,00,000**
	8,29,99,96,053	**7,34,00,51,967**
# इसमें शामिल हैं		
(i) विदेशों में पड़ी बकाया राशि	18,54,059	1,20,37,894
(ii) उपर्युक्त (i) में से तुलनपत्र को तारीख को अपुष्ट	4,82,715	6,62,184

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

17 अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम (अनसिक्योर्ड और जब तक अन्यथा कथित न हो, ठीक समझे गये)

	31.03.2012 को (रुपयों में)	31.03.2011 को (रुपयों में)
अनुषंगी कम्पनियों को ऋण एवं अग्रिम		
-टी एन टी पी ओ	9,74,426	6,46,189
-के टी पी ओ	58,79,121	55,81,552
अन्य		
कर्मचारियों को अग्रिम #	9,94,98,293	7,28,16,458
पार्टियों को अग्रिम	12,04,41,245	35,40,08,063
	21,99,39,538	42,68,24,521
घटायें: संदिग्ध अग्रिमों के प्रावधान	(58,81,534)	(1,81,68,049)
	21,40,58,004	40,86,56,472
वसूली योग्य सेवा कर	69,19,185	31,13,301
वसूली योग्य आय कर / टी डी एस	38,02,40,592	19,66,01,052
पूर्व प्रदत्त व्यय	28,90,384	25,30,814
इंटरकारपोरेट जमा	75,00,00,000	10,00,00,000
	1,36,09,61,712	**71,71,29,380**
# इसमें सम्मिलित हैं:-		
(क) निदेशकों से देय	10,620	शून्य
(ख) ऋण के रूप में अधिकारियों से देय	12,28,490	14,86,404
(ग) निजी गारंटी पर सिक्योर्ड / पूर्णत: सिक्योर्ड	1,22,33,866	1,36,85,369

18 अन्य चालू परिसम्पतियां (अनसिक्योर्ड तथा जब तक अन्यथा कथित न हो, ठीक समझे गये)

	31.03.2012 को (रुपयों में)	31.03.2011 को (रुपयों में)
भारत सरकार से वसूलीयोग्य अनुदान	24,11,52,670	21,76,59,165
घटायें: संदिग्ध अनुदान वसूली के लिये प्रावधान #	(13,70,04,537)	(8,60,854)
	10,41,48,133	21,67,98,311
जमा राशि पर प्रोदभूत ब्याज	33,53,48,970	23,45,04,794
कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	26,90,182	55,02,670
उपभोज्य सामान (लागत पर मूल्यांकन किया गया)	7,93,120	8,05,635
विदेश स्थित भारतीय मिशनों से देय	1,01,14,806	22,99,531
जमा संबंधी निमार्णकार्यों के बारे में पाटियों से देय	44,71,820	44,71,820
घटायें: सदिंग्ध देय राशियों के लिए प्रावधान	(23,88,152)	(23,88,152)
	20,83,668	20,83,668
	45,51,78,879	**46,19,94,609**

इसमें शंघाई एक्स्पो 2010 के बारे में पिछले वर्ष में दिये गये अनुदान में से वर्ष के दौरान किये गये 9,46,85,963 रुपये और 3,62,05,110 रुपयों के प्रावधान शामिल हैं और राष्ट्रमंडल खेल 2010 के बारे में पार्किंग सुविधाओं में सुधार की राशि भी शामिल है जो भारत सरकार के अनुरोध पर किया गया क्योंकि कम्पनी को अनुदान जारी किए जाने के बारे में कोई पक्का आश्वासन नहीं किया गया है।

19 परिचालनों से राजस्व

	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
स्थान का किराया (निवल) #	2,45,02,96,183	1,70,09,02,438
प्रवेश टिकटों / सीजनल पासों की बिक्री	11,04,96,914	5,00,15,449
प्रकाशनों की बिक्री	5,94,691	5,04,420
फिल्मों के टिकटों की बिक्री (निवल)	18,72,632	19,26,894
विज्ञापन (प्रकाशनों में)	24,70,828	7,14,248
होल्डिंगें	2,91,08,542	66,51,372
अभिदान शुल्क	16,43,282	15,48,168
प्रदान की गयी विभिन्न सेवाओं के लिए वसूली	2,54,32,412	1,38,08,399
विद्युत एवं जल प्रभार की वसूली	10,99,50,023	10,36,00,851
	2,73,18,65,507	**1,87,96,72,239**

ए एस 9 के अनुसार वर्ष के लिए 1,97,01,000 रुपये की राशियों को आय नहीं माना गया है (31.03.2012 तक संचयी 23,19,53,148 रुपये) क्योंकि इसके बारे में दोनों पक्षों द्वारा आंपत्ति की जा रही है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

20 अन्य आय

	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
निम्नलिखित ब्याज		
-बैंक जमा	68,10,48,374	47,13,64,511
-आयकर वापसी	60,19,462	1,31,70,420
-कर्मचारियों को अग्रिम	42,21,004	40,18,806
-अन्य	6,38,37,625	1,68,78,742
	75,51,26,465	50,54,32,479
यू टी आई से लाभांश	1,68,426	2,37,571
देयताऐं / प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है।	3,40,30,495	2,01,85,068
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	4,68,489	4,19,752
विनिमय में अन्तर (निवल)	47,55,259	-
पुनरांकित सदिंग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	70,00,127	-
विविध आय #	13,80,69,684	10,02,33,415
राजस्व व्यय के लिए सरकार से प्राप्त राशि- राष्ट्रमण्डल खेल 2010	-	14,31,71,282
भारत सरकार से राजस्व अनुदान	6,59,18,178	40,18,36,260
पश्चिम बंगाल सरकार से राजस्व अनुदान	5,50,000	-
	1,00,60,87,123	**1,17,15,15,827**

इसमें तीसरे पक्ष वाले आयोजकों द्वारा आयोजन रद्द किये जाने के कारण लगाया गया 2,39,49,784 रुपये का शास्ति प्रभार (पिछले वर्ष 61,33,459 रुपये) शामिल नहीं है। क्योंकि यह राशि पार्टियों द्वारा जमा की गयी राशि से अधिक बैठती है। क्योंकि बकाया राशि की वसूली की संभावनाऐं संदिग्ध है। अत: ए एस-9 के अनुसार यह राशि जब कभी वसूल होगी/ समायोजन किया जायेगा, खाते में दिखायी जाएगी।

21 कर्मचारियों के हितलाभ संबंधी व्यय

	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
वेतन, पारिश्रमिक और भत्ते	56,22,96,141	51,26,07,813
अन्य अनुलाभ और भत्ते	8,69,61,445	14,49,17,999
चिकित्सा व्यय	6,84,70,605	5,44,49,927
कार्य निष्पादन से संबंद्ध वेतन (देखें टिप्पणी संख्या 9 की पाद टिप्पणी)	9,50,00,000	2,10,00,000
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	4,85,52,009	4,79,34,401
ग्रेच्युटी (देखें टिप्पणी 32)	6,51,80,611	5,62,26,033
छुट्टी नकदीकरण (देखें टिप्पणी 32)	4,57,37,937	9,13,63,844
कर्मचारी कल्याण	42,80,360	1,73,55,735
सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों को हर्जाना	2,56,62,272	-
अन्य लागत	32,67,155	67,26,213
	1,00,54,08,535	**95,25,81,965**

इसमें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत दिये गये अनुग्रह राशि के कारण दी गयी 4,37,19,156 (पिछले वर्ष शून्य रुपये) की राशि सम्मिलित है।

22 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
मूल्यह्रास	4,38,00,668	3,45,94,972
अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों का परिशोधन	-	2,46,147
	4,38,00,668	**3,48,41,119**

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

23 अन्य व्यय

	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
प्रतिभागिता प्रभार	14,13,46,750	12,35,90,290
निर्माण एवं आंतरिक सज्जा	5,85,27,336	43,68,34,517
प्रचार	3,85,24,202	4,49,56,930
माल भाड़ा, पैकिंग और उठाधरायी	9,00,998	18,19,394
सांस्कृतिक कार्यक्रम और फैशन शो	10,54,700	2,39,96,230
यात्रा एवं वाहन व्यय [इसमें निदेशकों के संबंध में 23,34,027 रुपये (पिछले वर्ष 36,79,318 रुपये) सम्मलित हैं]	2,01,30,883	3,29,80,717
पोस्टेज टेलीग्राम और टेलीफोन	58,76,921	63,48,411
मनोरंजन (इसमें निवेशकों के जरिये हुआ 52082 रुपये (पिछले वर्ष 62,601 रुपये) का व्यय शामिल है।	37,48,132	47,31,404
प्रगति मैदान का रखरखाव		
-सिविल [इसमें भवन की मरम्मत पर खर्च हुआ 4,57,649 रुपये (पिछले वर्ष 5,32,081 रुपये) की राशि शामिल है]	4,74,62,465	11,64,79,645
-इलेक्ट्रिकल	7,85,44,793	8,00,78,624
-बागवानी	1,25,97,321	1,37,77,200
-कंजरवेंसी प्रबंध	2,05,57,814	1,37,49,190
प्रगति मैदान का रखरखाव - राष्ट्रमंडल खेल 2010	-	14,31,71,282
बिजली और जल प्रभार	19,82,06,148	19,55,34,171
मरम्मत, नवीकरण और रखरखाव	1,09,66,642	1,09,86,255
दरें और कर (निवल)	1,75,25,471	1,51,43,220
पुस्तकें और पत्रिकाएं	8,73,895	16,79,282
पेंटिग और स्टेशनरी	71,94,707	72,57,171
किराया (निवल)	12,44,977	42,51,898
वाहन रख-रखाव (निवल)	28,10,009	31,93,632
बीमा	5,04,998	23,71,597
विज्ञापन व्यय	78,12,346	1,30,86,494
कमीशन	38,74,362	35,90,464
विदेशी प्रतिनिधिमंडल	7,50,933	-
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	92,46,163	1,08,50,732
सेमिनार एवं प्रशिक्षण	31,77,780	50,53,484
ब्याज	45,96,794	34,43,142
विनिमय में अंतर (निवल)	-	12,79,444
हर्जाना	-	21,79,166
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (निवल)	33,00,000	20,31,864
प्रावधान / बट्टे खाते डाली गयी राशि	13,70,64,014	73,16,553
अन्य विविध व्यय	1,67,01,268	1,51,03,671
निदेशकों को बैठक फीस	30,000	-
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक		
-लेखा परीक्षा फीस	2,55,000	2,55,000
-कर लेखा परीक्षा फीस	95,000	65,000
-अन्य व्यय	-	93,981
	85,55,02,822	**1,34,72,80,055**

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

24 प्रति इक्विटी शेयर आय

		31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
कर पश्चात निवल अधिशेष	(रुपये)	1,83,03,10,786	70,87,46,308
इक्विटी शेयर	(संख्या)	25,000	25,000
प्रति इक्विटीशेयर सांकेतिक मूल्य	(रुपये)	100	100
प्रति शेयर मूलभूत और अवमिश्रित आय	(रुपये)	73,212	28,350

25 विदेशी मुद्रा में व्यय

	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
विदेश यात्रा	49,68,766	1,31,90,845
मेले और प्रदर्शनियां	16,90,12,455	18,73,53,741
अन्य	46,277	1,82,49,003
	17,40,27,498	**21,87,93,589**

26 विदेशी मुद्रा में हुई आय

	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
स्थान का किराया	10,11,25,847	11,86,64,599
अन्य पार्टियां	8,23,981	6,95,540
	10,19,49,828	**11,93,60,139**

27 अनुषंगी कम्पनियां

क) आई टी पी ओ ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के आई ए डी बी) के सहयोग से मिल कर दिसम्बर 2009 में 50,00,000 रुपये की शेयर पूंजी के साथ कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (केटीपीओ) की स्थापना की थी जिसमें कम्पनी का शेयर 51 प्रतिशत है। केआईएडीबी के साथ हुए समझौता के अनुसार आईटीपीओ ने 17,93,76,950 रुपये की कुल लागत से केटीपीओ के लिए एक प्रदर्शनी हाल के निर्माण के लिए सहयोग किया जिसमें 13,25,22,000 रु. का अनुदान वाणिज्य विभाग ने आईटीपीओ को दिया।

09.09.2004 को कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने के टी पी ओ की प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाकर 20,00,00,000 कर दी और यह निर्णय भी किया कि प्रदर्शनी हाल में आईटीपीओ द्वारा किये गये 1,02,00,000 रुपये के सहयोग को के टी पी ओ के लिए किया गया पूंजीगत योगदान माना गया। 10,20,00,000 रुपये के अतिरिक्त प्रदर्शनी हाल के निर्माण पर व्यय की गयी, 77,37,76,950 रु. की राशि को भी के टी पी ओ को ब्याज रहित अधीनस्त ऋण माना जाना था और इस राशि की वापसी के टी पी ओ की वार्षिक समीक्षा और कैशफ्लो की स्थिति को देखते हुए की जानी थी। दोनों सह प्रवर्तकों के बीच संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने तक के लिए लेखा प्रविष्टियां उपर्युक्त के अनुसार पहले के वर्षों में की गयी। आगे की लेखा प्रविष्टियां यदि कोई हों, संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने अधीनस्थ ऋण की वसूली हो जाने पर की जायेगी।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

(ख) आई टी पी ओ ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत 50 लाख रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ नवम्बर 2000 में तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन की स्थापना की थी जिसमें आई टी पी ओ के 51 प्रतिश्त शेयर थे। टी एन टी पी ओ की अभिदत्त पूंजी एक लाख रुपये हैं जिसमें आई टी पी ओ ने इक्यावन हजार रुपये दिये हैं। टी आई डी सी ओ के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार आई टी पी ओ ने टी एन टी पी ओ को प्रदर्शनी हाल के लिए 16,37,48,414 रुपये का लागत सहयोग दिया जिसमें से वाणिज्य विभाग ने आई टी पी ओ को 12,06,39,141 रुपये का अनुदान दिया।

वर्ष 2002-3 के दौरान सहप्रर्वतक ने राज्य सरकार द्वारा टी एन टी पी ओ को दी गयी भूमि के बंदोबस्त तथा आई टी पी ओ द्वारा निर्मित हाल की समीक्षा की। तामिलनाडु सरकार ने अपने दिनांक 3.2.2002 के जी ओ एम एस संख्या 28 के द्वारा निर्णय लिया कि प्रतिवर्ष 1,00,00,000 रुपये के पट्टा किराये का भुगतान टी एन टी पी ओ द्वारा दी गयी भूमि के मद में किया जायेगा और टी एन टी पी ओ, प्रदर्शनी हाल के निर्माण पर होने वाले व्यय की 50 प्रतिशत राशि आई टी पी ओ को चालिस तिमाही किस्तों में वापिस करेगा जो वित्त वर्ष 2014 से आरम्भ होगी। दिनांक 3.2.2003 के जीओएमएस की निवंधन एवं शर्तें अभी कम्पनी द्वारा स्वीकार की जानी है। संशोधित निबंधन और शर्तों पर सहमति होने तक टी एन टी पी ओ द्वारा वापस किये जाने के लिए प्रस्तावित राशि की कोई भी लेखा प्रविष्टि कम्पनी की लेखाओं में नहीं की गयी है।

28. आकस्मिक देयताऐं और पूंजी वचनबद्धता (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।)

	31.03.2012 को (रुपये)	31.03.2011 को (रुपये)
(क) आकस्मिक देयताएं		
कम्पनी पर किये गये दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है (न्यायालय में जमा की गई राशि 40,98,411 रुपये)	14,59,67,854	9,12,53,991
(ख) पूंजी सम्बंधी वचनबद्धताएं		
संविदाओं की अनुमानित राशि जिसे पूंजीलेखा में निष्पादित किया जाना है (अग्रिम की निवल राशि)	3,52,43,135	4,54,23,049

29. आयकर मामले

बावजूद इसके कि कम्पनी ने अपने चेरिटेबल संगठन के मूलभूत स्वरूप को बरकरार रखा है जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 क के अन्तर्गत पंजीकृत है और आरम्भ से ही आय के स्रोत में कोई परिवर्तन किये बिना अपने कार्यकरण और कार्याकलापों के पहले के तरीके को जारी रखे हुए है और इस पर धारा 2(15) के संशोधित उपबंध लागू नहीं होते, आयकर महानिदेशक (छूट), नई दिल्ली ने 23 फरवरी 2012 को एक आदेश पारित कर दिया था जिसके द्वारा कम्पनी को आयकर अधिनियम की धारा 10(23) 51(iv) के अन्तर्गत दी गयी छूट निर्धारण वर्ष 2009-10 और उसके बाद से इस आधार पर वापस ले ली थी कि कम्पनी आयकर नियम 1961 की धारा 2(15) के संशोधित परन्तुक, जो 1.4.2000 से प्रभावी था के अनुसार कम्पनी व्यापार, वाणिज्य अथवा कारोबार से संबंधित व्यापारिक, वाणिज्यिक और कारोबारी गतिविधियों में इनसे संबंधित सेवाऐं प्रदान करने के कार्य में संलग्न है।

बाद में निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण कार्यवाही पूरी करने के बाद निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए 86,06,01,190 रुपये की कर मांग भेजी। कम्पनी ने छूट वापस लिये जाने को चुनौती दी और माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। इसके अंतरिम निर्णय के अनुसार कम्पनी ने 6 जुलाई 2012 को आयकर महानिदेशक (छूट) को एक आवेदन पत्र दिया है जिसमें यह बताया गया है कि दिनांक 23 फरवरी 2011 के छूट वापसी आदेश में मामले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है।

चूंकि कम्पनी को इस मामले में अपने पक्ष में निर्णय होने की आशा है। अत: न तो 86,06,01,190 रुपये की मांग का भुगतान किया गया है और न ही इसके लिए निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के आयकर के लिए लेखाओं में कोई प्रावधान किया गया है। इस प्रकार लेखा मानक-22 के अनुसार विलंबित से संबंधित उपबंध इस कम्पनी पर लागू नहीं होगा।

30. सेवा कर के मामले

2006-07 से 2009-10 तक की अवधि के संबंध में वर्ष के दौरान सेवा कर विभाग द्वारा की गयी लेखा परीक्षा के बाद 45,05,416 रुपये के ब्याज सहित 1,14,92,208 रुपये के सेवाकर की राशि जमा की गयी थी और समीक्षाधीन वर्ष में राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित की गयी थी। इसके अतिरिक्त 29 मार्च 2012 को एक और मांग एवं कारण बताओं नोटिस प्राप्त हुआ था जिसमें 10,64,27,051 रुपये के सेवा कर और निर्धारित सीमा तक के लिए 23,67,843 रुपये के ब्याज और शास्तियों यदि कोई हों (राशि निर्धारित नहीं की गयी) सहित 10,87,94,894 रुपये की मांग की गयी थी। कम्पनी की राय में जिन सेवाओं के संबंध में राशि की मांग की गयी है वे सेवा कर वाली सेवाओं के दायरे में नहीं आती। तदनुसार कम्पनी ने इस मांग को दिल्ली के सेवा कर आयुक्त के समक्ष चुनौती दी है और इसके लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

31. बैलेंस की पुष्टि

विभिन्न पार्टियों से और उनके द्वारा दी गयी, राशि पुष्टि, मिलान और समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है।

32. कर्मचारियों संबंधी लाभ के बारे में ए एस 15 के अनुसार प्रकटन

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण इस प्रकार है:-

(क) भविष्य निधि

कम्पनी कर्मचारियों की भविष्य निधि के अपने अंशदान का भुगतान ट्रस्ट को निर्धारित दरों से करती है जिसका निवेश वह अनुमत प्रतिभूतियों में करती है। वर्ष के लिए किये गये अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे आय-व्यय विवरण में दर्शाया जाता है, कम्पनी यदि कोई कमी हो तो ट्रस्ट की उस कमी को पूरा करने के लिए बाध्य है और ऐसी कमी को अपना व्यय मानती है।

नीचे ख और ग में उल्लिखित योजना अनफण्डेड है और उन्हें कम्पनी के लेखाओं में बीमांकिकी मूल्यांकन के आधार पर दर्शाया जाता है। आय-व्यय विवरण और तुलन-पत्र में मान्य विभिन्न परिभाषित लाभों के संबंध में संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:-

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

(ख) छुट्टी

कंपनी, कम्पनी के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी और अर्धवेतन छुट्टी जो क्रमश: 30 दिन एवं 20 दिन की दर से प्रोद्भूत होती हैं, के नगदीकरण का लाभ देती है। सेवा के दौरान एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम 15 दिन की अर्जित छुट्टी बकाया को छोड़कर एक बार में अधिकतम 60 दिन की अर्जित छुट्टी नकदीकरण के योग्य होती है । सेवानिवृत्ति / मृत्यु / त्याग पत्र आदि की स्थिति में अधिकतम 300 दिन की अर्जित छुट्टी नकदीकरण के योग्य होती है। कंपनी के नियमानुसार सेवानिवृत्ति / मृत्यु / त्याग पत्र आदि होने पर अधिकतम 300 दिन की अधिकतम (150 दिन का पूर्ण वेतन) छुट्टी नकदीकरण के योग्य होती है। अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी के नकदीकरण की समग्र 300 दिन की अधिकतम सीमा सेवानिवृत्ति / मृत्यु / त्यागपत्र आदि के समय 150 दिन की पूर्ण वेतन छुट्टी के आधार पर नकदीकरण योग्य अधिकतम सीमा को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है।

i. आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय

	2011-2012 (रुपये)	**2010-2011 (रुपये)**
ब्याज लागत	1,32,25,979	74,65,754
वर्तमान सेवा लागत	71,40,156	68,20,983
अवधि में मान्य निवल बीमांकिकीय (लाभ) / हानि	41,44,855	5,41,92,374
आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय	2,45,10,990	6,84,79,111

ii. तुलन पत्र में मान्य राशि

	31.03.2012 को (रुपये)	**31.03.2011 को (रुपये)**
वर्ष के अन्त में देयता का वर्तमान मूल्य	16,56,41,719	15,55,99,752
तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण में मान्य निवल दायित्व / (परिसम्पत्तियां)	16,56,41,719	15,55,99,752
फन्डेड स्थिति	(16,56,41,719)	(15,55,99,752)

iii. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

	2011-2012 (रुपये)	**2010-2011 (रुपये)**
अवधि की शुरूआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,55,99,752	9,07,42,594
ब्याज लागत	1,32,25,979	74,65,754
चालू सेवा लागत	71,40,156	68,20,983
प्रदत्त लाभ (यदि कोई हो)	(1,44,69,023)	(36,21,953)
बीमांकिय / (लाभ) / हानि	41,44,855	5,41,92,374
वर्ष के अंत में दायित्व की वर्तमान मूल्य	16,56,41,719	15,55,99,752

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

iv. गणनाओं के लिए प्रयुक्त / कल्पनाओं को सारणीबद्ध किया गया है

	31.03.2012 को (रुपये)	31.03.2011 को (रुपये)
छूट दर	8.50% प्रतिवर्ष	8.25% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि दर	5.00% प्रतिवर्ष	5.00% प्रतिवर्ष
अवधि कालायतित	एलआईसी 94-96 अन्तत:	एलआईसी 94-96 अन्तत:
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्रतिवर्ष	2.00% प्रतिवर्ष

ग. ग्रेच्युटी

कम्पनी की एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरन्तर सेवा कर ली हो, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (15/26 अंत में लिया गया मूल वेतन + महंगाई भत्ता) की दर से और अधिकतम 10,00,000 रुपये की ग्रेच्युटी प्राप्त करने का हकदार है।

i. आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय

	2011-2012 (रुपये)	2010-2011 (रुपये)
ब्याज लागत	2,94,91,818	2,56,36,297
वर्तमान सेवा लागत	1,49,15,338	1,43,47,141
अवधि में मान्य बीमांकिकी कार्य लाभ/हानि	1,58,76,763	1,07,67,275
आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय	6,02,83,919	5,07,50,713

ii. तुलन पत्र में मान्य राशि

	31.03.2012 को (रुपये)	31.03.2011 को (रुपये)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	36,50,59,386	34,69,62,568
तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण में मान्य निवल दायित्व / परिसम्पत्तियां	36,50,59,386	34,69,62,568
फंडेड स्थिति	(36,50,59,386)	(34,69,62,568)

iii. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

	2011-2012 (Rs.)	2010-2011 (Rs.)
अवधि के आरम्भ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	34,69,62,568	31,15,96,687
ब्याज लागत	2,94,91,818	2,56,36,297
वर्तमान सेवा लागत	1,49,15,338	1,43,47,141
प्रदत्त लाभ (यदि कोई हों)	(4,21,87,102)	(1,53,84,833)
बीमांकिकीय लाभ/हानि	1,58,76,764	1,07,67,276
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	36,50,59,386	34,69,62,568

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

iv. गणनाओं में प्रयुक्त संकल्पनाओं को सारणीबद्ध किया गया है।

	31.03.2012 को (रुपये)	31.03.2011 को (रुपये)
छूट दर	8.50% प्रतिवर्ष	8.25% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि दर	5.00% प्रतिवर्ष	5.00% प्रतिवर्ष
अवधि कालायतित	एलआईसी 94-96 अन्तत:	एलआईसी 94-96 अन्तत:
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्रतिवर्ष	2.00% प्रतिवर्ष

33. 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की सैगमेंट वार रिपोर्ट

(i) प्रारम्भिक भौगोलिक सैगमेंटों के बारे में जानकारी

(राशि रुपये में)

	भारत में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	विदेशों में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	अनिर्धारित	कुल
राजस्व				
बाह्य	2,71,01,59,115 (1,85,19,10,361)	21,54,52,940 (64,66,37,775)	- -	**2,92,56,12,055** (2,49,85,48,136)
इण्टर सैगमेन्ट	-	-	-	-
कुल राजस्व	2,71,01,59,115	21,54,52,940		**2,92,56,12,055**
	(1,85,19,10,361)	(64,66,37,775)		(2,49,85,48,136)
परिणाम				
सैगमेन्ट परिणाम	1,31,63,01,763 (53,87,59,851)	-13,89,10,130 (-22,43,10,787)	-	1,17,73,91,633 (31,44,49,064)
अनिर्धारित आय का अनिर्धारित व्यय निवल	-	-	-8,77,56,541	-8,77,56,541
	-	-	(-8,17,78,067)	(-8,17,78,067)
ब्याज / लाभांश आय	-	-	74,36,05,513	74,36,05,513
	-	-	(48,38,13,930)	(48,38,13,930)
कराधान एवं अपवादात्मक मदों से पूर्व अधिशेष	-	-	-	1,83,32,40,605
	-	-	-	(71,64,84,927)
पूर्व कालिक समायोजन (निवल)	-	-	-	29,29,819
	-	-	-	(77,38,619)
व्यय से अधिक आय	-	-	-	1,83,03,10,786
	-	-	-	(70,87,46,308)
अन्य सूचनाएं				
सैगमेन्ट परिसम्पत्तियां	93,17,46,346 (1,20,76,88,037)	18,11,81,507 (23,24,87,258)	10,03,67,25,430 (8,11,46,37,500)	11,14,96,53,283 (9,55,48,12,795)
सैगमेन्ट देनदारियां	61,92,18,528 (98,37,40,656)	7,69,40,291 (6,73,39,620)	84,72,83,163 (72,78,32,004)	1,54,34,41,982 (1,77,89,12,280)
पूंजीगत व्यय	4,52,18,803 (87,38,24,035)	- -	- -	4,52,18,803 (87,38,24,035)
मूल्यह्रास और परिशोधन	4,38,00,668 (3,48,41,119)	- -	- -	4,38,00,668 (3,48,41,119)
मूल्यह्रास के अतिरिक्त गैर-नकदी खर्च	-	-	-	-

(ii) कम्पनी के पास कोई सेकेण्डरी सैगमेन्ट नहीं है।

टिप्पणी:

(क) अनिर्धारित खर्चों में 10 प्रतिशत स्थापनागत एवं कार्यालय खर्च शामिल हैं। इनसे संबंधित राजस्वों के आधार पर बकाया का अन्य सैगमेंटों में मध्य बंटवारा किया गया है।

(ख) अनिर्धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में वे शामिल हैं जिनकी किसी विशिष्ट सैगमेंट में समुचित रूप में पहचान करना संभव नहीं है।

(ग) सैगमेंट रिपोर्ट में कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां

34. कम्पनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची VI वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिये 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी हो गयी है। इससे वित्तीय विवरणों में किये गये प्रकटन और प्रस्तुति पर उल्लेखनीय रूप से प्रभाव पड़ा है। तदनुसार, पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वार्षिक विवरण के अनुरूप बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पुन: वगीकृत किया गया है।

ह./-	ह./-	ह./-
(ए. के. खन्ना)	**(नीरज कुमार गुप्ता)**	**(रीता मेनन)**
वरिष्ठ महाप्रबन्धक एवं वित्तीय सलाहकार तथा कम्पनी सचिव	**कार्यकारी निदेशक**	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.08.2012

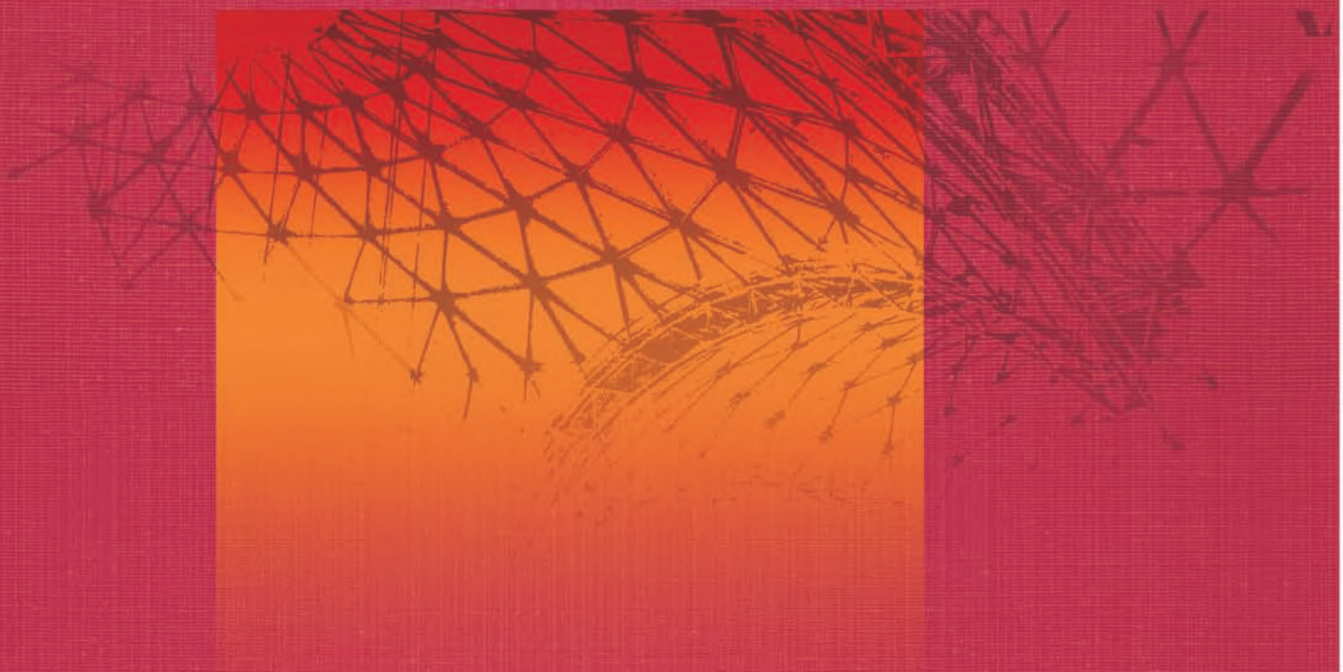

अनुषंगी कम्पनियां

निदेशकों की रिपोर्ट

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के निदेशक मंडल को 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखा परीक्षित तुलनपत्र तथा आय-व्यय लेखे के साथ-साथ संगठन की ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

मुख्य वित्तीय विशेषताएं

संगठन की गतिविधियों से पिछले वर्ष के 1432 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 2011-12 में 1886 लाख रुपये का अधिशेष प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष के 2158 लाख रुपये की तुलना में वर्ष के दौरान 2412 लाख रुपये की कुल संचालन आय हुई। कुल व्यय पिछले वर्ष के 1083 लाख रुपये के मुकाबले इस वर्ष 1125 लाख रु. का था।

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है। इस कारण यह किसी लाभांश की घोषणा नहीं करती। इसलिए व्यय से अधिक आय को आरक्षित और अधिशेष खातों में प्रतिधारित और अन्तरित कर दिया गया है।

I) रेखा चित्र द्वारा आय एवं व्यय का दिग्दर्शन

(आंकड़े लाख रु. में)

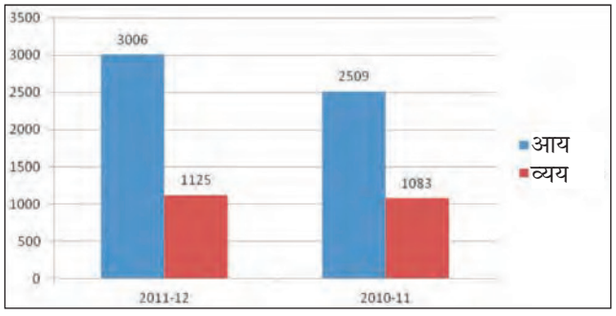

II) रेखाचित्र में आय के मुकाबले व्यय और अधिशेष दिखाया गया है।

(आंकड़े लाख रु. में)

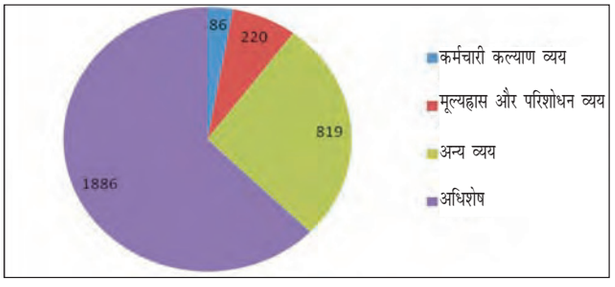

निदेशक मंडल

श्री राजीव खेर के स्थान पर 03.01.2012 को श्रीमती रीता मेनन ने टी एन टी पी ओ के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री एम. वल्लालर के स्थान पर 01.03.2009 को श्री के.एस. काण्डासामी ने टी एन टी पी ओ के प्रबंध निदेशक का कार्य ग्रहण किया। बोर्ड पदमुक्त होने वाले निदेशकों द्वारा निदेशक के रूप में दी गई सेवाओं के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

बोर्ड के अन्य निदेशक हैं:-

क्र.सं.	निदेशक	से	तक
1.	श्री नीरज कुमार गुप्ता कार्यकारी निदेशक आई टी पी ओ	25.03.2010	जारी
2.	डा. एन. सुन्दरादेवन प्रधान सचिव उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार	26.09.2011	जारी
3.	श्री बी. एल. मीणा विशेष कार्याधिकारी (प्रशा.), आईटीपीओ	22.08.2012	जारी
4.	श्री के. धनावल प्रबंध निदेशक, टी आई डी सी ओ	22.05.2012	जारी
5.	श्री ए. के. खन्ना वरिष्ठ महाप्रबंधक आई टी पी ओ	20.12.2007	जारी
6.	श्री बी. एलंगोवन महाप्रबंधक टी आई डी सी ओ	26.10.2009	जारी
7.	श्री आर. कार्तिकेयन विकास प्रबंधक टी आई डी सी ओ	20.12.2007	जारी
8.	डा. सुतानू बेहूरिया भूतपूर्व अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	05.09.2007	02.12.2011
9.	श्रीमती सुसान मैथ्यू भूतपूर्व अपर मुख्य सचिव एवं सी एम डी, टी आई डी सी ओ	26.09.2011	02.12.2011

10.	श्री बी. आनंद भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टी आई डी सी ओ	02.12.2011	01.02.2012
11.	श्री अनिल अग्रवाल भूतपूर्व महाप्रबंधक, आईटीपीओ	02.12.2011	22.08.2012

वर्ष के दौरान आयोजित प्रदर्शनियां एवं मेले

टी एन टी पी ओ के प्रदर्शनी हाल एवं कन्वेंशन सेन्टर विशेषीकृत एवं सामान्य व्यापार मेले, सम्मेलन, सेमिनार, कारपोरेट वार्षिक दिवस समारोह आदि आयोजित करने हेतु व्यापार एवं उद्योग-जगत को उपलब्ध कराए गए। 2011-12 के दौरान प्रदर्शनी हालों में 101 कार्यक्रम तथा सम्मेलन केन्द्र में 111 कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें भारतीय अन्तरराष्ट्रीय मेला 2012, हिन्दू मेट्रो प्लस लाइफ स्टाइल एक्सपो 2011, विंड पावर इण्डिया 2011, आटो वर्ल्ड एक्स्पो 2011, टायर एक्सपो 2011, मेडीकॉल 2011, आहार 2011, कनेक्ट 2011, भारतीय अन्तरराष्ट्रीय बिल्ड एक्सपो 2011, थाईलैण्ड प्रदर्शनी 2011, आईसीएआई अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन, म्युनिसिपालिका 2011, हेल्थ एण्ड ब्यूटी एक्सपो, इन साइड ऐण्ड आउट साइड मेगा शो 2011, भारतीय अन्तरराष्ट्रीय हैन्डवूवन भवन मेला 2012, भारतीय अन्तरराष्ट्रीय मार्ट 2011, बैंकॉन 2011, भारतीय अन्तरराष्ट्रीय समुद्री खाद्य पदार्थ प्रदर्शनी 2012 तथा रत्न एवं आभूषण भारतीय अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

भावी योजनाएं

यद्यपि हमारे पास उत्कृष्ट सुविधाएं हैं। हम हवाई अड्डे और पोर्ट के नजदीक स्थित हैं, अन्य शहरों से सड़क एवं संचार माध्यमों से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। किन्तु अन्य प्रदर्शनी केन्द्रों अथवा कभी-कभी मांग के मुकाबले हमारे प्रदर्शनी हालों का क्षेत्रफल काफी कम है। प्रदर्शनी हेतु अपेक्षत: कम स्थान होने के कारण अनेक अंतरराष्ट्रीय मेलों का आयोजन निरस्त हो रहा है। इसके लिए मेला आयोजकों की ओर से निरन्तर 20,000 वर्गमीटर से भी अधिक निर्मित प्रदर्शनी क्षेत्र की मांग आ रही है। इसीलिए उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देने में प्रदर्शनी उद्योग के महत्व को ध्यान में रखते हुए व्यापार केन्द्र से लगी 9.31 एकड़ अतिरिक्त भूमि का तमिलनाडु सरकार से कब्जा लेकर हालों को और अधिक बड़ा करना जरूरी है और सी.टी.सी. के विस्तार की प्रक्रिया चल रही है।

टी एन टी पी ओ की वेबसाइट

प्रदर्शनी हालों एवं कन्वेंशन सेन्टर में आयोजित होने वाले नवीनतम मेलों तथा अन्य गतिविधियों की जानकारी देने के लिए टी एन टी पी ओ अपनी कारपोरेट वेबसाइट www.chennaitradecentre.org को निरन्तर अपडेट करती रहती है। प्रदर्शनी हालों एवं कन्वेंशन सेन्टर में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की संक्षिप्त जानकारी के लिए यह वेबसाइट बहुत उपयोगी है।

सावधि जमा

आपकी कम्पनी कोई सावधि जमा नहीं ले रही है। इसलिए कम्पनी अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक तत्संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

लेखा-परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ने मैसर्स रमन एसोसिएट्स, चार्टरित लेखाकार को इस कम्पनी का सांविधिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किया है।

ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी समायोजन और ग्रहण एवं उसमें अनुकूलन, विदेशी मुद्रा में आय तथा व्यय

कम्पनी किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा व्यापारिक कार्य नहीं करती है। अत: ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समायोजन और ग्रहण एवं उसमें अनुकूलन और विकास विषयक ब्यौरे इस पर लागू नहीं होते हैं। कम्पनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में ब्यौरों का प्रकटीकरण) नियमावली 1988 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (ङ) के प्रावधानों के अनुसार विदेशी मुद्रा में आय और व्यय की जानकारी नीचे दी गयी है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

	मद	2011-12 रु.	2010-11 रु.
1.	विदेशी मुद्रा में आय	50,02,722	5,75,782
2.	उपयोग की गयी विदेशी मुद्रा (क) यात्रा व्यय (ख) भागीदारी शुल्क	49,282 शून्य	1,82,954 शून्य

कर्मचारियों से सम्बन्धित ब्यौरे

किसी भी कर्मचारी को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक वेतन नहीं मिला है।

लघु औद्योगिक इकाइयों को देय

आपकी कम्पनी पर लघु औद्योगिक इकाइयों को किसी प्रकार देय बाकी नहीं है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व (कार्पोरेट गवर्नेंस)

कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 217 (2कक) के अनुपालन में आपके निदेशकगण 'निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण' का अनुमोदन करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि:-

i. वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू लेखा मानक मेटीरियल डिपार्चर के बारे में उचित स्पष्टीकरण के साथ अपनाए गए हैं।

ii. निदेशकों ने ऐसी लेखा गणना नीतियों का चयन किया है, उनका निरन्तर अनुपालन किया है तथा निर्णय, प्राक्कलन बनाए हैं जो वित्त वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी के मामलों और उस वर्ष कम्पनी को व्यय से अधिक हुई आय का सही एवं उचित तथ्यात्मक ब्यौरा प्रस्तुत करने में युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं।

iii. निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचाने हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने में उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।

iv. निदेशकों ने वार्षिक लेखा गोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किया है।

आभार

निदेशकगण, आपकी कम्पनी को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तमिलनाडु सरकार के उद्योग विभाग, आई टी पी ओ और टी आई डी सी ओ से निरन्तर मिले सहयोग के लिए उनका तथा उन कार्यक्रम आयोजकों / उनके प्रबन्धकों का, जिन्होंने चेन्नई व्यापार केन्द्र में प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया, आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशकगण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, चेन्नई मेट्रो जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड, भारत संचार निगम लिमिटेड, चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, आई डी बी आई एवं यूनियन बैंक आफ इंडिया आदि एजेंसियों तथा व्यक्तियों से टी एन टी पी ओ को मिले सहयोग के लिए उनका भी आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मण्डल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कम्पनी मामले विभाग और लेखा परीक्षकों से मिले बहुमूल्य सहयोग के लिए उनका भी धन्यवाद करते हैं। अन्त में, आपके निदेशक टी एन टी पी ओ के कर्मचारियों की अपनी ड्यूटी के प्रति लगन और निष्ठा और सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह./-
(ए. के. खन्ना)
निदेशक

ह./-
(के. एस. काण्डासामी)
प्रबंध निदेशक

स्थान : चेन्नई
दिनांक: 06.09.2012

स्वैच्छिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

कम्पनी का नाम : तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

कार्पोरेट पहचान सं.	:	यू 91120 टी एन 2000 एन पी एल 046140
प्राधिकृत शेयर पूंजी	:	50,00,000 रु.
31 मार्च, 2012 को प्रदत्त पूंजी	:	1,00,000 रु.

सेवा में
सदस्यगण
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
'चेन्नई ट्रेड सेन्टर'
नं. 6ए, 6बी, 6 सी
माउन्ट-पूनामल्लै हाई रोड
नन्दमबक्कम
चेन्नई-600 089

हमने 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के बारे में कम्पनी अधिनियम, 1956 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और कम्पनी के अन्तर्नियमों और ज्ञापन में अन्तनिर्विष्ट उपबन्धों के अन्तर्गत रखे जाने के लिए अपेक्षित तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के रजिस्टरों, अभिलेखों, बहियों और दस्तावेजों की जांच की है। हमारे विचार से एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा कम्पनी, इसके अधिकारियों एवं एजेन्टों द्वारा हमें प्रस्तुत की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और उपलब्ध कराये गए रिकार्ड, अभिलेखों और रजिस्टरों के आधार पर हमारे द्वारा की गई जाँच के अनुसार पूर्वोक्त वर्ष के सम्बन्ध में, हम प्रमाणित करते हैं कि:-

1. कम्पनी ने इस प्रमाणपत्र के अनुबन्ध 'क' में उल्लिखित सभी रजिस्टरों का रख-रखाव अधिनियम के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार किया है।

2. जैसा कि अनुलग्नक 'ख' में बताया है, कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान फार्म और विवरणियां कंपनी पंजीयक के पास दाखिल कर दी हैं।

3. कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड सरकारी कंपनी है, जिसे कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का प्रयोग न करने की छूट के लिए लाइसेन्स जारी किया गया है और कम्पनी के पास न्यूनतम निर्धारित प्रदत्त पूंजी है।

4. अधिसूचना सं. एस. ओ. 1578 दिनांक 1.7.1961 के साथ पठित धारा 285 के उपबन्धों के अनुसार निदेशक मण्डल की बैठकें तीन बार 2 मई 2011, 26 सितम्बर 2011 और 1 फरवरी 2012 को हुईं और जिनके बारे में पूर्व सूचना दी गई और कार्यवाही वृत्तान्त रिकार्ड किया गया और तथा इस प्रयोजन से बनाई गई कार्यवाही पुस्तिका में दो परिपत्र संकल्प पारित किये गये और उस पर हस्ताक्षर किये गये।

5. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के अंतर्गत सदस्यों का रजिस्टर बन्द नहीं किया।

6. वार्षिक आम बैठक आयोजित करने हेतु समय बढ़ाये जाने के लिए केन्द्र सरकार से मंजूरी लेने के बाद 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक आम बैठक 04.11.2011 को आयोजित की गई तथा उसमें पारित किये गये संकल्प इस हेतु बनायी गयी कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किये गये।

7. समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कोई भी असाधारण बैठक आयोजित नहीं की गयी।

8. यह कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी होने की वजह से धारा 295 के उपबन्ध इस पर लागू नहीं होते हैं।

9. दिनांक 31 जनवरी, 1978 की अधिसूचना सं. जीएसआर 233 के अनुसार धारा 297(1) के उपबन्ध कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

10. हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ऐसे कोई भी करार नहीं किये गये हैं जिन्हें अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत बनाये जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित हो।

11. हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा 314 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कोई भी ऐसी घटनायें नहीं घटी हैं जिनके बारे में कम्पनी को निदेशक मण्डल, सदस्य अथवा केन्द्र सरकार से कोई स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित हो।

12. हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कोई भी डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी नहीं किये गये हैं।

13. (i) कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई भी आबंटन नहीं किया। इसलिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शेयरों के प्रमाणपत्र की डिलीवरी करने का कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता।

(ii) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान शेयरों के स्थानांतरण हेतु किसी से भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(iii) यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत गठित होने के कारण अपने सदस्यों के लिए लाभांश की घोषणा नहीं कर सकती है।

(iv) वापसी भुगतान, परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियां, परिपक्वता अवधि वाले डिबेन्चर और उन पर प्रोद्भूत ब्याज के लिए कोई भी ऐसी धनराशि देय नहीं है, जिसके लिए सात वर्ष से दावा नहीं किया गया हो या सात वर्ष से जिसका भुगतान नहीं किया गया हो और इसीलिए ऐसी धनराशियों को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अन्तरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(v) कम्पनी ने सामान्यत: कम्पनी अधिनियम की धारा 217 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

14. कम्पनी के निदेशक मण्डल के गठन के संबंध में हमारी टिप्पणी इस प्रकार है:

(क) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2006 के निदेशक पहचान संख्या (डिन) के संबंधित उपबंध जो धारा 266-क से धारा 266(छ) कम्पनी पर लागू होते हैं और उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत जिन व्यक्तियों की कम्पनी के निदेशकों के रूप में नियुक्ति की जानी होती है उन्हें निदेशक नियुक्त किये जाने के पूर्व डिन नंबर प्राप्त करना होता है और यह देखा गया है कि किसी एक निदेशक जिसकी नियुक्ति समीक्षाधीन वर्ष के दौरान की गयी है जो कम्पनी के निदेशक मण्डल में नियुक्ति से पूर्व डिन नंबर प्राप्त नहीं किया।

(ख) अधिसूचना क अ 2219 (घ) दिनांक 28/12/2008/फॉर्म 32 दाखिल करने से संबंधित छूट जो अब तक कम्पनी पर लागू होती थी अब वापिस ले ली गई है और कम्पनी को अपने निदेशकों, प्रबंध निदेशकों, प्रबंधक या सचिव के संबंध में होने वाले किसी भी परिवर्तन के बारे में फॉर्म 32 दाखिल करना है।

(ग) चूंकि यह सरकारी कम्पनी है, इसीलिए धारा 255, 256 और 257 के उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 906 दिनांक 30/7/1981 और इसीलिए निदेशकों में से कोई भी चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने योग्य नहीं है। कम्पनी में आईटीपीओ और टिडको के अनामितियों के अलावा कोई निदेशक नहीं है जो कम्पनी के नियम 111(vi) के अनुसरण में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के योग्य हो।

15. दिनांक 31.01.1978 की जी एस आर अधिसूचना संख्या 235 के अनुसार प्रबन्ध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक/प्रबन्धक की नियुक्ति और पारिश्रमिक से संबंधित धाराएं कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं।

16. दिनांक 16 जुलाई 1985 की जी एस आर अधिसूचना संख्या 578 (ई) के अनुसार एकमात्र बिक्री एजेन्ट की नियुक्ति संबंधी धारा 294 कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

17. कम्पनी ने केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त की है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 166 के अन्तर्गत 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए समय बढ़ाया जाये। इसके अतिरिक्त हमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार कंपनी को अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार, कंपनी लॉ बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी पंजीयक अथवा किसी अन्य संबंधित प्राधिकारी से किसी प्रकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं थी।

18. कम्पनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कोई भी शेयर और डिबेन्चर जारी नहीं किए हैं।

19. लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी ने किन्हीं भी शेयरों की वापस खरीद नहीं की है।

20. कम्पनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान या उससे पहले कोई भी वरीयता वाले शेयर/डिबेन्चर जारी नहीं किए हैं और इसीलिए वरीयता वाले शेयरों और डिबेन्चरों के मोचन का प्रश्न ही नहीं उठता।

21. चूंकि यह कम्पनी धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है और किसी भी लाभांश की घोषणा नहीं करती, इसीलिए शेयरों के हस्तांतरण का पंजीकरण होने का लाभांश, राइट शेयर और बोनस शेयर को आस्थगित रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

22. कम्पनी ने जनता से कोई भी धनराशि स्वीकार नहीं की है इसलिए धारा 58 क और 58 क क के उपबंधों का पालन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

23. प्राइवेट कम्पनी होने की वजह से अधिनियम की धारा 293(1)(घ) के उपबन्ध इस कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

24. प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी होने की वजह से अधिनियम की धारा 372-क के उपबन्ध इस कम्पनी पर लागू नहीं होते।

25. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने अपने पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है।

26. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के उद्देश्य के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

27. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के नाम के सम्बन्ध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

28. कम्पनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपनी शेयर पूंजी के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

29. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने अपने अन्तर्नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

30. हमें यह जानकारी दी गई है कि कम्पनी को कोई भी कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है और न ही उसके विरुद्ध कोई भी अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

31. कम्पनी ने अपने कर्मचारियों से प्रतिभूति के रूप में कोई भी जमा राशि प्राप्त नहीं की है और इसीलिए अधिनियम की धारा 417(1) के उपबन्धों के अनुसार इस बारे में जमा राशि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

32. अधिनियम की धारा 418 के उपबन्ध कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते एस. ईश्वर
कम्पनी सचिव

ह./-
(एस. ईश्वर)
एफसीएस संख्या 6097, सी पी सं. 5280

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 07 अगस्त, 2012

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन को दिनांक 07 अगस्त, 2012 को जारी किए गए स्वैच्छिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट का भाग

अनुबन्ध-क

कम्पनी द्वारा बनाये गये रजिस्टर

1. शेयर आवेदन पत्र और आबंटन रजिस्टर
2. सदस्यों का रजिस्टर
3. शेयर हस्तांतरण रजिस्टर
4. निदेशकों एवं प्रबन्ध निदेशकों का रजिस्टर
5. निदेशकों की शेयरधारिता और डिबेंचरधारिता का रजिस्टर
6. प्रभारों और गिरवी संबंधी रजिस्टर
7. ऐसी संविदाओं का रजिस्टर जिनमें निदेशक हितबद्ध हैं।

कृते एस. ईश्वर
कम्पनी सचिव

ह./-
(एस. ईश्वर)
एफसीएस संख्या 6097, सी पी सं. 5280

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 07 अगस्त, 2012

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन को दिनांक 07 अगस्त 2012 को जारी स्वैच्छिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट का भाग

अनुबंध-ख
कंपनी पंजीयक के पास दाखिल किये गये दस्तावेज

क्र.सं.	फाइल किए गए इवेन्ट/रिटर्न, कागजात का प्रकार	तारीख	फार्म संख्या	धारा	दाखिल करने की तारीख
1.	प्रभार की दायित्व पूर्ति बी 19096122	18/08/2011	फार्म 17	धारा 138	27/08/2011
2.	प्रभार की दायित्व पूर्ति बी 21817184	21/09/2011	फार्म 17	धारा 138	30/09/2011
3.	श्री राजीव खेर की नियुक्ति बी 28064186	26/09/2011	फार्म 32	धारा 303	24/12/2011
4.	श्री सुन्दरादेवन की नियुक्ति बी 27814383	10/06/2011	फार्म 32	धारा 303	21/12/2011
5.	सुसन मैथ्यू की नियुक्ति बी 27813641	26/05/2011	फार्म 32	धारा 303	21/12/2011
6.	वार्षिक आम बैठक का विस्तार बी 22957740	लागू नहीं होता	फार्म 61	धारा 166	17/10/2011
7.	2010-11 का वार्षिक रिटर्न पी 84397041	04/11/2011	2011 हेतु 20 बी	धारा 159	04/01/2012
8.	31/03/2011 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र तथा आय-व्यय लेखा पी 81467788	04/11/2011	23 एसी और एसीए	धारा 220	29/11/2011

कृते एस. ईश्वर
कम्पनी सचिव

ह./-
(एस. ईश्वर)
एफसीएस संख्या 6097, सी पी सं. 5280

स्थान: चेन्नई
दिनांक: 07 अगस्त, 2012

भाग-I 31.03.2012 को यथास्थिति तुलन पत्र

	विवरण	अनुसूची	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 31.03.2012 को यथास्थिति रु.	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 31.03.2011 को यथास्थिति रु.
I	**पूंजी व दायित्व**			
(1)	शेयरधारकों का कोष			
	(क) शेयर पूंजी	1	**1,00,000**	1,00,000
	(ख) आरक्षित और अधिशेष	2	**79,74,40,158**	61,34,28,929
(2)	**शेयर आवेदन मनी**			
(3)	**गैर-चालू दायित्व**	3		
	(क) दीर्घावधि ऋण		**22,60,75,082**	22,60,75,082
	(ख) आस्थगित कर दायित्व (निवल)		**-**	-
	(ग) दीर्घावधि प्रावधान		**9,66,837**	7,85,887
(4)	**चालू दायित्व**	4		
	(क) अल्पावधि ऋण		**-**	-
	(ख) ट्रेड पेएबल		**25,66,305**	27,18,510
	(ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)		**15,13,08,285**	14,21,99,304
	(घ) अल्पावधि प्रावधान		**-**	**-**
	कुल		**1,17,84,56,667**	**98,53,07,712**
II	**परिसंपत्तियां**			
(1)	**गैर-चालू परिसम्पत्तियां**	5		
	(क) स्थायी परिसंपत्तियां			
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां		**52,95,97,726**	54,87,72,038
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		**-**	-
	(iii) पूंजीगत कार्य		**-**	-
	(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां		**-**	-
	(ख) गैर चालू निवेश	6	**7,94,668**	22,64,005
	(ग) आस्थगित परिसम्पत्ति (निवल)		**-**	-
	(घ) दीर्घावधि ऋण व अग्रिम		**-**	-
	(घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां		**1,71,000**	1,51,000
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) चालू निवेश	7	**-**	-
	(ख) वस्तु सूची	8	**-**	-
	(ग) ट्रेड रिसीवेबल	9	**1,13,42,045**	1,11,56,892
	(घ) नकद एवं नकद समतुल्य		**58,66,07,873**	39,08,38,272
	(ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम		**-**	-
	(च) अन्य चालू परिसम्पत्तियां		**4,99,43,355**	3,21,25,505
	महत्वपूर्ण लेखा गणना नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां	16		
	कुल		**1,17,84,56,667**	**98,53,07,712**

उपर्युक्त टिप्पणियां तुलन पत्र की अभिन्न अंग हैं।

ह./-
(एम. के. एन. कुमार)
प्रबन्धक (लेखा)

ह./-
(ए. के. खन्ना)
निदेशक

ह./-
(के. एस. काण्डासामी)
प्रबंध निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स रमन एसोसिएट,
चार्टर्ड लेखाकार

ह./-
(डॉ. ए. पी. विजयेन्द्रन)
साझेदार
सदस्यता सं. 215166
एफ.आर.सं. 02910 एस

स्थान: चेन्नई
दिनांक: 22.08.2012

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

31.03.2012 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

	विवरण	अनुसूची	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2010-11
			रु.	रु.
I	संचालनों से प्राप्त राजस्व	10	**24,11,75,937**	21,58,35,488
II	अन्य आय	11	**5,94,26,117**	3,50,28,654
III	**कुल राजस्व (I + II)**		**30,06,02,054**	**25,08,64,142**
IV	**व्यय:**			
	उपयोग की गयी सामग्री की लागत		**-**	-
	स्टाक-इन-ट्रेड की खरीद		**-**	-
	तैयार सामान की वस्तु सूचियों में परिवर्तन		**-**	-
	चालू कार्य और स्टाक-इन-ट्रेड		**-**	-
	कर्मचारी कल्याण व्यय	12	**85,54,386**	55,55,655
	वित्त लागत		**-**	-
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	13	**2,19,70,242**	2,06,34,388
	अन्य व्यय	14	**8,19,80,904**	8,21,26,422
	कुल संचालन व्यय		**11,25,05,532**	**10,83,16,465**
V	अपवादात्मक एवं अति विशेष मदों एवं कर (III-IV) से पूर्व लाभ		**18,80,96,522**	14,25,47,677
VI	अति विशेष मदें (पिछली अवधि की मदें)	15	**4,71,427**	6,45,223
VII	अति विशेष मदें तथा कर (V-VI) पूर्व लाभ		**18,85,67,949**	14,31,92,900
VIII	अति विशिष्ट मदें		**-**	-
IX	कर (VII - VIII) पूर्व लाभ		**18,85,67,949**	14,31,92,900
X	कर व्यय:-			
	(1) चालू आय कर		**-**	-
	(2) आस्थागित आय कर		**-**	-
XI	जारी आपरेशनों (IX - X) से लाभ/(हानि)		**18,85,67,949**	14,31,92,900
XII	बंद हो रहे आपरेशनों से लाभ/(हानि)		**-**	-
XIII	बंद हो रहे आपरेशनों का कर व्यय		**-**	-

	विवरण	अनुसूची	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2010-11
			रु.	रु.
XIV	बंद हो रहे आपरेशनों से लाभ/हानि (कर पश्चात्) (XII - XIII)		-	-
XV	अवधि (XI + XIV) के लिए लाभ/(हानि)		**18,85,67,949**	**14,31,92,900**
XVI	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन			
	(1) बेसिक		**18,85,679**	**14,31,929**
	(2) डाइल्यूटेड		**18,85,679**	**14,31,929**

महत्वपूर्ण लेखा गणना नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

ह./-
(एम. के. एन. कुमार)
प्रबन्धक (लेखा)

ह./-
(ए. के. खन्ना)
निदेशक

ह./-
(के. एस. काण्डासामी)
प्रबंध निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स रमन एसोसिएट,
चार्टर्ड लेखाकार

ह./-
(डॉ. ए. पी. विजयेन्द्रन)
साझेदार
सदस्यता सं. 215166
एफ.आर.सं. 02910 एस

स्थान: चेन्नई
दिनांक: 22.08.2012

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में आंकड़े

	नोट सं.	विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े 31.03.2012 रु.	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े 31.03.2011 रु.
I		**इक्विटी एवं देयताएं**		
	1	**शेयर पूंजी**		
		प्राधिकृत :		
		1000 रु. प्रति शेयर की दर से 5000 इक्विटी शेयर	**50,00,000**	50,00,000
		जारी एवं प्रदत्त पूंजी		
		100 रु. प्रति शेयर की दर से पूर्णत: चुकता 100 इक्विटी शेयर	**1,00,000**	1,00,000
		(प्रदत्त पूंजी में आई टी पी ओ के पास शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत एवं टी आई डी सी ओ के पास 49 प्रतिशत हिस्सा शामिल है)		
	2	**आरक्षित एवं अधिशेष**		
		आरक्षित पूंजी		
		ए एस आई डी ई से पूंजीगत अनुदान		
		पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	**12,24,84,377**	12,70,41,097
		जोड़िए: वर्ष के दौरान अतिरिक्त		
		घटा कर: कटौती वर्ष के दौरान अनुदान से प्राप्त आय	**45,56,720**	45,56,720
		वर्ष के अन्तिम में शेष	**11,79,27,657**	12,24,84,377
		अधिशेष		
		वर्ष के शुरू में शेष	**49,09,44,552**	34,77,51,652
		जोड़े : वर्ष के अन्त में लाभ	**18,85,67,949**	14,31,92,900
		वर्ष के अन्त में शेष	**67,95,12,501**	49,09,44,552
		कुल	**79,74,40,158**	61,34,28,929
	3	**गैर-चालू देयताएं**		
		(क) दीर्घावधि ऋण		
		अनारक्षित-अच्छे समझे गए		
		आईटीपीओ से	**16,37,48,414**	16,37,48,414
		टी आई डी सी ओ से	**6,23,26,668**	6,23,26,668
		पुनर्भुगतान की शर्त - शून्य		
		कुल	**22,60,75,082**	22,60,75,082

	नोट सं.	विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े 31.03.2012 रु.	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े 31.03.2011 रु.
		(ख) आस्थगित कर देयतायें (निवल)		
		वर्ष के आरम्भ में शेष	**शून्य**	शून्य
		जोड़ें : वर्ष के लिए प्रावधान		
		वर्ष के अन्त में शेष		
		(ग) अन्य दीर्घावधि देयतायें	**शून्य**	शून्य
		ट्रेड पेएबल – दीर्घावधिक		
		भविष्य निधि इत्यादि, स्थायी परिसम्पित्तियों की खरीद, संविदात्मक रूप में प्रतिपूर्ति खर्चे, ट्रेड पेएबल इत्यादि पर ब्याज आदि संवैधानिक देयताओं पर भुगतान		
		(घ) दीर्घावधि प्रावधान		
		कर्मचारियों के कल्याण हेतु प्रावधान – भुगतान योग्य ग्रेच्युटी और	**9,66,837**	7,85,887
		छुट्टियों का नकदीकरण		
	4	**चालू देयतायें**		
		(क) अल्पावधिक ऋण		
		(ख) ट्रेड पेएबल	**25,66,305**	27,18,510
		असुरक्षित – अच्छे समझे गए		
		(ग) अन्य चालू देयतायें		
		असुरक्षित – अच्छे समझे गए		
		प्रतिभूति जमा भुगतान योग्य	**5,94,314**	5,90,714
		टीआईडीसीओ को भुगतान योग्य भूमि के लिए पट्टा किराया	**11,00,00,000**	10,00,00,000
		भावी मेलों के लिए भागीदारों से प्राप्त अग्रिम	**3,29,11,284**	2,92,04,710
		मेला आयोजकों को प्रतिदाय	**23,99,006**	13,40,395
		सेवाकर लंबित प्राप्तियाँ	**1,16,804**	7,91,487
		अग्रिम धन जमा	**6,88,832**	6,86,432
		भुगतान योग्य खर्चे	**44,03,382**	93,77,652
		भुगतान योग्य टीडीएस	**1,94,663**	2,07,914
			15,13,08,285	14,21,99,304
		महायोग	**1,17,84,56,667**	98,53,07,712

	नोट सं.	विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े 31.03.2012 रु.	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े 31.03.2011 रु.
	5	**परिसम्पित्तियाँ**		
		गैर-चालू परिसम्पित्तियाँ		
		(क) स्थायी परिसम्पित्तियाँ		
		(1) मूर्त परिसम्पित्तियाँ		
		सकल ब्लाक	**68,41,20,906**	68,18,04,760
		घटायें- मूल्यह्रास	**15,45,23,180**	13,30,32,722
		निवल ब्लाक	**52,95,97,726**	54,87,72,038
		(2) अमूर्त परिसम्पत्तियां	**0**	0
		(3) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	**0**	0
		(4) विकासशील अमूर्त परिसम्पत्तियां	**0**	0
		कुल	**52,95,97,726**	54,87,72,038
	6	**(ख) गैर-चालू निवेश**		
		पूंजीगत कार्य के लिए अग्रिम		
		कुल गैर-जारी निवेश	**7,94,668**	22,64,005
		कुल गैर-चालू निवेश	**7,94,668**	22,64,005
		ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		
		घ) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ		
		विस्तार परियोजना के लिए किया गया प्राथमिक खर्चा	**1,71,000**	1,51,000
		कुल	**1,71,000**	1,51,000
	7	**(i) ट्रेड रिसीवेबल**		
		1. सुरक्षित-समझा गया सामान		
		भुगतान की देय तिथि से छः महीने से भी अधिक समय से देय बकाया	**40,20,879**	40,75,919
		अन्य	**73,21,166**	70,80,973
		2. असुरक्षित, अच्छा समझा गया माल		
		भुगतान की देय तिथि से छः महीने से भी अधिक समय से देय बकाया		
		अन्य		
		3. संदिग्ध		
		देय तिथि से छः महीने से भी अधिक समय से देय बकाया	**7,04,102**	7,04,102
		घटायें : खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अलाउंस	**-7,04,102**	-7,04,102
		अन्य		
		घटायें : खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अलाउंस		
		कुल	**1,13,42,045**	1,11,56,892
	8	**नकद एवं बैंक शेष**		
		नकद एवं नकद समतुल्य		
		अपने पास विद्यमान नकद	**96,000**	
		बैंकों में शेष		
		बचत बैंक खातों में	**1,23,63,360**	1,26,63,515
		अल्पावधि जमा खातों में	**57,41,48,513**	37,81,74,757
		कुल	**58,66,07,873**	39,08,38,272

	नोट सं.	विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े 31.03.2012 रु.	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े 31.03.2011 रु.
	9	**अन्य चालू परिसम्पत्तियां**		
		नकद या नगद से भिन्न मूल्य पर प्राप्त वसूली योग्य अग्रिम (असुरक्षित एवं अच्छे समझे गए)		
		टेलीफोन डिपाजिट	**19,800**	19,800
		ई बी डिपाजिट	**49,86,904**	47,16,320
		वसूली योग्य टीडीएस	**1,46,52,477**	1,09,06,581
		पहले चुकता व्यय	**1,97,803**	1,91,023
		अर्जित ब्याज	**2,39,59,633**	1,10,81,676
		अन्य अग्रिम	**61,26,738**	52,10,105
		कुल	**4,99,43,355**	3,21,25,505
		महायोग	**1,17,84,56,667**	98,53,07,712
II		**लाभ एवं हानि खाता**		
	10	प्रचालन से प्राप्त राजस्व		
		प्रदर्शनी हालों से प्राप्त संचालन आय	**19,96,00,597**	17,48,53,742
		सम्मेलन केन्द्रों से प्राप्त संचालन आय	**4,15,75,340**	4,09,81,746
		कुल	**24,11,75,937**	21,58,35,488
	11	**अन्य आय**		
		बैंक से प्राप्त ब्याज	**4,34,71,413**	2,10,87,303
		अनुदान (एएसआईडीई अनुदान) से आय	**45,56,720**	45,56,720
		आउटडोर फिल्म शूटिंग	**2,00,000**	3,33,103
		टिकटों की बिक्री	**69,70,588**	52,92,873
		स्थाई परिसम्पत्तियों की बिक्री से आय	**-**	3,881
		विविध आय	**42,27,396**	37,54,774
		कुल	**5,94,26,117**	3,50,28,654
	12	**कर्मचारी कल्याण संबंधी व्यय**		
		निदेशकों का मानदेय	**10,19,494**	9,12,997
		वेतन, भत्ते और प्रोत्साहन	**58,16,773**	24,66,712
		भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**9,16,183**	9,01,379
		कर्मचारी कल्याण पर व्यय	**8,01,936**	12,74,567
		कुल	**85,54,386**	55,55,655
		वित्तीय लागत	**शून्य**	शून्य
	13	**मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय**	**2,19,70,242**	2,06,34,388

	नोट सं.	विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े 31.03.2012 रु.	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े 31.03.2011 रु.
	14	**अन्य खर्चे**		
		प्रशासन प्रभार (आउट सोर्सिंग खर्च)	**26,43,355**	24,17,115
		लेखा परीक्षकों को भुगतान	**1,00,000**	1,00,000
		संचालन एवं मरम्मत	**3,47,19,483**	2,82,45,683
		विद्युत प्रभार	**2,47,73,861**	2,86,13,345
		जल प्रभार	**9,97,800**	5,58,540
		वाहन किराये पर लेने का प्रभार	**1,32,872**	1,36,041
		विद्युत मरम्मत एवं रखरखाव	**19,42,990**	4,37,635
		वाहन रखरखाव	**4,39,948**	5,77,942
		उपकरणों का रखरखाव	**46,387**	30,984
		कम्प्यूटर का रखरखाव	**81,844**	93,601
		संवर्धनात्मक कार्य एवं विज्ञापन	**5,00,808**	22,88,295
		भूमि का पट्टा किराया	**1,00,00,000**	1,00,00,000
		भवन का रखरखाव	**11,12,230**	34,13,823
		पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं	**11,733**	15,283
		वाहन	**5,39,779**	4,05,100
		सम्पत्ति कर	**7,48,440**	7,48,440
		बीमा	**2,86,974**	2,55,980
		कार्यालय का रखरखाव	**96,533**	85,727
		विधि संबंधी शुल्क	**80,000**	50,000
		प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	**4,23,423**	4,06,813
		डाक एवं कोरियर	**37,514**	24,156
		व्यावसायिक प्रभार	**2,70,320**	3,45,783
		दरें एवं कर	**2,07,034**	1,90,460
		सदस्यता एवं ग्राहक शुल्क	**10,000**	10,000
		टेलिफोन प्रभार	**3,94,444**	3,27,926
		निदेशक का यात्रा व्यय	**10,24,080**	12,00,661
		यात्रा व्यय	**1,08,934**	6,68,264
		भागीदारी शुल्क	**50,000**	1,79,878
		प्रशिक्षण व्यय	**1,08,412**	24,000
		बैंक प्रभार	**5,482**	20,622
		परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	**44,343**	1,27,603
		विविध व्यय	**41,881**	1,26,722
		कुल	**8,19,80,904**	8,21,26,422

	नोट सं.	विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े 31.03.2012 रु.	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े 31.03.2011 रु.
	15	**पिछली अवधि की मदें**		
		आय		
		बट्टे-खाते में डाला गया अधिक मूल्यह्रास	**4,71,427**	-
		वेतनों के बकाया के लिये अधिक प्रावधान	**-**	12,08,640
		कर्मचारी कल्याण हेतु व्यय के लिये अधिक प्रावधान	**-**	24,000
		कुल (क)	**4,71,427**	12,32,640
		खर्चे	**-**	
		प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	**-**	3,153
		यात्रा व्यय	**-**	2,15,249
		डाक एवं टेलिग्राम	**-**	185
		वाहन व्यय	**-**	1,189
		पिछले वर्षों के लिये उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन योजना	**-**	3,67,641
		कुल (ख)	'kU;	5,87,417
		निवल (क-ख)	**471427**	6,45,223

लेखाओं के साथ अनुबद्ध तथा उनकी अंगभूत अनुसूचियां

टिप्पणी-5

स्थायी परिसम्पत्तियां

मद		सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लाक	
	मूल्यह्रास की दर	01.04.2011 को लागत	वृद्धि	कटौती समायोजन	31.03.2012 को लागत	01.04.2011 को यथास्थिति	वर्ष के लिए	निकालने/ समायोजन पर मूल्यह्रास	31.03.2012 को यथा स्थिति	31.03.2012 को यथा स्थिति	31.03.2011 को यथा स्थिति
	%	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये		रुपये	रुपये	रुपये
बिल्डिंग	1.63	38,37,28,427	10,07,974		**38,47,36,401**	4,21,03,405	62,66,885		**4,83,70,290**	**33,63,66,111**	34,16,25,022
प्लान्ट और मशीनरी	4.75	8,30,66,820	3,40,476		**8,34,07,296**	1,95,06,174	39,58,628	4,71,427	**2,29,93,375**	**6,04,13,921**	6,35,60,646
बिजली संस्थापन											
- बिजली मशीनरी हेतु	7.07	3,96,43,485			**3,96,43,485**	1,79,76,276	28,02,794		**2,07,79,070**	**1,88,64,415**	2,16,67,209
- अन्य	4.75	15,40,47,593	2,34,887		**15,42,82,480**	4,49,70,704	73,24,585		**5,22,95,289**	**10,19,87,191**	10,90,76,889
कार्यालय उपकरण	4.75	29,74,688	5,68,069	55,800	**34,86,957**	3,74,612	1,52,687	8,357	**5,18,942**	**29,68,015**	26,00,076
फर्नीचर											
- कन्वेंशन केंद्र के लिए	9.50	45,93,941			**45,93,941**	24,15,661	4,36,424		**28,52,085**	**17,41,856**	21,78,280
- अन्य	6.33	1,14,89,899	1,98,040		**1,16,87,939**	43,30,978	7,34,876		**50,65,854**	**66,22,085**	71,58,921
कम्प्यूटर	16.21	11,41,189	22,500		**11,63,689**	6,97,742	1,87,085		**8,84,827**	**2,78,862**	4,43,447
वाहन	9.50	11,18,718	-	-	**11,18,718**	6,57,170	1,06,278	-	**7,63,448**	**3,55,270**	4,61,548
कुल		**68,18,04,760**	**23,71,946**	**55,800**	**68,41,20,906**	**13,30,32,722**	**2,19,70,242**	**4,79,784**	**15,45,23,180**	**52,95,97,726**	54,87,72,038
गत वर्ष		64,05,34,262	4,17,89,582	5,19,084	68,18,04,760	11,27,61,896	2,06,34,388	3,63,562	13,30,32,722	54,87,72,038	52,77,72,366
पूंजीगत कार्य प्रगति पर										**0**	0
पूंजीगत कार्य हेतु अग्रिम										**794668**	2264005

लेखाओं के साथ अनुबद्ध तथा उनकी अंगभूत अनुसूचियां

अनुसूची-16

लेखाओं पर टिप्पणियां

(I) महत्त्वपूर्ण लेखा गणना नीतियां

(क) लेखा-गणना की विधि

i) वित्तीय विवरण भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर तैयार किये गये हैं।

ii) कम्पनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची VI में निर्धारित कम्पनी के सामान्य संचालन साइकिल तथा अन्य मानकों के अनुसार सभी परिसम्पित्तियां एवं देयताएं चालू तथा गैर-चालू रूप में वर्गीकृत की गई हैं।

iii) कम्पनी लेखा गणना की मर्केन्टाइल पद्धति अपनाती है तथा निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, आय-व्यय को प्रोद्भूत होने के आधार पर मानती है

1) सरकारी अनुदान - पावती आधार पर माने जाते हैं।

2) दो लेखा गणना अवधियों में पड़ने वाले मेलों/प्रदर्शनियों की आय - जिस लेखा गणना अवधि में प्रदर्शनियां/मेले समाप्त हुए हैं, उस अवधि में मानी जाती है।

(ख) स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां लागत में से संचित मूल्यह्रास घटा कर बतायी गयी हैं।

(ग) चालू पूंजीगत कार्य एवं पूंजीगत कार्य हेतु अग्रिम

i) वर्ष 2011-12 में कोई भी पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं था।

ii) पूंजीगत कार्य हेतु सी पी डब्ल्यू डी के पास पड़ी धनराशि उनके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार 'पूंजीगत कार्य हेतु अग्रिम' शीर्ष के अन्तर्गत दिखायी गई है।

(घ) मूल्यह्रास

i) 5000 रुपये या उससे कम लागत वाली परिसम्पत्ति पर 100 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास लगाया गया है।

ii) स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची चौदह में विहित दरों पर तथा विधि से 'स्ट्रेटलाइन पद्धति' से लगाया गया है।

(ङ) सरकारी अनुदान

i) अनुदानों की गणना प्राप्ति के आधार पर की गई है।

ii) स्थायी परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित अनुदान पूंजीगत आरक्षित राशि के अंतर्गत दिखाये गये हैं।

iii) स्थायी परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित अनुदान परिसम्पत्तियों की प्रकृति और उनकी उपभोग्य अवधि पर विचार करते हुए तथा आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखा गणना मानक-12 (ए एस-12) के अनुसार सभी परिसम्पत्तियों के औसत सामान्य मूल्यह्रास की दर के आधार पर आस्थगित आय के रूप में माना गया है।

(च) वस्तु सूचियां

कम्पनी किसी प्रकार की वस्तु सूची तैयार नहीं करती है।

(छ) राजस्व गणना

निम्नलिखित से अन्य पर आय कर प्रोद्भूत होने के आधार पर माना गया है:-

i) सरकारी अनुदान - प्राप्ति के आधार पर माना गया है।

ii) दो लेखा गणना अवधियों में पड़ने वाले मेलों/प्रदर्शनियों की आय जिस अवधि में उस मेले/प्रदर्शनी का समापन हुआ हो, उस लेखा अवधि की मानी जाती है।

(ज) कर्मचारी हितलाभ

- अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों (वे लाभ जो कर्मचारी द्वारा सेवा उपलब्ध करने की अवधि समाप्त होने के बाद बारह महीने के अन्दर देय होते हैं) का आकलन किया गया है और उनके लिए प्रावधान किए गए हैं।

- दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों की गणना (वे लाभ, जो कर्मचारी द्वारा सेवा उपलब्ध करने की अवधि समाप्त होने के बारह महीने के बाद देय होते हैं) और रोजगार के बाद के लाभ (जो लाभ रोजगार पूरा होने के बाद दिये जाते हैं) की गणना वार्षिक थर्ड पार्टी वास्तविक मूल्यांकनों के आधार पर प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट प्रणाली द्वारा छूट के आधार पर की गई है।

- भविष्य निधि में अंशदान, जो एक सुपरिभाषित अंशदान योजना है, कानून के अनुसार किये जाते हैं और उन्हें तभी खर्च माना जाता है, जब कर्मचारियों ने अंशदान की पात्रता के लिए सेवा पूरी कर ली हो।

  कंपनी की ग्रेच्युटी, अन्य सेवानिवृत्ति लाभों तथा क्षतिपूर्ति वाली अनुपस्थिति संबंधी देनदारी का निर्धारण प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को बीमांकिकी के आधार पर तथा प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट प्रणाली का उपयोग करके किया जाता है। बीमांकिकीय प्राप्ति/हानि को राजस्व में दर्शाया गया है।

(झ) प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्राक्कलनों और अनुमानों की आवश्यकता होती है जो प्रतिवेदन के अन्तर्गत आने वाली अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की मात्रा तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसम्पत्तियों और देनदारियों तथा आकस्मिक देयताओं के पता चलने के अनुसार वित्तीय कथित राशि पर प्रभाव डालते हैं। अनुमान जहां उपयुक्त हो, पुराने अनुभव तथा ऐसी अन्य मान्यताओं पर आधारित हैं जिनके बारे में प्रबन्धन यह मानता है कि वे परिस्थितियों को देखते हुए उचित हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अन्तर उस अवधि की गणना में लिया जाता है जब परिणामों के बारे में पता चलता है।

(ञ) विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा में लेन-देन उस समय लागू विनिमय दर पर दर्ज किये गये हैं। विदेशी मुद्रा की मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को तुलन-पत्र की तिथि को प्रचलित विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अन्तर को लाभ और हानि के खाते में दर्शाया गया है। अचल परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण और ब्याज के लागत व्यय के समायोजन को इसमें शामिल नहीं किया जाता।

(ट) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

माप के प्राक्कलन के अधिकांश भाग को तभी स्वीकार किया गये हैं जब कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता हो, जो पिछली गतिविधि के परिणामस्वरूप उपस्थित हुई हो और यह सम्भव हो कि उससे संसाधनों का बहिर्गमन होगा। आकस्मिक देयताएं स्वीकार नहीं की गयी हैं बल्कि टिप्पणियों में दर्शायी गई हैं। आकस्मिक परिसम्पत्तियां न तो स्वीकार की गई हैं और न ही वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई हैं।

(II) अन्य टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयता

क) कम्पनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है:-

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग बनाम कन्सोलिडेटिड कन्सट्रक्शन कन्सोर्टियम लि.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ विनिर्माण समझौते के अनुसार, कम्पनी को करार निष्पादन के दौरान किसी भी कानूनी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली देनदारी को पूरा करना होगा। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और कन्सोलिडेटिड कन्सट्रक्शन कन्सोर्टियम लिमिटेड (सी सी सी एल), एक ठेकेदार कम्पनी जो कन्वेन्शन सेन्टर-फेज 2 के निर्माण के लिए सी पी डब्ल्यू डी द्वारा तैनात की गई थी, के बीच मुकदमेबाजी हुई थी। दोनों पक्षों के बीच पंचाट के माध्यम से एक अवार्ड हुआ था और बाद की घटना के आधार पर कम्पनी 80,08,020 रुपये की आकस्मिक देनदार है जिसमें पूर्ण और अन्तिम निपटान के रूप में पंचाट की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 63,75,651 रु. की राशि पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज शामिल है। सी पी डब्ल्यू डी ने अवार्ड की चुनौती देते हुए मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(ख) अपर सेवाकर आयुक्त, चेन्नई ने 2006-07 से 2010-11 के लिए कुल 1,72,64,646/- रु. की कर योग्य वैल्यू वाले टिकटों की बिक्री को, जिसके लिए कुल 19,53,359/- रु. की कर देयता बनती है, शामिल नहीं करने के लिए दिनांक 13.10.2011 को एक कारण बताओ नोटिस संख्या 456/2011 जारी किया है। टीएनटीपीओ ने इसका विरोधा किया है और उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है तथा यह मामला अभी विभाग में लम्बित पड़ा है। उपर्युक्त मामले को देखते हुए कम्पनी पर 19,53,359/- रु. की आकस्मिक देनदारी बनती है।

2. पूंजीगत वचनबद्धताएं

पूंजीगत खाते में जिन करारों को निष्पादित नहीं किया गया है और जिनके लिए 31 मार्च 2012 को प्रावधान नहीं किया गया है, उनकी अनुमानित धनराशि - शून्य

3. इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (टिडको) के बीच दिनांक 13.11.2000 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, टिडको को भूमि प्रदान करनी थी एवं भूमि विकास सम्बन्धी व्यय की व्यवस्था करनी थी तथा आई टी पी ओ को प्रदर्शनी केन्द्र का निर्माण करना था। तमिलनाडु सरकार के दिनांक 06.11.2000 के शासनादेश संख्या 568, राजस्व (एल. ए) (2) विभाग के अनुसार 25.48 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया था। इसके उपरान्त दिनांक 03.02.2003 का शासनादेश सं. 28 प्राप्त हुआ जिसके अनुसार टी एन टी पी ओ की भूमि के लिए टी आई डी सी ओ को 2001-02 से प्रति वर्ष 100 लाख रुपये के पट्टे किराये का भुगतान करना था जो तीस वर्ष के दीर्घकालीन पट्टे पर टी एन टी पी ओ को दी गयी थी।

टी एन टी पी ओ के निदेशक मण्डल की 25.03.2010 को सम्पन्न 31वीं बैठक में, बोर्ड ने टी एन टी पी ओ की 30वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की कि 2001-02 से 2009-10 तक की अवधि हेतु 9.00 करोड़ रूपये के बकाया लीज रेंट के विरुद्ध टिडको के दावे के अनुसार भूमि हेतु मौलिक व्यवस्था से सम्बन्धित मामले के प्रस्ताव को देखते हुए, भुगतान को लम्बित रखा जा सकता है।

बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय को देखते हुए वर्ष 2001-02 से 2010-11 तक के 10.00 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2011-12 के 1.00 करोड़ रु. के लीज रेन्ट के प्रावधान को लेखे में अन्य चालू देनदारियों एवं प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत दिखाया गया है।

4. प्रवर्तकों अर्थात् आई टी पी ओ एवं टिडको द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए खर्च की गई धनराशि के बारे में अन्तिम निर्णय होने तक उक्त धनराशि को ब्याज रहित ''अनारक्षित ऋण'' माना गया है तथा विगत वर्ष के तुलन-पत्र की तरह अनुसूची सं. 3 में अनारक्षित ऋण के रूप में दिखाया गया है। जब कभी निणर्य होगा तो बहियों में आवश्यक समायोजन किया जायेगा।

5. कम्पनी को आय कर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) (iv) के अनुसार आय कर मुख्यायुक्त-III, चेन्नई के दिनांक 22.05.2008 के परिपत्र संख्या सीसीआईटी III/170/10 (23सी)/07-08 द्वारा कर-आकलन वर्ष 2008-09 से आय कर छूट की अधिसूचना प्राप्त हुई

है। आयकर अधिनियम की धारा 10(23ग)(18) के अन्तर्गत दी गयी छूट आयकर अधिकारी, मुख्यालय, सीसीआईटी-III, चेन्नई से प्राप्त दिनांक 30.04.2012 के पत्रांक सीसीIII/170/10(23सी)/07-08 के अनुसार आकलन वर्ष 2009-2010 से वापस ले ली गयी है। इसलिए कर तथा आस्थगित कर हेतु प्रावधान जरूरी नहीं समझे गये हैं।

6. प्राप्य टीडीएस (अर्थात आयकर वापसी) को अनुसूची-7 में ऋणों और अग्रिमों के अन्तर्गत दर्शाया गया है। प्राप्य टीडीएस का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	राशि (रुपयों में)
2004-05	1,12,002
2005-06	42,247
2006-07	70,49,976
2008-09	31,84,122
2009-10	2,51,647
2010-11	2,66,587
2011-12	37,45,896
कुल	**1,46,52,477**

7. (क) चूंकि पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त राज्य एवं केन्द्रीय ए एस आई डी ई अनुदान विशिष्ट स्थायी परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित थे, इसलिए ऐसे अनुदानों को पूंजीगत रिजर्व माना गया और उन्हें तुलन-पत्र में सरकारी अनुदानों के बजाय रिजर्व और सरप्लस के अन्तर्गत पूंजी रिजर्व के रूप में दिखाया गया है।

(ख) जैसा कि अनुसूची-16 (ड.)(iii) में निर्दिष्ट है, स्थायी परिसम्पत्तियों सम्बन्धी अनुदानों को औसत सामान्य मूल्यह्रास दर पर आधारित आमदनी माना गया है जिसे नीति और लेखा गणना मानक-12 (ए एस-12) के अनुरूप परिसम्पत्तियों की पूर्ण जीवन अवधि में क्रमिक और तार्किक समझा गया है। तदनुसार, वर्ष के दौरान 45.57 लाख रुपये की राशि को आय माना गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान कम्पनी को कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

8. कर्मचारी हितलाभ

(क) परिभाषित हितलाभ योजना - ग्रेच्युटी

सं.	विवरण	राशि (रुपयों में)	
I.	**समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि के विवरण में मान्य व्यय**	**31 मार्च 2012**	**31 मार्च 2011**
1	चालू सेवा लागत	63,255	4,57,114
2	ब्याज लागत	44,478	28,398
3	योजना परिसम्पत्तियों से अनुमानित आय	45,980	34,007
4	निवल बीमांकिकी लाभ/हानि	(1,51,324)	(2,48,934)
5	पिछली सेवा लागत		
6	निपटान लागत		
7	**कुल व्यय**	**2,13,077**	**2,02,571**
II.	**तुलन-पत्र में दर्शाई गई निवल परिसम्पत्ति/(देनदारी)**		
1	परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	8,15,035	5,55,978
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6,00,327	3,86,911
3	निधियों की स्थिति [(लाभ)/घाटा]	(2,14,708)	(1,69,067)
4	**निवल आस्ति / (देनदारी)**	**(2,14,708)**	(1,69,067)
III.	**समाप्त वर्ष के दौरान दायित्व में परिवर्तन**		
1	वर्ष के प्रारम्भ में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,55,978	3,54,975
2	वर्तमान सेवा लागत	63,255	4,57,114
3	ब्याज लागत	44,478	28,398
4	निपटान लागत		-
5	पिछली सेवा की लागत		-
6	बीमांकिक लाभ/(हानि)	(1,51,324)	(2,48,934)
7	हितलाभ भुगतान		-
8	**वर्ष के अन्त में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य**	**8,15,035**	**5,55,978**
IV.	**समाप्त वर्ष के दौरान आस्तियों में परिवर्तन**		
1	वर्ष के प्रारम्भ में योजनागत आस्तियां	3,86,911	3,54,769
2	योजनागत आस्तियों से सम्भावित आय	45,980	34,007
3	नियोजक द्वारा अंशदान	1,67,436	33,710
4	वास्तविक भुगतान किये गये हितलाभ	-	-
5	बीमांकिकीय लाभ/(हानि)	-	-
6	वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियां	**6,00,327**	**3,86,911**
7	**योजनागत आस्तियां से वास्तविक रिटर्न**	45,980	34,007

V.	**कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों का ब्रेक अप**		
	इंश्योर प्रबंधित फण्ड	**100%**	
VI.	**बीमांकिकीय पूर्वानुमान**	**31 मार्च 2012 को यथास्थिति**	
1	छूट दर	8.0 % प्रतिवर्ष	
2	योजनागत आस्तियों पर आय की सम्भावित दर	8.0 % प्रतिवर्ष	
3	वेतन की वृद्धि-दर	8 % प्रतिवर्ष	
4	क्षरण दर	1-3%	
5	मृत्यु-दर के अनुमानित आंकड़े जीवन बीमा निगम (1994-96) की सारणी से लिये गये हैं।		

(ख) छुट्टी नगदीकरण

छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान श्री एम. एस. वेंकटरामन्, परामर्शदायी बीमांकक, चेन्नई, 600092 के बीमांकिकीय मूल्यांकन प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है।

9. सम्बन्धित पक्ष – श्री के. एस. कांडासामी, प्रबन्ध निदेशक
   सम्बन्ध – मुख्य प्रबन्धन, कार्मिक
   सम्बन्धित पक्ष का लेन-देन – पारिश्रमिक

	2011-12 रु.	2010-2011 रु.
क) वेतन एवं भत्ते	9,44,600	8,24,624
ख) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	74,894	88,373

10. **विदेश मुद्रा में व्यय**

यात्रा खर्चे	49,284	1,82,954
भागीदारी शुल्क	शून्य	शून्य

11. विदेशी मुद्रा में आय	48,02,722	शून्य
स्थान किराये हेतु अग्रिम	2,00,000	5,75,782

12. ऐसा कोई भी सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं है जिनकी 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार कम्पनी पर 45 दिन से ज्यादा अवधि से बकाया राशि देय हो। सूक्ष्म, लघु और उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दी जाने वाली यह जानकारी कम्पनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान करके निर्धारित की गई है।

13. विविध देनदारों में एक निजी कम्पनी से देय ऋण भी शामिल हैं जिसमें टी एन टी पी ओ के निदेशक, निदेशकों के रूप में हितबद्ध है:

	2011-12	2010-11
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन अर्गनाइजेशन (होल्डिंग कम्पनी)	73,21,166 रु.	68,20,935 रु.
तमिलनाडु इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट कार्पो. (टिडको)	38,35,655	38,35,655

14. विभिन्न पार्टियों की ओर/उनसे बकाया राशि जिसमें प्रतिभूति रहित ऋण, जमा तथा अग्रिम राशियां शामिल हैं, पुष्टि/मिलान तथा/या समायोजन, यदि कोई हो तो, के अधीन हैं।

15. चूंकि यह कम्पनी व्यापार संवर्धन में कार्यरत है, अत: कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग-2 के पैराग्राफ 3 के अनुसार अतिरिक्त जानकारी लागू नहीं होती।

16. लेखाओं के आंकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांक कर के दिखाया गया है।

17. संशोधित अनुसूची-VI के अनुपालन में जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन: निर्धारित एवं पुन: वर्गीकृत किया गया है ताकि वे चालू वर्ष के वर्गीकरण से मेल खा सकें।

(एम. के. एन. कुमार)
प्रबन्धक (लेखा)

(ए. के. खन्ना)
निदेशक

(के. एस. काण्डासामी)
प्रबंध निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स रमन एसोसिएट,
चार्टर्ड लेखाकार

ह./-
(डॉ. ए. पी. विजयेन्द्रन)
साझेदार
सदस्यता सं. 215166
एफ.आर.सं. 02910 एस

स्थान: चेन्नई
दिनांक: 22.08.2012

भाग III - कैश फ्लो विवरण

	ब्यौरा	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति 31.03.2012 को आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति 31.03.2011 को आंकड़े
	1	2	3
I	**कैश इनफ्लो**	**रु.**	**रु.**
(1)	**चालू गतिविधियों से**		
	(क) संचालनात्मक गतिविधियों से लाभ	**18,85,67,949**	14,31,92,900
	समायोजन		
	मूल्यह्रास और परिशोधन	**2,19,70,242**	2,06,34,388
	स्टाक परिशोधन/अनुदान का क्षतिपूर्ति		
	(स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ)/ बट्टे खाते में डाली गयी परिसम्पत्तियां)	**44,343**	1,23,722
	संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान/ (प्रतिलोम)		
	(ख) कार्यशील पूँजी में परिवर्तन		
	वस्तुसूची में कमी		
	ट्रेड रिसीवेबल में कमी		3,87,372
	अल्पावधिक ऋणों एवं अग्रिमों में कमी		
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी		
	ट्रेड पेएबल में वृद्धि		27,18,510
	अन्य चालू देयताओं में वृद्धि	**1,40,96,502**	3,83,23,582
	प्रावधानों में वृद्धि	**1,80,950**	3,83,466
	कुल (1)	**22,48,59,986**	20,57,63,940
(2)	**निवेशात्मक गतिविधियों से**		
	(क) स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	**3,100**	31,800
	(ख) निवेशों की बिक्री से प्राप्ति		
	(ग) अनुषंगी कम्पनियों/एसोसिएट्स/व्यापार से दीर्घावधि ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली		
	(घ) अन्य दीर्घावधि ऋणों एवं अग्रिमों में कमी		
	(ङ) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों में कमी		
	(च) प्राप्त लाभांश		
	(छ) प्राप्त ब्याज	**3,05,93,456**	1,41,00,494
	(ज) अन्य आय		
	कुल (2)	**3,05,96,556**	1,41,32,294
(3)	**वित्त पोषण संबंधी गतिविधियों से**		
	(क) शेयर पूंजी जारी होने से प्राप्ति		
	(ख) लंबित आबंटन वाले शेयर आवेदन पत्रों की राशि		
	(ग) दीर्घावधि ऋणों से प्राप्तियां		
	(घ) अल्पावधि ऋणों से प्राप्तियां		
	कुल (3)	**0**	0
	कुल कैश इनफ्लो (1+2+3)	**25,54,56,542**	21,98,96,234

	ब्यौरा	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति 31.03.2012 को आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति 31.03.2011 को आंकड़े
	1	2	3
II	**कैश आउटफ्लो**		
(1)	**संचालनात्मक गतिविधियों से**		
	(क) संचालनात्मक गतिविधियों से हानि		
	समायोजन		
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**4,71,427**	
	स्टाक का परिशोधन/अनुदान की क्षतिपूर्ति	**45,56,720**	45,56,720
	स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हानि/लाभ		
	ब्याज से आय	**4,34,71,413**	2,10,87,303
	बट्टे खाते डाली गयी परिसम्पत्तियां		
	संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए (प्रावधान) प्रतिलोम		
	(ख) कार्यशील पूँजी में परिवर्तन		
	वस्तुसूचियों में वृद्धि		
	व्यापारिक प्राप्तियों में वृद्धि	**1,85,153**	
	अल्पावधिक ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि	**49,39,893**	33,51,965
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि		
	ट्रेड पेएबल में कमी	**1,52,205**	
	अन्य चालू देयताओं में कमी	**49,87,521**	1,02,88,907
	अल्पकालिक ऋणों में कमी		
	प्रावधानों में कमी		
	(ग) प्रदत्त प्रत्यक्षकर (वापसी का निवल)		
	कुल (1)	**5,87,64,332**	3,92,84,895
(2)	**निवेशात्मक गतिविधियों से-**		
	(क) मूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद/चालू पूंजीगत निर्माण कार्य	**9,02,609**	3,90,30,952
	(ख) अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद विकसित की जा रही परिसम्पत्तियां		
	(ग) निवेशों की खरीद		
	(घ) अनुषंगी कम्पनियों/एसोसिएट्स/व्यापारिक उद्यमों में निवेश		
	(ङ) अनुषंगी कम्पनियों/एसोसिएट्स/व्यापारिक उद्यमों को दीर्घावधि ऋणों / अग्रिमों में वृद्धि		
	(च) अन्य दीर्घावधिक ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि अल्पावधि जमाराशियों में वृद्धि		
	(छ) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि	**20,000**	1,51,000
	कुंल (2)	**9,22,609**	3,91,81,952
(3)	**वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से**		
	(क) दीर्घावधि ऋणों का पुनर्भुगतान		
	(ख) अल्पावधि ऋणों का पुनर्भुगतान		
	(ग) चुकता लाभांश (वितरण कर सहित)		
	(घ) ब्याज एवं अन्य वित्त लागत		
	(ङ) शेयर जारी करने के खर्चे		
	कुल (3)	**0**	0
	कुल कैश आउटफ्लो (1+2+3)	**5,96,86,941**	7,84,66,847

	ब्यौरा	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति 31.03.2012 को आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति 31.03.2011 को आंकड़े
	1	2	3
III	नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल (कमी)/वृद्धि (I-II)	**19,57,69,601**	14,14,29,387
	जोड़ें: अवधि की शुरुआत के समय नकदी एवं नकदी समतुल्य	**39,08,38,272**	24,94,08,885
IV	**अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य**	**58,66,07,873**	**39,08,38,272**

ह./-
(एम. के. एन. कुमार)
प्रबन्धक (लेखा)

ह./-
(ए. के. खन्ना)
निदेशक

ह./-
(के. एस. काण्डासामी)
प्रबंध निदेशक

लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

हमने तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के उपर्युक्त कैश फ्लो विवरण की जांच कर ली है। यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी गणना मानक-3 की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया गया है। यह विवरण कम्पनी के सदस्यों को सौंपी गई 2012 की हमारी रिपोर्ट की परिधि में आने वाले कम्पनी के तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखे के आधार पर तथा उसके अनुरूप है।

कृते मैसर्स रमन एसोसिएट,
चार्टर्ड लेखाकार

ह./-
(डॉ. ए. पी. विजयेन्द्रन)
साझेदार
सदस्यता सं. 215166
एफ.आर.सं. 02910 एस

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य गण
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
चैन्नई

हमने मैसर्स तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के 31 मार्च 2012 को यथास्थिति संलग्न तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के आय एवं व्यय लेखे और कैश-फ्लो विवरण की लेखापरीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में विचार व्यक्त करना है।

हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यत: लागू लेखा-परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। उन मानकों के अनुरूप यह आवश्यक था कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना और क्रियान्वयन इस तरह करें कि हम इस विषय में विवेकसंगत प्रमाणिकता प्राप्त करें कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की मेटीरियल गलतबयानी नहीं की गई हैं। लेखापरीक्षा में जांच के आधार पर परीक्षण, राशि के समर्थन में प्रमाण और वित्तीय विवरण में उसे प्रकट करना शामिल हैं। लेखापरीक्षा प्रक्रिया में उसमें प्रयोग किए गए लेखा सिद्धान्तों का आकलन, प्रबन्धन द्वारा तैयार महत्त्वपूर्ण अनुमानों तथा सम्पूर्ण वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए सही आधार प्रदान करती है।

हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है:

1. इस कम्पनी को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत कार्य करने के लिए लाइसेंस मिला है। तदनुसार कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 के अन्तर्गत प्रकटीकरण लागू नहीं होता।

2. क) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार जो सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे, वे सभी हमने प्राप्त किए हैं।

   ख) जहां तक हमारे द्वारा कम्पनी के खातों की जांच से स्पष्ट होता है, हमारी राय में कम्पनी ने कानूनन अपेक्षित उचित बही-खाते बनाये हैं।

   ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखे और कैश फ्लो विवरण बहीखातों से मेल खाते हैं।

   घ) हमारे विचार से, इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र एवं आय व्यय लेखे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित लेखा गणना मानकों का अनुपालन कर तैयार किये गये हैं।

   ड.) निदेशकों की निरर्हता के बारे में विधि, न्याय एवं कम्पनी मामले मंत्रालय के कम्पनी मामले विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या 2/5/2001-सी एल वी-सामान्य परिपत्र संख्या 8/2002 के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1) (छ) के प्रावधान इस कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कम्पनी है।

   च) हमारे विचार से, हमारी सर्वाधिक जानकारी और हमें दिए गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखे, तत्संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित रूप में कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार आवश्यक जानकारी देते हैं और निम्नलिखित मामलों में भारत में सामान्यत: लागू गणना सिद्धान्तों के अनुरूप सही तथा उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:-

(i) उस पूंजीगत व्यय के लिए प्रमोटरों - आई टी पी ओ और टिडको द्वारा खर्च की गई प्रारम्भिक राशि के बारे में अनुसूची-16 के भाग दो की टिप्पणी 4, जिसे प्रमोटरों द्वारा इस मामले में लम्बित निर्णय एवं अन्तिम निर्णय होने तथा 'असुरक्षित ऋण' के रूप में खाते में गणना की गई है।

(ii) वर्ष के अन्त में विविध पार्टियों की ओर बकाया / उन्हें देय राशियों, जिनमें जमा और अग्रिम राशियां शामिल हैं, जिनकी अभी पुष्टि होनी है, के बारे में अनुसूची-16 के भाग II की टिप्पणी 14

1) 31 मार्च 2012 को यथास्थिति तुलन-पत्र, कम्पनी के कार्यकलापों की स्थिति के बारे में;

2) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखे एवं व्यय से अधिक आय के बारे में तथा ;

3) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के कैश फ्लो संबंधी कैश फ्लो विवरण के मामले में।

कृते मैसर्स रमन एसोसिएट,
चार्टर्ड लेखाकार
एफ.आर.सं. 02910 एस

ह./-
(डॉ. ए. पी. विजयेन्द्रन)
साझेदार
सदस्यता सं. 215166

स्थान: चेन्नई
दिनांक: 22.08.2012

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, चेन्नई के 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखाओं के बारे में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, चेन्नई के 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी कम्पनी के प्रबन्धन की है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक का कार्य अपने व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। ऐसा उनके द्वारा 22.08.2012 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया गया बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से मैंने, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अन्तर्गत 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, चेन्नई के वित्तीय लेखाओं की अनुपूरक लेखा परीक्षा कर ली है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यकारी दस्तावेजों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक तथा कम्पनी के कर्मचारियों से की गयी पूछ-ताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरे द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के दौरान मेरी जानकारी में ऐसी कोई भी महत्त्वपूर्ण बात सामने नहीं आई है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता पड़े अथवा सांविधिक लेखा परीक्षक की अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़े।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह./-
(एस. रजनी)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं
लेखा परीक्षा बोर्ड के भूतपूर्व पदेन सदस्य

स्थान: चेन्नई
दिनांक: 10 अक्टूबर, 2012

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक कम्पनी के 1.04.2011 से 31.3.2012 तक की अवधि के परीक्षित लेखाओं सहित कार्यनिष्पादन की 11वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

परिचालन

कम्पनी के 11वें वित्तीय विवरण में 1.04.2011 से 31.03.2012 तक किए गए लेन-देन में ए.सी. रख-रखाव व्यय, फोन, सुरक्षा और हाउसकीपिंग व्यवस्था, प्रबंधकीय सेवाएं, जल एवं विद्युत खपत प्रभार, प्रबंध निदेशक तथा महाप्रबंधक (विपणन एवं परिचालन) का वेतन तथा अन्य विविध व्यय शामिल हैं। वर्ष के दौरान कुल परिचालन आय गत वर्ष के 3.99 करोड़ रुपये की तुलना में 7.07 करोड़ रुपये रही। वर्ष के दौरान कुल व्यय पिछले वर्ष के 2.50 करोड़ रुपये की तुलना में 4.23 करोड़ रुपये (1.10 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास और केपीटीसीएल को दिए गए 121.23 लाख रुपये सहित) हुआ। कंपनी ने 121.23 लाख रुपये का यह व्यय वर्ष के दौरान केपीटीसीएल द्वारा एचटी पावर लाइनों को उनके टावरों सहित स्थल के बीच से एक किनारे कोने में मेले जाने पर किया ताकि आयोजनों के उपयोग के लिये और अधिक स्थान उपलब्ध हो सके। केपीटीसीएल को 121.23 लाख रुपये का यह भुगतान बोर्ड द्वारा स्वीकृत हो गया है। कम्पनी ने कारपोरेशन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ इण्डिया तथा ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा विजया बैंक में जमा राशि पर 1.43 करोड़ रु. ब्याज कमाया। कम्पनी ने 123.68 लाख रु. के सम्पत्ति कर (पहले के वर्षों के कर सहित) हेतु व्यवस्था की है जो छूट पर पुनर्विचार के अभाव में पिछले पांच वर्ष से लम्बित था तथा कम्पनी ने पिछले वर्ष के 6.00 करोड़ रु. के मुकाबले 2011-12 के दौरान 8.84 करोड़ रुपये का कर-पूर्व संचयी अधिशेष कमाया।

बेहतर कार्य निष्पादन

1.04.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के दौरान कुल 32 मेले/प्रदर्शनियां आयोजित की गईं और उनसे किराए के रूप में पिछले वर्ष 2.61 करोड़ रुपये के मुकाबले 4.66 करोड़ रुपये अर्जित किए गये। केन्द्र की अधिभागिता में भी सुधार हुआ है और पिछले वर्ष के 79 दिन के मुकाबले इस वर्ष में पहली बार 127 दिन की अधिभागिता रही है। वर्ष के दौरान प्रभावशाली कार्य निष्पादन रहा और पिछले वर्ष से 79 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। प्रमुख प्रदर्शनियों में सैप लैब्स इण्डिया प्रा. लि., आदित्य बिड़ला नूवो लि., थाईलैंड ट्रेड आफिस, इण्डियन प्रिंटिड सर्किट एसोसिएशन (एपीसीए), थ्री-डी एंटरटेनमेंट प्रा. लि., वोल्वो इण्डिया प्रा. लि., शोबिज एक्सपेरीमेन्टल कम्युनिकेशन प्रा. लि. तथा अन्य कार्पोरेट वार्षिक दिवस कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

सावधि जमा

कम्पनी ने आम जनता से कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं की है।

निदेशक

वर्ष के दौरान डा. सुवास पाणि, आईएएस; श्रीमती रीता मेनन, आईएएस; श्री राजीव खेर, आईएएस; श्री नीरज कुमार गुप्ता, आईएएस; श्री वी.पी. बालीगर, आईएएस; श्री के. जोतिरामालिंगम, आईएएस; डा. राजकुमार खत्री, आई ए एस; श्री टी शाम भट्ट, आईएएस; श्री महेश्वर राय, आईएएस; श्री ए. के. खन्ना और श्री सुनील कुमार कम्पनी के निदेशक थे तथा श्री एस एम सोन्नड 31 अगस्त 2010 तक प्रबन्ध निदेशक बने रहे। श्री सी. वीरभद्रैया, प्रबंध निदेशक हैं।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

आपके निदेशकगण सदस्यों को यह सूचित करना चाहते हैं कि वर्ष 2011-12 के वित्तीय विवरणों वाले परीक्षित लेखे कम्पनी अधिनियम की अपेक्षाओं के पूर्णत: अनुरूप हैं और उन्हें विश्वास है कि वित्तीय विवरण वर्ष के दौरान किए गए लेन-देन के आकार व स्वरूप को सही तरह से प्रदर्शित करते हैं और कम्पनी की सही वित्तीय स्थिति एवं संचालन परिणाम प्रस्तुत करते हैं। कम्पनी के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों मैसर्स वाईसीआरजे एण्ड एसोसिएट्स, चार्टरित लेखाकार, बंगलौर ने की है।

आपके निदेशक यह भी पुष्टि करते हैं कि:-

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने के लिए लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है।

(ii) लेखाकरण नीतियां सुसंगत ढंग से अपनाई गई हैं और उपयुक्त, विवेकपूर्ण, न्यायसंगत हैं तथा प्राक्कलन इस प्रकार से किए गए हैं कि वित्त वर्ष के अन्त में कम्पनी के कार्यकलापों की सही और स्पष्ट स्थिति दिखाई दे।

(iii) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा उन्हें घपले व अन्य अनियमितताओं से बचाने एवं उनका पता लगाने के लिए इस

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए निदेशकों ने सही एवं उचित सावधानी बरती है।

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे सतत सरोकार (गोइंग कन्सर्न) के आधार पर तैयार किए हैं।

धारा 217(1) (ङ) और धारा 217 (2क) के अन्तर्गत जानकारी

धारा 217(1) (ङ) के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी आत्मसात्करण और ऊर्जा संरक्षण पर देय जानकारी शून्य तथा विदेशी मुद्रा में किये गये व्यय पर देय जानकारी शून्य है। धारा 217 (2) (क) के अन्तर्गत देय जानकारी भी शून्य है क्योंकि कंपनी का कोई भी कर्मचारी 2,00,000 रु. या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है।

सचिवीय अनुपालन प्रमाण पत्र

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 383(क) के परन्तुक के अनुपालन में कंपनी ने कंपनी (अनुपालन प्रमाण पत्र) नियमावली, 2001 में यथानिर्धारित प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव से 2011-12 का सचिवीय अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ जोड़ दिया गया है।

लेखा परीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 22(8) (क क) के साथ पठित धारा 619 के अनुसार लेखा परीक्षकों का मानदेय वार्षिक आम बैठक में तय किया जाना है जो 30.09.2012 को या इससे पहले आयोजित की जानी है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक तथा लेखा परीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य द्वारा दिनांक 14.08.2012 के अपने पत्र सं. पीसीडीए/ए/सी/डेस्क 2011-12/1.51/278 में शून्य टिप्पणियां की गयी हैं जो निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न की गई हैं।

आभार

आपके निदेशक कम्पनी को दिए गए समर्थन एवं सहयोग के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, कर्नाटक सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, के आई ए डी बी तथा आई टी पी ओ/के टी पी ओ के अधिकारियों / कर्मचारियों के अथक प्रयासों के लिए तथा पदमुक्त हुए अध्यक्षों एवं निदेशकों द्वारा कम्पनी को दिए गये सहयोग एवं सहायता के लिए उनका धन्यवाद तथा आभार व्यक्त करते हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./-
(श्रीमती रीता मेनन)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक 24.08.2012

अनुपालन प्रमाण-पत्र

सदस्य गण,

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

(धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी)

प्लाट नं. 121, ई पी आई पी इण्डस्ट्रियल एरिया

व्हाइटफील्ड

बंगलौर-560066

कम्पनी अधिनियम 1956 (यथासंशोधित) की धारा 383-क के परन्तुक के अुनसार सचिवीय अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि:-

(क) कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार, कर्नाटक द्वारा दिनांक 06.12.2002 को जारी निगमन प्रमाणपत्र संख्या 08/28328 द्वारा किया गया है। यह कम्पनी धारा 25 के अन्तर्गत गठित है और इसे क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी कार्य विभाग, चैन्नई से दिनांक 23.10.2000 को लाइसेंस संख्या 2/बी 8008/2000 मिला है।

(ख) मैंने कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के 01.04.2011 से 31.03.2012 तक के रिकार्डों की जांच कर ली है तथा मैं प्रमाणित करता हूं कि कम्पनी ने उपरोक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का सही ढंग से पालन किया है।

(ग) कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 50,00,000 रुपये (पचास लाख रुपये) थी जिसे 1000 रुपये (एक हजार रुपये) प्रति शेयर मूल्य के 5,000 (पांच हजार) इक्विटी शेयरों में बांटा गया है। इसे दिनांक 31.03.2004 को हुई असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में बढ़ाकर 20,00,00,000 रु. (बीस करोड़ रु.) कर दिया है जिसे 1000 रुपये (एक हजार रुपये) प्रति शेयर मूल्य के 2,00,000 (दो लाख) इक्विटी शेयरों में बांट दिया गया है। कम्पनी के पास 50,00,000 रुपये (पचास लाख रुपये) की जारी, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी है जिसे 1000 रुपये (एक हजार रुपये) प्रति शेयर मूल्य के 5,000 (पांच हजार) इक्विटी शेयरों में बांटा गया है। समस्त शेयर पूंजी **इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** (भारत सरकार का उपक्रम) और **कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड** (कर्नाटक सरकार का उपक्रम) के पास है।

मैंने **कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** (कम्पनी) के दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के रजिस्टरों, रिकार्डों, लेखाबहियों और कागजों की जांच कर ली है जो कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाये गये कम्पनी के ज्ञापन एवं अन्तर्नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित हैं।

मेरे विचार से एवं मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मेरे द्वारा की गई जांच के अनुसार और कम्पनी, इसके अधिकारियों एवं एजेन्टों द्वारा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार पूर्वोक्त वित्त वर्ष के सम्बन्ध में, मैं प्रमाणित करता हूं कि:-

01. रजिस्टरों का रख-रखाव

कम्पनी ने वे सभी रजिस्टर तैयार किये हुए हैं जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत किसी लिमिटेड कम्पनी को रखने होते हैं।

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन एससीसी 2011-12

सांविधिक रजिस्टर

क्र.सं.	रजिस्टर का नाम	संबंधित धारा	टिप्पणी
01.	ऐसे शेयरों अथवा प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों का रजिस्टर जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं।	49(7) और (8)	तैयार किया गया है। कम्पनी ने शेयरों या प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं किया है, इसीलिए कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।
02.	जमा राशियों का रजिस्टर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय में फाइल की गयी जमा राशियों की रिटर्न	58 ए कम्पनी स्वीकृति जमा नियमावली 1975	तैयार किया गया है। इस रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई क्योंकि कम्पनी ने कोई भी सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है।
03.	शेयरों की पुन: खरीद का रजिस्टर	77 ए	तैयार किया गया है। कोई प्रविष्टि नहीं की गई क्योंकि शेयरों की पुन: खरीद नहीं की गई है।
04.	विभेदक अधिकारों वाले शेयरधारकों का रजिस्टर तथा विभेदक अधिकारों वाले सदस्यों की सूची	86 और विभेदक वोटिंग अधिकार नियमावली 2001 सहित शेयर प्रमाणपत्र के कम्पनी इश्यू	कम्पनी के पास विभेदक अधिकारों वाले कोई शेयर नहीं है।
05.	प्रभारों, जिनके पंजीकरण की आवश्यकता हो, का सृजन करने वाले प्रत्येक लिखत की प्रति	136	कम्पनी ने किसी भी प्रभार का सृजन नहीं किया है।
06.	बनाये गये प्रभारों का रजिस्टर – प्रभारों का सृजन करने वाले लिखतों की प्रतियां	143(1)	तैयार किया गया है। ऊपर क्रम संख्या 05 की टिप्पणी को देखते हुए रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है।
07.	सदस्यों का रजिस्टर	150(1)	तैयार किया गया है। इस रजिस्टर में उचित और आवश्यक प्रविष्टियां की गई हैं।
08.	सदस्यों की सूची का रजिस्टर, यदि वे पचास से अधिक हों	151(1)	तैयार किया गया है।
09.	डिबेंचर धारकों का रजिस्टर	152(1)	तैयार किया गया है। कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया, अत: कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।
10.	कम्पनी के डिबेंचरधारकों की सूची का रजिस्टर, यदि कम्पनी के डिबेंचरधारकों की संख्या पचास से अधिक हो।	152(2)	कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किये हैं। अत: यह रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है।

क्र.सं.	रजिस्टर का नाम	संबंधित धारा	टिप्पणी
11.	डिपोजिटरी द्वारा बनाये गए लाभप्रद मालिकों/सदस्यों और डिबेंचरधारकों की सूची और रजिस्टर	152 ए	कम्पनी ने डिमेट फार्म के अंतर्गत कोई भी शेयर जारी नहीं किये हैं।
12.	विदेशी सदस्यों और डिबेंचरधारकों का रजिस्टर	157(1) 158	कम्पनी ने विदेशी सदस्यों का रजिस्टर नहीं बनाया है क्योंकि इसका कोई भी सदस्य विदेशी नहीं है।
13.	धारा 159 / 160 के तहत तैयार वार्षिक रिटर्नों की प्रतियां तथा धारा 160 और 161 के तहत उसके साथ आवश्यक अनुलग्नक प्रमाणपत्रों और कागजातों की प्रतियां	163(1)	तैयार की गयी हैं।
14.	निदेशक मंडल और समितियों की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तकें	193(1)	तैयार की गयी हैं। अद्यतन प्रविष्टियां की गई हैं।
15.	आम बैठक की कार्यवाही की कार्यवृत्त पुस्तकें	193(1) 196(1)	कम्पनी ने आम बैठकों के कार्यवृत्त रजिस्टर रूप में रखे हैं।
16.	लेखे और अन्य लागत रिकार्डों आदि की बहियां	209(1)	तैयार किए गए हैं। अधिनियम में कम्पनी के व्यापार के संबंध में कोई लागत लेखा परीक्षा निर्धारित नहीं की गयी है।
17.	उन निदेशकों, कम्पनियों एवं फर्मों के साथ किये गये करारों का रजिस्टर जिनमें निदेशकों के हितबद्ध हैं।	301(1)/(5)	कम्पनी ने धारा 297/299 के अन्तर्गत आने वाला कोई करार नहीं किया है, अत: कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।
18.	प्रबन्ध निदेशकों, प्रबन्धक, सचिव और निदेशकों का रजिस्टर	303(1)/304(1)	तैयार किया गया है।
19.	निदेशकों की शेयरधारिताओं का रजिस्टर	307(1)/(5)	तैयार किया गया है।
20.	निवेशों अथवा ऋणों का रजिस्टर	372क	तैयार किया गया है।
21.	रजिस्टरों एवं रिटर्नों को रखने तथा निरीक्षण करने का स्थान	163	रजिस्टर इसके पंजीकृत कार्यालय- प्लाट नं. 121, ई पी आई पी, इण्डस्ट्रियल एरिया, व्हाइटफील्ड, बेंगलूरू-560066 में रखे गए हैं।

गैर-सांविधिक रजिस्टर

क्र.सं.	रजिस्टर का नाम	संबंधित धारा	टिप्पणी
01.	निदेशकों की उपस्थिति का रजिस्टर	तालिका (क) के 71 के विषय में	बैठकों में उपस्थित निदेशकों के हस्ताक्षर रजिस्टर में लिए गए हैं।
02.	शेयर हस्तान्तरणों का रजिस्टर		तैयार किया गया है।
03.	डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्रों का रजिस्टर	शेयर प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी नियमावली 1960 का नियम 7	कम्पनी ने कोई डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है।
04.	शेयर आवेदन एवं आबंटन पुस्तिका	धारा 75	तैयार की गयी है।
05.	शेयर वारण्ट		कम्पनी ने कोई शेयर वारण्ट जारी नहीं किया है।
06.	हितभागी ब्याज का रजिस्टर	187(ग)	यह कम्पनी सरकारी कम्पनी होने के कारण इस पर लागू नहीं होता।
07.	इच्छापत्र प्रमाण, प्रशासन पत्र एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्रों आदि जैसे विधिक अभ्यावेदनों का रजिस्टर		ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया इसीलिए तैयार नहीं किया गया है।
08.	स्थायी परिसंपत्तियों का रजिस्टर	सी ए आर ओ	तैयार किया गया है।

02. विवरणियां दाखिल करना

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने वे विवरणियां और फार्म जमा किये हैं। जो विभिन्न धाराओं के अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराने होते हैं।

03. पूंजी की पर्याप्तता एवं सदस्यों की न्यूनतम संख्या - धारा 3(1)

लागू नहीं होता।

04. निदेशक मण्डल की बैठकें - धारा 285, 286, 287, 288 और 289

कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम की धारा 285, 286, 287, 288 एवं 289 के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष (01.04.2011-31.03.2012) के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठकें निम्नलिखित प्रकार से हुई :-

क्र.सं.	दिनांक	वर्ष में की गयी बैठकों की संख्या
01	18.05.2011	दो बैठकें
02	29.02.2012	

टिप्पणी: कम्पनी धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी है तथा दिनांक 01.07.1961 की अधिसूचना संख्या का. आ.-1578 के अनुसार, कम्पनी छः महीने में एक बार निदेशक मण्डल की बैठक कर सकती है, क्योंकि धारा 285 कम्पनी पर लागू नहीं होती।

05. सदस्यों के रजिस्टर को बन्द करना : धारा 154

कम्पनी ने प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान सदस्यों का रजिस्टर बन्द नहीं किया है।

06. वार्षिक आम बैठकें: धारा 166, 171, 172(1) (2) और (3) तथा 210

कम्पनी ने दिनांक 28.09.2010 की अपनी वार्षिक आम बैठक, अपने पंजीकृत कार्यालय में की तथा कम्पनी अधिनियम की धारा 166 और 210 के वार्षिक आम बैठक करने संबंधी प्रावधानों का पालन किया है।

07. असाधारण आम बैठकें : धारा 169

वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई असाधारण आम बैठक नहीं की।

08. निदेशकों को ऋण : धारा 295

कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

09. ऐसे करार जिनमें निदेशकों के हितबद्ध हों : धारा 297

कम्पनी ने ऐसा कोई करार नहीं किया जिसमें निदेशकों के हितबद्ध हों और जो धारा 297 के तहत आता हो।

10. करारों के रजिस्टर का रख-रखाव : धारा 301

रजिस्टर तैयार किया गया है लेकिन कोई प्रविष्टि नहीं की गई है क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें धारा 297 की उप-धारा (1) एवं (3) लागू होती हो (अधिसूचना संख्या का. आ. 1578 दिनांक 01.07.1961)।

11. अनुमोदन : धारा 314

कम्पनी पर धारा 314 के अन्तर्गत प्रस्ताव पारित करना या अनुमोदन लेना लागू नहीं होता क्योंकि कोई भी निदेशक या निदेशक का रिश्तेदार कार्यालय में अथवा लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है।

12. डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना : कम्पनी (शेयर प्रमाण पत्र जारी करना) नियमावली 1960

कम्पनी ने किसी प्रकार का डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है।

13. (क) शेयर प्रमाणपत्रों का वितरण : धारा 113

वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयरों का आबंटन नहीं किया।

(ख) लाभांश राशि जमा करना, लाभांश अधिपत्रों की पोस्टिंग, अप्रदत्त लाभांश का निवेशकों की शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरण: धारा 205

धारा 25 कम्पनी होने के नाते यह कम्पनी लाभ की राशि न तो बाँट सकती है और न ही लाभांश की घोषणा कर सकती है और इसलिए इस नियम के अनुपालनार्थ रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

(ग) निदेशकों की रिपोर्ट के सम्बन्ध में धारा 217 की अपेक्षाएं पूरी करना : धारा 217

वर्ष के दौरान कम्पनी ने वर्ष 2010-11 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट सम्बन्धी धारा 217 के प्रावधानों का पालन किया है।

14. निदेशकों की नियुक्ति - संस्था के अन्तर्नियम : धारा 252

प्रतिवेदन से संबंधित वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति तथा कार्यकाल समाप्त हुए परिवर्तन इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख	कार्यकाल समाप्ति की तारीख	डीआईएन सं./टिप्पणी
01.	सुश्री रीता मेनन अध्यक्ष	03.01.2012	-	00543058
02.	डा. राजकुमार खत्री	10.01.2012	-	00540983
03.	श्री के. ज्योतिरामालिंगम	20.05.2011	-	01869270
04.	श्री एम. महेश्वर राव	19.11.2011	-	00324069
05.	श्री नीरज कुमार गुप्ता	05.02.2009	-	02973442
06.	श्री सी. वीरभद्रैय्या प्रबंध निदेशक	08.02.2011	-	03444193
07.	श्री ए. के. खन्ना	16.01.2008	-	02937485
08.	श्री सुनील कुमार शर्मा	03.02.2012	-	05210126
09.	श्री राजीव खेर	10.08.2011	30.01.2012	01192524
10.	श्री एम. बी. दयाबेरी	17.03.2012	-	02474471

15. प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, प्रबन्धक की नियुक्ति : संस्था के अन्तर्नियम

प्रबन्ध निदेशक पद पर 8.02.2011 से श्री सी. वीरभद्रैय्या की नियुक्ति की गयी है। वह प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं।

16. सोल सैलिंग एजेन्टों की नियुक्ति : धारा 294(क)

कम्पनी ने सैलिंग एजेन्टों की नियुक्ति नहीं की है।

17. विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित स्वीकृति

ऐसा कोई मामला नहीं था जिसके लिए विभिन्न प्राधिकरणों से स्वीकृति अपेक्षित हो।

18. निदेशकों द्वारा ब्याज की घोषणा : धारा 299

चूंकि यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत गठित है, अत: निदेशकों द्वारा ब्याज की घोषणा से संबंधित धारा 299 के प्रावधान केवल उन्हीं मामलों में लागू होते हैं जिनमें अधिसूचना संख्या एस ओ / 1578 / 01.07.1969 के अनुसार धारा 297 की

उपधारा (1) और (3) लागू होती है। कम्पनी ने ऐसी कोई संविदा नहीं की है जो धारा 297 या उपधारा (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत आती हो। इसलिए धारा 299 के तहत निदेशकों द्वारा घोषणा का प्रश्न ही नहीं उठता।

19. वित्त वर्ष के दौरान जारी शेयर प्रमाणपत्र, डिबेन्चर और अन्य प्रतिभूतियां : धारा 113

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई भी इक्विटी शेयर आबंटित नहीं किया।

20. शेयरों की पुन:खरीद : धारा 77(क)

कम्पनी ने प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान किसी भी शेयर की पुन: खरीद नहीं की है।

21. **अधिमानी शेयरों एवं डिबेंचरों का रिडम्पशनः धारा 81**

कम्पनी ने अधिमानी शेयर जारी नहीं किए हैं। अतः इन मदों के बारे में रिर्पोटिंग का प्रश्न ही नहीं उठता।

22. **ट्रांसफरों के पंजीकरण होने तक लाभांश, राइट शेयरों, बोनस शेयरों को आस्थगित रखना : धारा 206 (क)**

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला या अवसर नहीं आया।

23. **जमा राशि लेनाः कम्पनी (जमा राशि लेने के नियम) 1960 के साथ पढ़ी गयी धारा 58(क)**

कम्पनी ने आम जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है।

24. **कम्पनी द्वारा उधार लिया जाना : धारा 292 और 293 (1)(घ)**

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से उधार नहीं लिया।

25. **अंतर निगम ऋण एवं निवेश : धारा 372(क)**

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 372 क के तहत कोई अंतर निगम ऋण नहीं लिया और न ही निवेश किया है।

26. **ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेण्डम : पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने के संबंध में : धारा 17**

वर्ष के दौरान कम्पनी ने मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के खण्ड-2 से सम्बन्धित अपने मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

27. **मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के उद्देश्य खण्ड में परिवर्तन : धारा 17**

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने उद्देश्यों में कोई संशोधन नहीं किया है।

28. **कम्पनी के नाम में परिवर्तन : धारा 21**

वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपना नाम नहीं बदला।

29. **शेयर पूंजी में परिवर्तन : धारा 94**

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपनी प्राधिकृत पूंजी में कोई वृद्धि नहीं की है।

30. **संस्था के अन्तर्नियमों में परिवर्तन : धारा 31**

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने संस्था के अन्तर्नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया।

31. **अभियोजन, जुर्माना और अर्थदण्ड**

कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी पर न तो कोई अभियोजन लगाया गया और न ही कम्पनी ने किसी जुर्माने या अर्थदण्ड का भुगतान किया।

32. **कर्मचारी प्रतिभूतियां : धारा 417**

कम्पनी ने कर्मचारियों से कोई प्रतिभूति प्राप्त नहीं की।

33. **भविष्य निधि की राशि जमा करना : धारा 418**

कम्पनी में भविष्य निधि योजना लागू नहीं होती है।

34. सामान्य

यह प्रमाण-पत्र हमारे द्वारा उठाये गये प्रश्नों के स्पष्टीकरणों तथा रिकार्डों के साक्ष्यांकन के समय सुलभ करायी गयी सूचना तथा साक्ष्यांकन हेतु दिये गये कागजात, फाइलों, बहीखातों, रजिस्टरों एवं अन्य प्रासंगिक कागजात के आधार पर जारी किया गया है।

कृते एम. आर. गोपीनाथ
कम्पनी सचिव

ह./-
(एम. आर. गोपीनाथ)
एफ सी एस 3812 / सी पी 1030

स्थान: बंगलौर
दिनांक: 13.06.2012

अनुबंध-क

धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी

कम्पनी द्वारा बनाए गये रजिस्टर

क्र.सं.	रजिस्टर का नाम	धारा
01.	निवेशों का रजिस्टर ऐसे शेयरों या प्रतिभूतियों में निवेश का रजिस्टर जो कम्पनी के नाम पर आहरित नहीं है।	49(7) और (8) 49
02.	जमा राशियों का रजिस्टर कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फाइल की गई जमा राशियों की रिटर्नें	58क कम्पनियों द्वारा जमा की स्वीकृति सम्बन्धी नियमावली 1975
03.	शेयरों की पुन: खरीद का रजिस्टर	77 क
04.	विभेदक अधिकारों वाले शेयरधारकों का रजिस्टर तथा विभेदक अधिकारों वाले सदस्यों की सूची	86 तथा कम्पनी द्वारा विभेदक वोटिंग अधिकारों वाले शेयर प्रमाणपत्र जारी करने सम्बन्धी नियमावली 2001
05.	ऐसी प्रत्येक लिखत की प्रति जो प्रभारों का सृजन करने वाली हो तथा जिनका पंजीकरण अपेक्षित हो	136
06.	प्रभारों का रजिस्टर - प्रभारों का सृजन करने वाले लिखतों की प्रतियां	143(1)
07.	सदस्यों का रजिस्टर	150(1)
08.	धारा 159/160 के तहत तैयार वार्षिक विवरणियों की प्रतियां तथा धारा 160 और 161 के तहत उसके साथ अपेक्षित अनुलग्नक प्रमाणपत्रों और कागजातों की प्रतियां	163(1)
09.	निदेशक मंडल और समितियों की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तकें	193(1)
10.	आम बैठक की कार्यवाहियों की कार्यवृत्त पुस्तकें	193(1) और 196(1)
11.	बही खाते और अन्य लागत रिकार्ड	209(1)
12.	निदेशकों और ऐसी कम्पनियों एवं फर्मों के साथ किये गये करारों का रजिस्टर जिनमें निदेशक हितबद्ध हैं।	301(1)/(5)

13.	प्रबन्ध निदेशकों, प्रबन्धक, सचिव और निदेशकों का रजिस्टर	303(1)/304(1)
14.	निदेशकों की शेयरधारिताओं का रजिस्टर	307(1)/(5)
15.	किए गए निवेशों या ऋणों का रजिस्टर	372 क

P, 30

01.04.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के लिए कम्पनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास जमा किए गए फार्म एवं रिटर्नें:

क्र.सं.	**दिनांक**	**फार्म**	**एस आर एन नं.**
01.	15.04.2011	फार्म 21क	पी 66985243
02.	15.09.2011	फार्म सं. 23 ए सी 2010-11	पी 70411871
03.	15.09.2011	फार्म सं. 66-2010-11	पी 70412358
04.	07.10.2011	फार्म सं. 21 2010-11	पी 71794804
05.	08.11.2011	फार्म सं. 32-राजीव-एपीपी	बी 24343691
06.	17.11.2011	फार्म सं. 32	बी 25049891
07.	17.11.2011	फार्म सं. 32	बी 25050428
08.	16.01.2012	फार्म सं. 32	बी 29739711
09.	17.01.2012	फार्म सं. 32	बी 29807831
10.	17.01.2012	फार्म सं. 32	बी 29812948
11.	17.01.2012	फार्म सं. 32	बी 29813516
12.	03.02.2012	फार्म सं. 32 राजी सी. सैस	बी 31083140
13.	03.02.2012	फार्म सं. 32 सोन्नाड सैस	बी 31083520
14.	03.02.2012	फार्म सं. 32 तुषार सैस	बी 31084098
15.	23.02.2012	डिन 1-सुनील कुमार शर्मा	बी 32713075
16.	14.03.2012	डिन 4-सी. वीरभद्रैय्या	बी 34306779
17.	19.03.2012	फार्म सं. 32 सुनील कुमार का एप्वायन्टमेंट	बी 34753129

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष

शून्य

केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों के समक्ष

शून्य

31.3.2012 को यथास्थिति तुलन पत्र

(राशि रूपये में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.3.2012 को यथास्थिति	31.3.2012 को यथास्थिति
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों के फंड			
(क) **शेयर पूंजी**	3	50,00,000.00	50,00,000.00
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	4	8,84,35,279.48	6,00,22,852.79
(2) आंवटन होने तक शेयर आवेदन राशि	5	9,94,50,000.00	9,94,50,000.00
(3) गैर चालू देयताएं			
दीर्घावधि ऋण	6	7,73,76,949.97	7,46,85,087.97
(4) चालू देयताएं			
(क) अन्य चालू देयताएं	7	2,37,33,973.87	1,85,30,968.97
(ख) अल्पावधि प्रावधान	8	1,40,312.00	86,832.00
कुल		**29,41,36,515.32**	**25,77,75,741.73**
II. परिसम्पत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसम्पत्तियां			
चालू परिसम्पत्तियां			
मूर्त परिसम्पत्तियां	9	9,48,01,731.24	10,26,39,589.24
(2) चालू परिसम्पत्तियां			
(क) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10	17,90,14,018.36	13,14,85,180.45
(ख) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	11	1,12,74,169.95	1,90,50,142.00
(ग) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	12	90,46,595.77	46,00,830.04
कुल		**29,41,36,515.32**	**25,77,75,741.73**
टिप्पणी सं. 1 से 27 तक (लेखा गणना नीतियों सहित) वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।			

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./–
(सी. वीरभद्रैया)
प्रबंध निदेशक

ह./–
(एम. महेश्वर राव, आई ए.एस)
निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते वाई सी आर जे ऐण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड लेखाकार
(पंजीकरण संख्या 006927एस)

ह./–
(यशवंत खण्डेरी)
साझीदार
सदस्यता संख्या 029066

स्थान: बंगलौर
दिनांक: 21/6/2012

31-3-2012 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

(राशि – रूपये में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू परिचालनों से			
आय			
1. परिचालनों से राजस्व	13	5,63,90,360.00	3,09,01,671.00
2. अन्य आय	14	1,43,25,682.84	90,17,884.04
3. कुल राजस्व (1+2)		**7,07,16,042.84**	**3,99,19,555.04**
4. व्यय			
कर्मचारी कल्याण व्यय	15	14,71,743.00	9,63,447.00
वित्त लागत	16	9,714.00	14,976.00
मूल्यह्रास	9	1,09,86,998.00	1,18,17,272.00
अन्य व्यय	17	2,98,35,161.15	1,22,67,451.00
कुल व्यय		**4,23,03,616.15**	**2,50,63,146.00**
5. व्यय से अधिक आय (3-4)		**2,84,12,426.69**	**1,48,56,409.04**
6. कर संबंधी व्यय			
1) चालू कर		-	-
2) आस्थगित कर		-	-
7. अवधि के लिए आय (5-6)		**2,84,12,426.69**	**1,48,56,409.04**
प्रति इक्वटी शेयर आय			
1) मूल भूत		**5,682.49**	**2,971.28**
2) कम की गई		**272.02**	**142.23**

टिप्पणी सं. 1 से 27 तक (लेखा गणना नीतियों सहित) वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./-
(सी. वीरभद्रैया)
प्रबंध निदेशक

ह./-
(एम. महेश्वर राव, आई ए.एस)
निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते वाई सी आर जे ऐण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड लेखाकार
(पंजीकरण संख्या 006927एस)

ह./-
(यशवंत खण्डेरी)
साझीदार
सदस्यता संख्या 029066

स्थानः बंगलौर
दिनांक: 21/6/2012

31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. कम्पनी की प्रोफाइल

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन तथा कर्नाटक सरकार (के आई ए डी वी के माध्यम से) भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की संयुक्त उद्यम परियोजना है जो कम्पनी अधिनियम, धारा 25 के अन्तर्गत 6 दिसम्बर, 2000 को निगमित कंपनी है। इस संयुक्त उद्यम कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 20.00 करोड़ रुपये हैं जिसमें आई टी पी ओ का और के आई ए डी वी के माध्यम से कर्नाटक सरकार का क्रमश: 51 और 49 प्रतिशत हिस्सा है।

इस कम्पनी का मुख्य कार्य राष्ट्रीय / अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, सेमिनारों का आयोजन करना / करने में सहायता करना है ताकि उसके द्वारा क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करने के लिये संवर्धन सृजन मंच प्रदान किया जा सके और कर्नाटक के स्थानीय उद्योगों की निर्यात संभावना को बढ़ाने के लिए एम एस एम ई के लिये प्रौद्योगिकी अन्तरण किया जा सके।

धारा 25 के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने के नाते, केटीपीओ द्वारा सृजित अधिशेष पूरी तरह प्रदर्शनी हालों के रखरखाव और मरम्मत तथा उनसे संबंधित सुविधाओं पर तथा उसे संयुक्त उद्यम परियोजना में पुनर्निवेश करके बेहतर सेवा प्रदान करने और व्यापार करने एवं प्रदर्शनियों के आयोजन के लिये विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने के लिए उपयोग कर लिया जाता है।

2. महत्त्वपूर्ण लेखा-गणना नीतियों का विवरण

(क) लेखा-गणना का आधार

(i) वित्तीय ब्यौरे प्रचलित गोइंग कंसर्न के आधार पर ऐतिहासिक लागत विधि से तथा लागू लेखा-गणना मानकों के आधार पर तैयार किये गये हैं। कम्पनी लेखा-गणना की मर्केन्टाइल पद्धति अपनाती है और आय एवं व्यय की गणना अक्रुअल आधार पर करती है।

(ii) लेखा-गणना नीतियां, जिनका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, सामान्यत: स्वीकार्य लेखा-गणना सिद्धान्तों के अनुकूल हैं। कम्पनी अधिनियम 1956 के लागू होने संबंधी उपबंध कम्पनी (लेखा गणना मानक) नियमावली, 2006 के अन्तर्गत निहित लेखा गणना मानकों के अनुसरण में अधिसूचित किये जाते हैं।

(ख) स्थायी परिसम्पत्तियां

(i) स्थायी परिसम्पत्तियां वास्तविक लागत अथवा निर्माण लागत में से मूल्यह्रास/परिशोधन घटाकर दिखाई गई हैं।

(ग) मूल्यह्रास/परिशोधन

(i) कम्पनी स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची-14 में विनिर्दिष्ट दरों पर रिटर्न डाउन वैल्यू प्रविधि से लागू करती है।

(ii) स्थायी परिसम्पत्तियों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास उसकी प्राप्ति/निपटान की तिथि से यथानुपात आधार पर प्रदान किया जा रहा है।

(घ) परिसम्पत्तियों की क्षति

कम्पनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को यह मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि कोई परिसम्पत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो कम्पनी उस परिसम्पत्ति से प्राप्त होने योग्य राशि का अनुमान लगाती है यदि परिसम्पत्ति से प्राप्त होने वाली ऐसी राशि या नकद पैदा करने वाली ऐसी इकाई से प्राप्त होने वाली राशि जिससे वह परिसम्पत्ति संबंधित है। उसके वर्तमान मूल्य से कम है तो प्राप्त होने वाली राशि से वह वर्तमान मूल्य की राशि घटा दी जाती है। यह घटाई गई राशि क्षति से हुई हानि मानी जाती है और लाभ-हानि लेखे में उसे मान्यता दी जाती है। यदि तुलन-पत्र की तारीख को ऐसा कोई संकेत है कि यदि पहले निर्धारित क्षति का इस समय विद्यमान नहीं है तो प्राप्त होने योग्य राशि का फिर से निर्धारण किया जाता है और उस परिसम्पत्ति को प्राप्त होने योग्य मूल्य पर दर्शाया जाता है। परन्तु वर्ष के दौरान किसी भी परिसम्पत्ति को ऐसी कोई क्षति नहीं हुई।

(ङ) आय का अभिज्ञान

(i) लाइसेंस शुल्क की गणना प्रदर्शनी सम्पन्न होने के बाद की जाती है।

(ii) अन्य आय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

(च) व्यय

(क) सभी प्रकार के व्ययों की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

(छ) सेवानिवृत्ति लाभों का प्रतिपादन

(i) भविष्य निधि योजना के लिए कम्पनी का अंशदान, संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से अक्रुअल आधार पर आय एवं व्यय लेखे में लिया जाता है।

(ii) छुट्टी के वेतन तथा ग्रेच्युटी के लिए संगठन पर कोई देनदारी नहीं है। अतः कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ज) आयकर

कंपनी आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत मिली छूट को देखते हुए उपबंध, यदि कोई हो तो, किये जायेंगे।

(झ) आकस्मिक देयताएं

जो देयताएं मेटीरियल हैं एवं जिनके भावी परिणाम का उपयुक्त निश्चितता के साथ पता नहीं लगाया जा सकता, उन्हें आकस्मिक माना गया है और लेखाओं की टिप्पणियों में बताया गया है।

(ञ) विविध व्यय

प्रारंभिक एवं संचालन-पूर्व व्यय, जिस वर्ष में वे व्यय किये गये हैं, उस वर्ष से शुरू करके पांच वर्ष की अवधि में समान रूप से परिशोधित किए गये हैं।

3. शेयर पूँजी

	31 मार्च 2012 (रुपयों में)	31 मार्च 2011 (रुपयों में)
अधिकृत शेयर		
प्रत्येक एक हजार रुपये मूल्य के 2,00,000 इक्विटी शेयर जारी किये गये हैं।	20,00,00,000.00	20,00,00,000.00
अभिदत्त और पूर्णतया प्रदत्त शेयर प्रत्येक 1000 रु. मूल्य के पूर्णतया प्रदत्त 5000 इक्विटी शेयर	50,00,000.00	50,00,000.00

(क) प्रतिवेदनाधीन अवधि के आरम्भ में और समाप्ति पर बकाया शेयरों का निपटान

	31 मार्च 2012		31 मार्च 2011	
	संख्या	रुपयों में	संख्या	रुपयों में
इक्विटी शेयर				
अवधि के आरम्भ में	5000	50,00,000.00	5000	50,00,000.00
अवधि के दौरान जारी किए गये,	–	–	–	–
अवधि के अंत में बकाया	5000	50,00,000.00	5000	50,00,000.00

(ख) इक्विटी शेयरों के साथ जुड़ी शर्तें/अधिकार

कम्पनी में प्रति शेयर 1000 रुपये की सममूल्य वाले केवल एक ही प्रकार के इक्विटी शेयर हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारी के प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है।

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 को धारा 25 की उपधारा 1 के खण्ड-क के अन्तर्गत अपने आप की सीमित देयता के साथ पंजीकृत कराया। उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 1 के खण्ड ख के अनुसार इसके लाभ की राशि यदि कोई हो अथवा अन्य आय को इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाएगी और इस लाभ की राशि में से इसके सदस्यों को किसी भी प्रकार के लाभांश की अदायगी करना मना है।

यदि कम्पनी बंद करने या उसे विघटित करने के समय उसके सभी ऋणों और देनदारियों का भुगतान करने के बाद और सरकार की कुल पूंजी लौटाने के बाद यदि कोई राशि या सम्पत्ति जो भी हो, बचती है तो उसे कम्पनी के सदस्यों में वितरित नहीं किया जायेगा बल्कि उसे इसके जैसे उद्देश्यों वाली किसी अन्य कम्पनी को दे दिया जायेगा या अन्तरित किया जायेगा जिसका निर्णय कम्पनी के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

(ग) धारक / अंतिमधारक कम्पनी और / या उनकी अनुषंगी कम्पनियों / एसोसिएटों द्वारा धारित शेयर

	31 मार्च 2012 (रुपयों में)	31 मार्च 2011 (रुपयों में)
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाजेशन धारक कम्पनी प्रत्येक 1000 रुपये मूल्य के पूर्णतया प्रदत्त 2550 इक्विटी शेयर [31.3.2012 को प्रत्येक 1000 रुपये मूल्य के पूर्णतया प्रदत्त 2550 इक्विटी शेयर]	25,50,000.00	25,50,000.00

(घ) कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर वाले शेयर धारियों का व्यौरा

	31 मार्च 2012 (रुपयों में)		31 मार्च 2011 (रुपयों में)	
	संख्या	धारिता प्रतिशत	संख्या	धारिता प्रतिशत
प्रत्येक 1000 रुपये के पूर्णतया प्रदत्त इक्विटी शेयर				
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन, धारक-कम्पनी	2550	51%	2550	51%
कर्नाटक इण्डस्ट्रियल एरिया डैवलपमेंट बोर्ड-सहप्रवर्तक	2450	49%	2450	49%

(ङ) संयुक्त उद्यम के भागीदारों को आबंटन के लिये आरक्षित शेयर (कृपया देखें टिप्पणी सं. 5)

4. आरक्षित और अधिशेष

	31 मार्च 2012 (रुपयों में)	31 मार्च 2011 (रुपयों में)
आय-व्यय लेखा में अधिशेष पिछले वित्तीय विवरणों के अनुसार बकाया वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय	6,00,22,852.79 2,84,12,426.69	4,51,66,443.75 1,48,56,409.04
कुल आरक्षित और अधिकशेष	8,84,35,279.48	6,00,22,852.79

5. आबंटन होने तक लंबित शेयर आवेदन राशि	31 मार्च 2012 (राशि रु. में)	31 मार्च 2011 (राशि रु. में)
	9,94,50,000.00	9,94,50,000.00

संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा पूंजी अंशदान : केटीपीओ, आईटीपीओ और केआईएडीबी के माध्यम से कर्नाटक सरकार का संयुक्त उद्यम है जिसकी शेयर धारिता क्रमश: 51 व 49 प्रतिशत है। सह प्रवर्तकों द्वारा दिनांक 16.2.1999 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार आईटीपीओ को एक प्रदर्शनी हाल का अंशदान करना था और सहप्रवर्तक कर्नाटक सरकार से अपेक्षा की कि वह 50 एकड़ विकसित भूमि और अवसंरचना का अंशदान करेगी। वर्ष 2005-2006 के दौरान सहप्रर्वतकों के बीच में यह सहमति हुई की कि वे अपनी अधिकृत पूंजी वृद्धि को 2 हजार लाख तक सीमित रखेंगे।

31.3.2012 को आईटीपीओ और केआईएडीबी के संयुक्त उद्यम करार के अनुसार क्रमश: 2550 और 2450 शेयर हैं। जिससे पता चलता है कि उनके पूंजी अंशदान का अनुपात क्रमश: 51 और 49 प्रतिशत है।

इसके अलावा आईटीपीओ ने वचनबद्ध शेयरपूंजी अंशदान के बकाया के रुप में 9,94,50,000 रुपये का अंशदान किया था परन्तु इस संबंध में अवधि की कोई शर्त नहीं जिसके है। पूर्व यह शेयर आवंटित किये जायें। चूंकि केआईएडीबी द्वारा भूमि और अतिरिक्त अवसंरचना के रूप में केआईएडीबी द्वारा तदनुरूप पूंजी अंशदान के बारे में अभी अन्तिम निर्णय किया जाना है इसलिए आवंटन लम्बित रखा गया है। परन्तु शेयर आवेदन राशि के रूप में प्राप्त 9,94,50,000 रुपये के संबंध में आईटीपीओ को शेयर जारी करने के लिए पर्याप्त अधिकृत शेयर पूंजी है। आवंटित किए जाने वाले शेयर बिना प्रीमियम के सममूल्य पर हैं। चूंकि शेयर आवेदन राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है इसलिए यह कोई भी राशि संयुक्त उद्यम करार के अनुसार वापिसी योग्य नहीं है।

6. दीर्घावधि ऋण (अनारक्षित)	31 मार्च 2012 (रुपयों में)	31 मार्च 2011 (रुपयों में)
धारक कम्पनी इण्डिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन से ब्याज रहित ऋण	**7,73,76,949.97**	**7,46,85,087.97**

दिनांक 16.02.1999 के संयुक्त उद्यम करार के अनुसार आईटीपीओ को प्रदर्शनी परिसर उपलब्ध करना था। आईटीपीओ द्वारा केटीपीओ को 2005-06 के दौरान सौंपे गये प्रदर्शनी परिसर के मूल लागत 17,66,85,08,597 रुपये थी जो 2011-12 के दौरान संशोधित होकर 17,93,76,94,797 रुपये हो गयी थी। बोर्ड की क्रमश: 20.09.2002 और 19.06.2003 को हुई छठीं और सातवीं बैठकों में बोर्ड द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार संबंधित पूंजी अंशदान (20 करोड़ रुपये का 59 एवं 41 प्रतिशत) से अधिक राशि को ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण माना जाना है। कम्पनी ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है तद्नुसार 7,73,76,94,997 रुपये को अधीनस्थ ऋण के रूप में दिखाया गया है।

बोर्ड की क्रमश:20-9-2002 और 19.6.2003 को हुई छटी और सातवीं बैठक में बोर्ड द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार संबंधित पूंजी अंशदान (20 करोड़ रूपये का 59 एवं 41 प्रतिशत) से अधिक राशि को ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में दिखाया गया था।

7 अन्य चालू देयताएं:

	31 मार्च 2012 (राशि रु. में)	31 मार्च 2011 (राशि रु. में)
अन्य देयताएं		
ग्राहकों से अग्रिम	11,68,977.15	3,71,564.25
देय निगम कर (कृपया देखें टिप्पणी सं. 24)	1,23,67,535.00	99,95,348.00
व्यय के लिए ऋण दाता	36,71,583.00	26,52,256.00
देय टी डी एस	11,305.00	8,937.00
देय वेतन कटौतियां	17,940.00	-
ग्राहकों और ठेकेदारों से सिक्युरिटी जमा	6,36,400.00	4,90,000.00
ठेकेदारों से अर्नेस्ट मनी जमा	-	11,500.00
धारक कम्पनी की ओर बकाया (व्यय के संबंध में)	58,60,233.72	50,01,363.72
	2,37,33,973.87	**1,85,30,968.97**

8 अल्पावधि प्रावधान

	31 मार्च 2012 (राशि रु. में)	31 मार्च 2011 (राशि रु. में)
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	1,40,312.00	86,832.00
अन्य	-	-
	1,40,312.00	**86,832.00**

9. मूर्त परिसम्पत्तियां (कम्पनी के स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां)

	प्रदर्शनी परिसर	संयंत्र एवं मशीनरी	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	आफिस उपकरण	कुल
लागत अथवा मूल्यांकन						
1 अप्रैल 2010 को	17,86,00,425.97	79,93,718.16	1,49,711.00	5,32,618.00	1,60,026.75	18,74,36,499.88
वृद्धि	-	2,15,540.00	33,688.00	-	91,940.00	3,41,168.00
31 मार्च 2011 को	17,86,00,425.97	82,09,258.16	1,83,399.00	5,32,618.00	2,51,966.75	18,77,77,667.88
वृद्धि	26,91,862.00	1,82,982.00	1,66,171.00	-	1,08,125.00	31,49,140.00
31 मार्च 2012 को	18,12,92,287.97	83,92,240.16	3,49,570.00	5,32,618.00	3,60,091.75	19,09,26,807.88
मूल्यह्रास						
1 अप्रैल 2010 को	7,26,71,505.89	2,47,969.22	35,330.00	2,96,786.78	69,214.75	7,33,20,806.64
वर्ष के लिए प्रभार	1,05,92,892.00	11,19,320.00	20,880.00	61,057.00	23,123.00	1,18,17,272.00
31 मार्च 2011 को	8,32,64,397.89	13,67,289.22	56,210.00	3,57,843.78	92,337.75	8,51,38,078.64
वर्ष के लिए प्रभार	98,70,086.00	9,98,233.00	42,941.00	45,249.00	30,489.00	1,09,86,998.00
31 मार्च 2012 को	9,31,34,483.89	23,65,522.22	99,151.00	4,03,092.78	1,22,826.75	9,61,25,076.64
निवल ब्लाक						
31 मार्च 2011 को	**9,53,36,028.08**	**68,41,968.94**	**1,27,189.00**	**1,74,774.22**	**1,59,629.00**	**10,26,39,589.24**
31 मार्च 2012 को	**8,81,57,804.08**	**60,26,717.94**	**2,50,419.00**	**1,29,525.22**	**2,37,265.00**	**9,48,01,731.24**

10 नकदी और बैंक बैलेंस

	31 मार्च 2012 (रूपये)	31 मार्च 2011 (रूपये)
i) नकदी और नकदी समतुल्य		
बैंक में बैलेंस		
बचत खाता लेखाओं	(3,37,577.64)	(20,23,614.55)
अपने पास नकदी	13,192.00	4,061.00
उपजोड़	(3,24,385.64)	(20,19,553.55)
ii) अन्य बैंक बैलेंस		
12 महीने से अधिक मूल परिपक्वता वाली जमा (गैर चालू भाग - शुन्य)	-	49,16,000.00
3 महीने से अधिक परन्तु 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा (गैर चालू भाग - शून्य)	17,93,38,404.00	12,85,88,734.00
उपजोड़	17,93,38,404.00	13,35,04,734.00
कुल नकदी और बैंक बैलेंस	**17,90,14,018.36**	**13,14,85,180.45**

11 **अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम**

	31 मार्च 2012 (रूपये में)	31 मार्च 2011 (रूपये में)
i) नकदी और वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम (अनारक्षित और ठीक समझे गये)		
क) के पी टी सी एल (एस टी लाइन की शिफ्टिंग)	-	1,21,23,000.00
ख) बैसकाम (बिजली प्रभार)	5,47,801.00	-
ग) ए जी आफिस (छुट्टी नकदीकरण)	1,06,136.00	-
उपजोड़	6,53,937.00	1,21,23,000.00
ii) अन्य चालू परिसम्पत्तियां (अनारक्षित किन्तु अच्छे समझे गये)		
क) सेवाकर - इनपुट कर	90,250.00	1,20,229.00
ख) अग्रिम कर (टीडीएस)	1,05,29,982.95	68,06,913.00
उपजोड़	1,06,20,232.95	69,27,142.00
कुल अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (i+ii)	**11,27,41,69.95**	**1,90,50,142.00**

12 अन्य चालू परिसम्पत्तियां

	31 मार्च 2012 (रूपये में)	31 मार्च 2011 (रूपये में)
स्थाई जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	90,46,595.77	46,00,830.04
	90,46,595.77	**46,00,830.04**

13 परिचालनों से राजस्व

	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रूपयों में)	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए (रूपयों में)
सेवाओं की बिक्री	5,58,50,360.00	3,05,04,449.00
अन्य परिचालन राजस्व प्रदत्त सेवाओं का ब्यौरा	5,40,000.00	3,97,222.00
	5,63,90,360.00	**3,09,01,671.00**

	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रूपयों में)	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए (रूपयों में)
प्रदर्शनी हाल से लाइसेंस फीस, गेट फीस, कलैक्शन और यूटिलिटीज के लिए वसूली	**5,58,50,360.00**	**3,05,04,449.00**

14 अन्य आय

	31 मार्च 2012 को (रूपयों में)	31 मार्च 2011 को (रूपयों में)
ब्याज से आय	1,42,83,668.84	88,37,634.04
अन्य गैर-परिचालन आय	42,014.00	1,80,250.00
	1,43,25,682.84	**90,17,884.04**

15 कर्मचारी लाभ व्यय

	31 मार्च 2012 को (रूपयों में)	31 मार्च 2011 को (रूपयों में)
वेतन	12,29,289.00	7,78,405.00
पेंशन के लिए अंशदान और छुट्टी वेतन	1,38,556.00	85,076.00
कर्मचारी कल्याण	1,03,898.00	99,966.00
	14,71,743.00	**9,63,447.00**

16 वित्त लागत

	31 मार्च 2012 को (रूपयों में)	31 मार्च 2011 को (रूपयों में)
बैंक शुल्क	**9,714.00**	**14,976.00**

17 अन्य व्यय

	31 मार्च 2012 को (रूपयों में)	31 मार्च 2011 को (रूपयों में)
पावर और ईंधन	48,81,529.00	29,23,330.00
भवनों की मरम्मत व रख-रखाव	10,12,904.00	29,850.00
संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत और रख-रखाव	19,57,645.00	14,50,057.00
एस टी पावर लाइन और टावरों को सिफ्टिंग प्रभार	1,21,23,000.00	-
मरम्मत और रख-रखाव - अन्य	12,07,464.00	10,37,506.00
हाउस कीपिंग और सिक्योरिटी प्रभार	30,71,695.00	29,24,033.00
निगम कर	23,72,187.00	23,72,187.00
जल प्रभार	2,470.00	2,308.00
संचार प्रभार	1,16,483.00	64,464.00
बैण्ड विर्थ प्रभार	5,03,797.00	71,000.00
मुद्रण और स्टेशनरी	1,03,281.00	55,167.00
पोस्टेज और कुरियर प्रभार	19,495.00	9,567.00
विज्ञापन और बिक्री संवर्धन	1,23,649.00	13,018.00
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	7,00,949.00	5,36,341.00
यात्रा एवं वाहन	7,27,901.00	1,73,619.00
बीमा	53,033.00	54,291.00
कार्यालय व्यय	1,65,342.00	60,053.00
लेखापरीक्षा फीस	25,000.00	20,000.00
बट्टे खाते में डाली गयी गैर वसूलियों के टी डी एस	1,69,833.15	-
विविध व्यय	5,950.00	9,330.00
पूर्व अवधि की मदें	4,91,554.00	4,61,330.00
	29,83,51,61.15	**1,22,67,451.00**

	31 मार्च 2012 को (रूपयों में)	31 मार्च 2011 को (रूपयों में)
लेखापरीक्षक को भुगतान		
लेखापरीक्षक के रूप में	20,000.00	20,000.00
लेखापरीक्षक शुल्क		
अन्य हैसियत से		
प्रमाणन फीस	5,000.00	-
	25,000.00	**20,000.00**
पूर्व अवधि की मदें (टिप्पणी संख्या 17)		
पूर्ववर्ती वर्षों में गलती से आय के रूप में दिखायइ गई राशि जो अब प्रत्यावर्तित कर दी गयी है।	5,00,000.00	-
गलती से प्राप्त इनपुट सेवा कर और बाद में प्रदत्त	246	-
टी डी एस की कम अदायगी	30	
पूर्ववर्ती वर्षों में गलत दिखायी गयी टी डी एस राशि	2,818.00	-
पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में जमा टी डी एस, जिसकी वसूली नहीं की गयी		11,330.00
पूर्ववर्ती वर्षों में अधिक दी गयी व्यय की राशि जिसे अब ठीक कर लिया गया है	(210.00)	-
वर्ष 2009-10 के दौरान टैक्सोक को प्रदत्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट व्यय	-	4,50,000.00
2010-11 में गलत टी डी एस को ठीक करना	(11,330.00)	-
	4,91,554.00	**4,61,330.00**

18. (i) आय-व्यय लेखा विवरण तैयार करने संबंधी सामान्य अनुदेशों के पैरा 5 (2), क,ख,घ,ङ और ए 5 (3) क (1)(2) और ग के उपबंधों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गयी है क्योंकि यह कम्पनी निर्माता कम्पनी या व्यापारी कम्पनी नहीं है।

(ii) आय-व्यय लेखा विवरण तैयार करने संबंधी सामान्य अनुदेशों के पैरा 5 (vii) के अनुसार सूचना नहीं दी गयी है क्योंकि कम्पनी के कोई अनुषंगी कम्पनियां नहीं हैं।

		31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
(iii)	आयात किये गये सामान का मूल्य - पूंजीगत सामान	शून्य	शून्य
(iv)	रायल्टी, जानकारी, व्यावसायिक और परामर्श फीस, ब्याज और अन्य मामलों में विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय	शून्य	शून्य
(v)	गैर आवासीय शेयरहोल्डरों की कुल संख्या, उनके पास विद्यमान ऐसे शेयरों की कुल संख्या जिन पर लाभांश देय था और जिस वर्ष से वह लाभांश संबंधित था, का विशेष उल्लेख करते हुए लाभांशों की मद में विदेशी मुद्रा में भेजी गयी राशि	शून्य	शून्य
(vi)	विभिन्न शीर्षों अर्थात् फ्री आन बोर्ड के आधार पर परिकलित सामान का निर्यात, रायल्टी, जानकारी, व्यावसायिक इनकम जैसे - शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत विदेशी मुद्रा में अर्जित राशि	शून्य	शून्य

19. संबंधित पार्टी द्वारा की गयी घोषणा

संबंधित पक्षकारों का नाम और संबंधित पक्षकार से संबंध

जहाँ नियंत्रण विद्यमान है वहाँ पक्षकार संबंधित हैं

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन – धारक कम्पनी

कर्नाटक इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट बोर्ड – सह प्रवर्तक

वर्ष के दौरान जिन पार्टियों के साथ लेनदेन हुआ है वे संबंधित पार्टियां

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

कर्नाटक इण्डस्ट्रियल एरिया डेपलमेंट बोर्ड

संबंधित पार्टी लेनदेन

(क) दिनांक 16.2.1999 के समझौता ज्ञापन के अनुसार लिया गया और वापस नहीं करने योग्य ब्याज मुक्त ऋण (कृपया देखें टिप्पणी संख्या 6)

(रुपये में)

	को समाप्त वर्ष	लिया गया ऋण	वापसी	प्रोद्भूत ब्याज	संबंधित पार्टी की ओर बकाया राशि
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन-धारक कम्पनी	31 मार्च 2012	26,91,862.00	-	-	7,73,76,949.97
	31 मार्च 2011	-	-	-	7,46,85,087.97

(ख) संबंधित पक्ष को देय राशि (सेवाओं के संबंधो में) कृपया देखें टिप्पणी संख्या 7

(रुपये में)

	को समाप्त वर्ष	**सेवाओं के लिए**	**संबंधित पार्टी को देय राशि**
i) इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन-धारक कम्पनी	31 मार्च 2012	8,58,870.00	58,60,233.72
	31 मार्च 2011	-	50,01,363.72
ii) कर्नाटक इण्डिस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड-सह प्रवर्तक	31 मार्च 2012	5,00,000.00	26,92,500.00
	31 मार्च 2011	5,00,000.00	21,92,500.00

20. वचनबद्धतायें

	31 मार्च 2012 को (रूपयों में)	**31 मार्च 2011 को (रूपयों में)**
एच टी पावर लाइनों को कार्य स्थल के बीच से किनारे पर अन्तरित करने के लिये ठेके की अनुमानित लागत	-	1,21,23,000.00

21. संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा पूंजी अंशदान

के टी पी ओ, आई टी पी ओ और के आई ए डी बी के माध्यम से कर्नाटक सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें उनकी क्रमश: 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत शेयरधारिता है। सह प्रवर्तकों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार आई टी पी ओ को एक प्रदर्शनी हाल का निर्माण करना था और कर्नाटक सरकार को प्रदर्शनी परिसर के लिये आधारभूत संरचना सहित 50 एकड़ विकसित भूमि लानी थी। वर्ष 2005-2006 के दौरान सह प्रवर्तकों के बीच इस बात पर सहमति हुई कि प्राधिकृत पूंजी वृद्धि को 2000 लाख तक सीमित रखा जाये।

31 मार्च 2012 को आई टी पी ओ ने इक्विटी और शेयर आवेदन राशि के अपने अंश के रूप में 10.20 करोड़ रूपये का अंशदान दे दिया है। इसी तारीख को कर्नाटक सरकार के आई ए डी बी ने 24.50 लाख रूपये नकद तथा पचास एकड़ विकसित भूमि के रूप में अपना अंशदान दे दिया है जिसका मूल्य 10 करोड़ रूपये की एक मुश्त राशि तथा बुनियादी ढांचे के आधारपर निर्धारित किया गया था। लेकिन भूमि और आधारभूत ढांचे के मूल्य को अभी खाते में दिखाया जाना है क्योंकि बी बी एम पी द्वारा सम्पत्ति कर निर्धारण होने से खाते का अन्तरण के टी पी ओ के नाम में नहीं किया गया है।

99,450 इक्विटी शेयरों का आवंटन

निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 29.9.2006 की अपनी 15वीं बैठक में यह संकल्प किया था कि प्रत्येक 1000 रू0 मूल्य के 99,450 इक्विटी शेयर आई टी पी ओ को उनके खाते में वर्तमान शेयर आवेदन राशि के आधार पर आबंटित कर दिये जायें। यह भी संकल्प किया गया कि आई टी पी ओ को शेयर सर्टिफिकेट जारी कर दिये जायें और आवंटन की रिर्टन कम्पनी रजिस्ट्रार के यहां दाखिल कर दी जाय। परन्तु आई टी पी ओ को शेयर आवंटित नहीं किये जा सकें क्योंकि आई टी पी ओ और कर्नाटक सरकार के आई ए डी बी के बीच एक आन्तरिक करार है कि राशि का निवेश के टी पी ओ में क्रमश: 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत की दर से किया जाय। वर्तमान स्थिति में चूंकि के आई डी बी ए ने आधारभूत संरचना की कुल लागत का ब्यौरा नहीं दिया है। अत: भूमि और आधारभूत संरचना का पूंजीकरण लम्बित है और इसीलिए आई टी पी ओ और के आई ए डी बी (कर्नाटक सरकार) को शेयरों का आवंटन भी लम्बित है।

22. के टी पी ओ द्वारा पचास एकड़ विकसित भूमि का कब्जा

समस्त 50 एकड़ भूमि के टी पी ओ के कब्जे में है। के आई ए डी बी ने सम्पूर्ण भूमि के स्वामित्व का विलेख के टी पी ओ को जारी कर दिया है और यह विलेख दिनांक 15-12-2010 के विलेख द्वारा पंजीकृत है। कर्नाटक सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी से पूरी छूट दे दी थी। सम्पत्ति कर का खाता अभी तक के टी पी ओ के नाम में अंतरित नहीं हुआ है। क्योंकि आधारभूत संरचना की कुल लागत का ब्यौरा के आई ए डी बी ने नहीं दिया है। इसलिए भूमि और आधारभूत संरचना लागत का पूंजीकरण लम्बित है। के टी पी ओ के खाते में प्रदर्शनी परिसर का पूंजीकरण आई टी पी ओ के निर्देशों के आधार पर किया गया। कर्नाटक सरकार (के आई ए डी बी) की भूमि और बाहरी आधारभूत ढांचे की लागत का पूंजीकरण अभी किया जाना है क्योंकि यह खाता के टी पी ओ के नाम में अंतरित नहीं हुआ।

23. आय कर

(क) संगठन ने आय कर नियम 1961 की धारा 10(23ग) (iv) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2008-09 तक के लिए छूट प्राप्त की थी। इस संगठन ने इस छूट को आगे निर्धारण वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए आगे बढ़ाने का आवेदन किया था जो क्रमश: वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए प्रासंगिक होता। इसके उत्तर में मुख्य आयकर आयुक्त ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) (iv)

के अन्तर्गत स्वीकृति का नवीकरण करने के आवेदन को रद्द कर दिया था। परन्तु संगठन ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें 23.4.2011 को मुख्य आयकर आयुक्त के अस्वीकृति आदेश को चुनौती दी गयी है। निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए नवीकरण के आवेदन को भी उसी आधार पर रद्द कर दिया गया था जो निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए बताए गये थे। परन्तु मुख्य आयकर आयुक्त ने यह भी बताया था कि यदि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश संगठन के पक्ष में होता है तो वह आदेश निर्धारण वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए लागू होगा जो वित्त वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए संगत होगा परन्तु संगठन इस मामले में भी रिट याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है।

(ख) संगठन ने दिनॉक 25.3.2003 के प्रमाण पत्र संख्या डी आई टी (ई)/12ए/वैल्यूम-1/डब्ल्यु 1/के-680/02-03 के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 (क) के अन्तर्गत 6-12-2000 के भूतलक्षी प्रभाव से छूट प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। संगठन को आयकर नियम 1961 की धारा 12 क क के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन को रद्द किये जाने के लिए कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है। इसके उत्तर में संगठन ने औचित्य पत्र दाखिल किये हैं और इसके अस्वीकृत प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए निर्धारण वर्ष 2008-09 से आयकर की देयता की राशि निर्धारित नहीं की गयी है। क्योंकि निर्धारणों के पूरा नहीं होने की वजह से यह राशि भी निर्धारित नहीं की जा सकती इसलिए खाते में इस राशि का प्रावधान नहीं दिया गया।

24. सम्पत्ति कर

कम्पनी को 7.12.2010 को सहायक राजस्व कार्यालय, हुडी, बेंगलोर से एक नोटिस प्राप्त हुआा था जिसमें वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक की अवधि के लिए परिसर के सम्पत्ति कर का भुगतान करने के लिए कहा गया था। सम्पत्ति कर की अदायगी का मामला कर्नाटक सरकार के सी ऐण्ड डाई विभाग की जानकारी में लाया गया था और सरकार से के टी पी ओ को आई टी पी ओ - भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच 16.2.1999 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार सम्पत्ति कर से छूट देने का अनुरोध किया गया था जिसमें बताया गया था कि राजस्व और अन्य करों से सभी कर रियायतें कर्नाटक सरकार द्वारा दी जायेंगी। तद्नुसार सी ऐण्ड डाई विभाग के प्रधान सचिव ने 22.1.2012 को यह मामला शहरी विकास विभाग के साथ उठाया था और कहा गया था कि के टी पी ओ को सम्पत्ति कर के भुगतान से छूट दी जाय और बी बी एम पी द्वारा के टी पी ओ को जारी किया गया नोटिस रोक लिया जाय। कम्पनी कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग के साथ अनुवर्ती कार्यवाही कर रही है और इस संबंध में अनुकूल निर्णय की आशा करती है।

15.3.2012 को संगठन को 15.2.2012 के पत्र द्वारा सहायक राजस्व अधिकारी हुडी बैंगलोर से एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि के एम सी एक्स 1796 की धारा 110 के अनुसार ई पी आई पी इण्डस्ट्रियल एरिया में स्थित के टी पी ओ को सम्पत्ति कर से छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस पत्र को देखते हुए आगे कार्यवाही करने और सरकार, सी ऐण्ड डाई विभाग और के टी पी ओ को भुगतान के बारे में निर्णय करने की सूचना देने के लिए बी बी एम पी के वर्तमान दावों का सत्यापन किया गया है। उपलब्ध गणनाओं और बी बी एम पी से प्राप्त नोटिस का सत्यापन करने पर यह पाया गया है कि निर्विध क्षेत्र के लिए 8 रूपये प्रति वर्ग फुट की दर औद्योगिक बिल्डिंगों के अधीन वर्तमान परिसरों पर लागू की गयी है जबकि यह संगठन पब्लिक सेक्टर इण्डस्ट्रियल बिल्डिंग (राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या संयुक्त उद्यम) की श्रेणी 14 के अंतर्गत आती है। जिसके लिए सैल्फ एसेसमेंट स्कीम के अन्तर्गत बी बी एम पी द्वारा उपलब्ध करायी गयी पुस्तिका के अनुसार उद्योग का आकार कुछ भी होने पर 3 रूपये प्रति वर्ग फीट की दर लागू होती है। इसलिए कम्पनी ने बी बी एम पी के संयुक्त आयुक्त को लिखा था और यह अनुरोध किया था कि इस मामले में और आगे कार्यवाही करने के लिए सम्पति कर की संशोधित मांग जारी की जाये।

कम्पनी ने बी बी एम पी की मांगों के अनुरूप सम्पत्ति कर की मद में 12367535 रूपये की राशि का प्रावधान किया है। खातों में वर्षवार किये गये प्रावधान का ब्यौरा इस प्रकार है:-

2007-08	28,78,787/-
2008-09	23,72,187/-
2009-10	23,72,187/-
2010-11	23,72,187/-
2011-12	23,72,187/-
योग	**1,23,67,535/-**

इसके अतिरिक्त यह सम्पत्ति 15.12.2010 को के टी पी ओ के नाम में पंजीकृत की गयी। के टी पी ओ को सम्पत्ति कर का भुगतान किस तारीख से करना है उस प्रभावी तारीख का निर्धारण करने के लिए उक्त तारीख को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त प्रोपर्टी टैक्स के सम्पत्ति कर की मद में 2011-12 तक के लिए उपलब्ध करायी गयी राशि वर्तमान दावों पर आधारित है और उसमें संशोधन होने की संभावना है तथा बी बी एम पी से उत्तर प्राप्त होने की आशा है और संशोधित दावे की राशि पहले किये गये प्रावधान से अधिक नहीं होगी।

उपर्युक्त को देखते हुए और इस बात के मद्देनजर कि सम्पत्ति कर की सही देनदारी का निर्धारण अभी होना है और वार्षिक ब्याज यदि कोई हो जो लागू हो सकता है अथवा नहीं लागू हो सकता है, उसका प्रावधान खातों में नहीं किया गया है क्योंकि के टी पी ओ अर्थदण्ड को माफ करने के लिए बी बी एम पी/कर्नाठक सरकार से अपील कर सकता है।

25. पार्टियों के खाते में शेष राशि सत्यापन और पुर्नमिलान के अधीन है।

26. विविध ऋणदाताओं में लघु उद्योग की ओर शून्य रूपये की बकाया सम्मिलित है जो 30 दिन से अधिक और प्रति पार्टी एक लाख रूपये से अधिक से बकाया है, पिछले वर्ष शून्य रूपये)।

27. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कम्पनी केवल एक सेगमेंट - प्रदर्शनियों के लिए परिसर किराये पर देने के कार्य में लगी है। अत: अलग से किसी रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

कृते और निदेशक मण्डल की ओर से
हमारी समतिथि की रिपोर्ट
कृते वाई सी आर जे ऐण्ड ऐसोसिएट्स
चार्टर्ड लेखाकार
(रजि0 नं. 006927 एम)

ह./-	ह./-	ह./-
(सी. वीरभद्रैय्या)	**(एम. महेश्वर राव आई ए एस)**	**(यशवन्त खण्डेरी)**
प्रबंध निदेशक	निदेशक	साझेदार
		सदस्यता संख्या - 029066

स्थान: बेंगलौर
दिनांक: 21.6.2012

31.03.2012 का समाप्त वर्ष का कैश फ्लो विवरण

(राशि – रूपयो में)

	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए
क. संचालन कार्य कलापों से कैश फ्लो		
चालू संचालनों से कर पूर्व लाभ	2,84,12,426.69	1,48,56,409.04
गैर नकदी समायोजन – मूल्यह्रास	1,09,86,998.00	1,18,17,272.00
ब्याज से आय (फिक्स्ड डिपोजिट से)	(1,41,83,731.84)	(88,37,634.04)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	2,52,15,692.85	1,78,36,047.00
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि	52,03,004.90	18,78,248.00
अल्पावधि प्रावधान में वृद्धि	53,480.00	12,994.00
अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों में कमी/वृद्धि	77,75,972.05	(1,48,45,893.70)
अन्य चालू परिसम्पतियों में वृद्धि	(44,45,765.73)	(16,07,971.19)
परिचालन कार्य – कलापों से निवल कैस फ्लो	**3,38,02,384.07**	**32,73,424.11**
ख. निवेश कार्य – कलापों से कैश फ्लो		
स्थायी परिसम्पतियों (मूर्त) की खरीद	(31,49,140.00)	(3,41,168.00)
बैंक जमाओं में निवेश		
(तीन महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली)	(4,58,33,670.00)	(1,36,70,074.54)
फिक्स डिपाजिट से प्राप्त ब्याज	1,41,83,731.84	88,37,634.04
निवेश कार्य कलापों से निवल कैश–फ्लो	**(3,47,99,078.16)**	**(51,73,608.50)**
ग. वित्तीय कार्यकलापों से निवल कैश–फ्लो		
दीर्धावधि ऋणों में वृद्धि	26,91,862.00	-
वित्तीय कार्यकलापों से निवल कैश–फ्लो	**26,91,862.00**	**-**
01. नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (कमी)	**16,95,167.91**	**(19,00,184.39)**
02. वर्ष के आरम्भ में नकदी और नकदी समतुल्य	**(20,19,553.55)**	**(1,19,369.16)**
03. वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य	**(3,24,385.64)**	**(20,19,553.55)**
नकदी समतुल्यों के संघटक – शेष राशि		
अपने पास नकदी	13,192.00	4,061.00
बचत बैंक खातों मे शेष	(3,37,577.64)	(20,23,614.55)
कुल नकदी सम्तुल्य – टिप्पणी संख्या 10	**(3,24,385.64)**	**(20,19,553.55)**

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते वाई सी आर जे ऐण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड लेखाकार
(पंजीकरण संख्या 006927एस)

ह./-	ह./-	ह./-
(सी. वीरभद्रैय्या)	(एम. महेश्वर राव, आई ए.एस)	(यशवंत खण्डेरी)
प्रबंध निदेशक	निदेशक	साझीदार
	सदस्यता संख्या 029066	

स्थानः बंगलौर
दिनांक: 21/6/2012

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य गण

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

1. हमने मैसर्स कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (कम्पनी) के 31 मार्च 2012 को यथास्थिति संलग्न वित्तीय विवरण जिनमें तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के आय एवं व्यय लेखे और उसके साथ संलग्न कैश-फ्लो विवरण तथा कम्पनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची VI के अनुसार उस पर की गयी टिप्पणियां और महत्त्वपूर्ण लेखा गणना नीतियों और व्याख्यात्मक जानकारी सम्मिलित हैं, की लेखा परीक्षा की है।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

ये वित्तीय विवरण जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा 3(ग) में निर्दिष्ट लेखा गणना मानकों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और कैश-फ्लो की सही और स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की दृष्टि से प्रासंगिक ऐसे आंतरिक नियंत्रणों को लागू करना और उन्हें लागू रखना शामिल है जो सारभूत गलतबयानी से रहित हों चाहे वह धोखा-धड़ी के कारण हुई हो या किसी त्रुटि के कारण।

3. लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अपना मत व्यक्त करने की है। हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यत: स्वीकृत उन लेखा परीखा मानवों के अनुसार की है जो इंस्ट्यूट ऑफ एकाउन्टैंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किये गये हैं। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम इस बारे में इस आशय का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने की योजना बनाएं और उसके अनुसार लेखा परीक्षा करें कि इन वित्तीय विवरणों में कोई गलत कथन नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया में वित्तीय विवरणों में दी गयी राशि तथा प्रकरणों के समर्थन में दिये गये साक्ष्य की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल होता है। लेखा परीक्षा प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाये गये लेखा सिद्धांतों और महत्वपूर्ण प्राक्कलनों की जांच और समग्र रूप से वित्तीय विवरणों का आकलन करना भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

4. विशेषीकृत राय आधार

(क) सम्पत्ति कर की गैर-अदायगी पर शास्ति (ब्याज) का प्रावधान नहीं किया जाना।

आपका ध्यान सम्पत्ति कर के मुद्दे पर वित्तीय विवरणों सम्बंधी टिप्पणियों की टिप्पणी 24 की ओर दिलाया जाता है। कम्पनी के ए आर ओ, बी बी एम पी और जे सी, बी सी एम पी महादेवपुर से प्राप्त नामों के आधार पर वर्ष 2007-8 से 2011-12 तक के वर्षों के लिए देय सम्पत्ति कर के बारे में 1,23,67,535 रूपये का प्रावधान किया था हालांकि कम्पनी ने सम्पत्ति कर की संगणना और मांगे गये कर की राशि पर आपत्ति की है। कम्पनी के अनुसार वर्ष 2008-9 से 2011-12 तक के वर्षों के लिए कम्पनी द्वारा देय सम्पत्ति कर की राशि 65,84,212 रूपये बैठती है और तद्नुसार कम्पनी ने भी बी एम पी से अपनी मांग को

सरकारी संगठन पर लागू होने के अनुसार संशोधित करने का अनुरोध किया था और मामला अभी बी सी एम पी के समक्ष लम्बित है। चूंकि कम्पनी ने बी बी एम पी से प्राप्त डिमाण्ड नोटिसों के अनुसार सम्पत्ति कर के संबंध में पर्याप्त प्रावधान कर लिया है जो बी बी एम पी द्वारा विलंबित भुगतान के लिए लगाये जाने वाले ब्याज के हिस्से को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। सम्पत्ति कर की वर्तमान मांग के अनुसार ब्याज की अनुमानित राशि 84,05,741 रूपये बैठती है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 में 28,25,877 रूपये के अधिशेष (व्यय के मुकाबले अधिक आय और पहल की अवधियों के लिए अधिशेष की यह राशि 55,79,864 रूपये अधिक दिखायी गयी है और देनदारियों में 84,05,741 रूपये कम दिखाये गये हैं।

(ख) के आई ए डी बी को अन्तरित विकसित भूमि का गैर पूंजीकरण - 10 करोड़ रूपये।

(i) आपका ध्यान विकसित भूमि के मुद्दे पर वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 22 की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ii) कर्नाटक सरकार के आई ए डी बी और आई टी पी ओ (संयुक्त प्रमोटर्स) के बीच हुए दिनाँक 16.02.1999 के समझौता ज्ञापन के खण्ड 8 (iii) के अनुसार के आई ए डी बी एरिया में प्रदर्शनी परिसर के लिए आधारभूत ढांचे के साथ 50 एकड़ विकसित भूमि संयुक्त उद्यम कम्पनी को, के आई ए डी बी द्वारा चुनी गयी और आई टी पी ओ द्वारा अभिज्ञात स्थान में हस्तांतरित करेगा और उसके अतिरिक्त उक्त भूमि पर आधारभूत ढांचे के विकास हेतु बाउन्ड्री वाल, सड़कों, परिवहन, जल, विद्युत, टेलीफोन और दूर-संचार आदि का परियोजना की अपेक्षानुसार निर्माण करने की व्यवस्था भी करेगा।

(iii) विनिर्दिष्ट समझौता ज्ञापन के खण्ड 8 (4) के अनुसार 50 एकड़ विकसित भूमि का मूल्य 10 करोड़ रूपये निश्चित किया गया है जिसे कर्नाटक सरकार के आई ए डी बी से प्राप्त10 करोड़ रूपये निश्चित किया गया है जिसे कर्नाटक सरकार- के आई ए डी बी से प्राप्त पूँजी अंशदान माना जाना चाहिए। विकसित भूमि का मूल्य जो 10 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है, के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं है।

(iv) यद्यपि कम्पनी के पास 50 एकड़ भूमि का कब्जा 4/11/1999 से है और कम्पनी ने उस भूमि पर आई टी पी ओ के माध्यम से प्रदर्शनी परिसर का निर्माण कर लिया था और उक्त प्रदर्शनी परिसर को 2005-06 के दस्तावेजों में दिखाया गया था और कम्पनी तभी से उस प्रदर्शनी परिसर से राजस्व प्राप्त कर रही है और यद्यपि विकसित भूमि के आई ए डी बी द्वारा कम्पनी के पक्ष में निष्पादित दिनॉक 15/02/2010 के विक्रय-विलेख (सेल-डीड) द्वारा कम्पनी के पक्ष में पंजीकृत था और इस तथ्य के बावजूद कि इस भूमि की बिक्री प्रतिफल का भुगतान के टी पी ओ द्वारा के आई ए डी बी को कर दिया गया है और उसका स्पष्टत: उल्लेख उक्त बिक्री नामे में कर दिया गया है। कम्पनी ने 50 एकड़ विकसित भूमि अपने खाते में नहीं दिखायी। इसके परिणामस्वरूप स्थाई परिसम्पत्तियां कम दिखायी गयी और आई ए डी बी, जो कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, की ओर से प्राप्त होने वाली इक्विटी/देनदारी की राशि 10 करोड़ रूपये कम दिखायी गयी है।

(ग) बाहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा के आई ए डी को जारी की गयी 585 लाख रूपये की राशि दर्ज न किया जाना।

(i) आपका ध्यान विकसत भूमि के मुद्दे और बुनियादी ढांचे की लागत के ब्यौरे के मुददे के बारे में वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 22 की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ii) कर्नाटक सरकार- के आई ए डी बी तथा आई टी पी ओ को (संयुक्त प्रमोटर्स) के बीच 16.2.1999 को हुए समझौता ज्ञापन के खण्ड 8 (14) के अनुसार के आई ए डी बी व्हाइट फील्ड एरिया में प्रदर्शनी परिसर के लिये 50 एकड़ विकसित भूमि तथा आधारभूत ढांचे को संयुक्त उद्यम कम्पनी को के आई ए डी बी द्वारा चुनी गयी तथा आई टी पी ओ द्वारा अभिज्ञात स्थल में अन्तरित करेगा और इसके अतिरिक्त उक्त भूमि में बाउण्ड्री वाल, सड़कें, परिवहन, जल, बिजली, टेलीफोन और दूर संचार आदि आधारभूत ढांचे का निर्माण-विकास परियोजना की अपेक्षा के अनुसार करेगा।

(iii) आपका ध्यान इस मुद्दे पर कम्पनी द्वारा के आई ए बी डी को दिनांक 30.3.2012 को लिखित पत्र की ओर आकर्षित किया जाता है। उस पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि उपर्युक्त पैरा (2) में उल्लिखित रूप में कर्नाटक सरकार ने बाहरी ढांचे की व्यवस्था करने के अपने दायित्व के अनुरूप के आई ए डी बी को 585 लाख रूपये जारी कर दिये थे और उपर्युक्त कार्य के आई डी बी द्वारा किये जाने के लिए सौंप दिया था। इसके परिणामस्वरूप कर्नाटक सरकार से इक्विटी/अधीनस्थ ऋण की राशि कम दिखायी गयी और के आई ए डी बी को दिये गये अग्रिम की राशि भी कम दिखायी गयी थी। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने बुनियादी ढांचे की लागत का ब्यौरा भी प्राप्त नहीं किया था और उसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों और चालू पूँजीगत निर्माण कार्य कम दिखाया गया जिसका उतना ही प्रभाव के आई ए डी बी को दिये गये अग्रिम पर भी पड़ा। यदि कर्नाटक सरकार, द्वारा जारी की गई राशि पूर्व उल्लिखित रूप में दर्ज की जाती तो पूर्ण की गयी परिसम्पत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास के कारण अधिशेष (व्यय से अधिक आय) पर उसका परिणामी प्रभाव होता।

(घ) वित्त वर्ष 2008-9 से 2011-12 तक के लिए आय कर का प्रावधान न किया जाना।

(i) आपका ध्यान आय कर प्रावधान के मुद्दे पर टिप्पणी संख्या 23 की ओर आकर्षित किया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए आयकर अधिनियम 1962 की धारा 10 (23) सी (4) के अन्तर्गत छूट के नवीकरण के लिए कम्पनी द्वारा दिनाँक 4-2-2010 को दिये गये दोनों आवेदन पत्र धारा 10 (23) सी (iv) के अन्तर्गत मूल स्वीकृति 2003-04 से 2008-09 तक के निर्धारण वर्षों के लिए थी 24.02.2011 को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिये गये थे कि निर्धारण 2009-10 के संबंध में फार्म 56 दाखिल करने में विलम्ब हुआ था निर्धारण वर्ष 2010-11 के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 2(15) का पहला परन्तुक लागू किया गया। कम्पनी ने 23-4-2011 को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी और अभी वह लम्बित है।

(ii) कम्पनी ने 24-3-2011 को निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए धारा 10 (23)सी (iv) के अन्तर्गत छूट के नवीकरण के लिए इसी प्रकार का आवेदन किया था वह भी इन्हीं आधारों पर (जैसा कि उपर्युक्त उप

पैरा 1 में बताया गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 2 (15) का पहला परन्तुक लागू किया गया और निर्धारण वर्ष 2009-10 के संबंधा में फार्म 56 दाखिल करने में विलम्ब हुआ) 29-3-2012 को अस्वीकृत कर दिया गया था। इस बारे में कम्पनी को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करनी है।

(iii) कम्पनी ने दिनांक 25.3.2003 के प्रमाण पत्र द्वारा धारा 12 क (क) के अन्तर्गत छूट प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया था। कम्पनी को दिनांक 11.4.2011 को आय कर निदेशालय (छूट) से कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था जिसमें आय कर अधिनियम 1961 की धारा 12 क (3) के अन्तर्गत प्रदान किये गये। पंजीकरण को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया था। कम्पनी ने दिनांक 17.10.2011 एवं 2010-2011 के अपने पत्रों द्वारा आयकर निदेशालय को इस आशय का अभ्यावेदन किया था कि पंजीकरण रद्द करने का प्रस्ताव छोड़ दिया जाय क्योंकि उस मुद्दे पर निर्धारण के समय ही कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इस संबंध में अभी निर्णय की प्रतीक्षा है।

(iv) निर्धारण वर्ष 2008-9 से 2011-12 तक के लिए कम्पनी द्वारा दाखिल की गयी आयकर विवरणियां निर्धारण के लिए लम्बित हैं। उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए कम्पनी को दूरदर्शिता की अवधारणा के आधार पर कर संबंधी देनदारी का हिसाब-किताब लगा लेना चाहिए था और अपने खातों में उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। इससे अधिशेष (व्यय से अधिक आय) पर और कम्पनी की देनदारी पर प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त आंकड़े/सूचना न होने के कारण रद्द कर की राशि निर्धारित नहीं की गयी और हम इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली देनदारी की राशि के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

5. राय

हमारी राय में हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण ों के अनुसार विशेषीकृत राय संबंधी पैरा में वर्णित मामलों के प्रभाव को छोड़ कर, लेखा नीतियों और उनसे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित वित्तीय विवरणों से कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित जानकारी अपेक्षित रूप में मिलती है और ये विवरण भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुरूप निम्न के संबंध में वास्तविक और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं:-

(क) 31 मार्च 2012 को कम्पनी के वास्तविक तुलन-पत्र के मामले में

(ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के आय-व्यय लेखे और व्यय से अधिक आय के मामले में

(ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कैश-फ्लो संबंधी कैश-फ्लो विवरण के मामले में

6. मामले का बल

आई टी पी ओ को 994.50 लाख रूपये के शेयरों का आवंटन न किया जाना।

आपका ध्यान इस मुद्दे के बारे में वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 21 की ओर आकर्षित किया जाता है। के आई ए डी बी से खरीदी गयी भूमि के स्वामित्व दस्तावेज का अंतरण होने के बावजूद बोर्ड द्वारा क्रमश: 29.09.2006 और 6.01.2007 को हुई बोर्ड की पंद्रहवीं व सोलहवीं बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुसार उनसे प्राप्त 994.50 लाख रूपये के बारे में आई टी पी ओ को शेयरों का आबंटन नहीं किया गया। जैसाकि उक्त टिप्पणी में बताया गया है कि यह आवंटन न किये जाने का कारण यह था कि भूमि और

बुनियादी ढांचे की कुल लागत का ब्यौरा न होने की वजह से भूमि और बुनियादी ढांचे का पूंजीकरण नहीं किया गया। यदि 31.3.2012 से पहले ऐसा कर लिया गया होता, जैसा कि बोर्ड के निर्णय में उल्लेख किया गया है, तो कम्पनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची के अनुसार शेयर धारकों के फंड की प्रस्तुति बेहतर ढंग से हुई होती। इस मामले के बारे में हमारी राय विशेषीकृत नहीं है।

7. अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

(i) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4क) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट)(संशोधन) आदेश 2004 द्वारा यथासंशोधित कम्पनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 के उपबंध इस कम्पनी पर लागू नहीं होते क्योंकि इस कम्पनी को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है।

(ii) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (3) के उपबंधों के अन्तर्गत, अपेक्षानुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि-

(क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

(ख) हमारी राय में जहां तक कम्पनी के बहीखातों की हमारी जांच का संबंध है, से प्रतीत हाता है कि कम्पनी के समुचित बहीखाते, कम्पनी द्वारा कानून की अपेक्षानुसार रखे गये हैं।

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखा और कैश-फ्लो विवरण कम्पनी के बहीखातों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखा और कैश-फ्लो विवरण, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में यथानिर्दिष्ट अनिवार्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

(ङ) कम्पनी ने बताया है कि कम्पनी कार्य विभाग ने अपनी 21 अक्टूबर 2003 की अधिसूचना संख्या साकानि 829 (ङ) द्वारा यह अधिसूचित किया था कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1) (छ) सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होती, इसलिए निदेशकों की निरर्हता संबंधी खण्ड लागू नहीं होता।

(च) चूंकि सरकार ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 441क के अन्तर्गत दिये जाने वाले उपकर की दर के बारे में न तो कोई अधिसूचना जारी की है और दिये जाने वाले उपकर के भुगतान की रीति निर्धारित करने के लिए उक्त धारा के अन्तर्गत कोई नियम भी जारी नहीं किये गये हैं। अत: कम्पनी द्वारा और उसकी तरफ कोई उपकर देय नहीं है।

कृते ई सी आर जे एसोसिएट्स
चार्टर्ड लेखाकार

ह./-
यशवंत खण्डेरी
साझीदार
एम नं. 029066
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 006927 एम

स्थान: बंगलौर
दिनांक: 21.06.2012

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, बंगलौर के 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, बंगलौर के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कम्पनी प्रबन्धन की है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी भारत के चार्टरित लेखापालों के संस्थान के व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है। ऐसा दिनांक 21 जून, 2012 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से मैंने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (ख) के अन्तर्गत कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, बंगलौर के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के परिकलन कागजात के बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों से प्रारम्भिक पूछताछ और कुछ गणना रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर दी जानकारी ऐसी कोई महत्वपूर्ण नहीं है जिसे परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर या इसके अनुपूरक के रूप में कोई टिप्पणी करने की जरूरत पड़े।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से

ह./-
(वाई. एन. ठाकरे)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा भूतपूर्व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, हैदराबाद

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 14 अगस्त, 2012

टिप्पणियां

टिप्पणियां

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइज़ेशन, प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली – 110001